ॐ

• सम्पर्क • सहयोग • संस्कार • सेवा • समर्पण

भारत विकास परिषद्

राजस्थान (मध्य) प्रान्त

हमारे प्रकल्प

प्रकाशन वर्ष 2023-24

प्रान्तीय कार्यालय : 51-52, जीवन ज्योति नगर, के.डी. जैन स्कूल के पास, किशनगढ़
जिला-अजमेर (राज.)-305801, मोबाइल: 94144-14652

सामाजिक समरसता कृणवन्तो विश्वमार्यम, स्वयं श्रेष्ठ बनों एवं सबको श्रेष्ठ बनाओं

उतिष्ठतः जागृत | स्वच्छ-स्वस्थ-समर्थ-संस्कारित भारत | राष्ट्र देवो भवः

Hero

कम खर्चा ज्यादा चर्चा

MAESTRO 125 EDGE

SPORTY

Pleasure+ XTEC

TRENDY

DESTINI 125 XTEC

TECHY

अपना टाइम सुपर है

नई super Splendor XTEC 125cc

सतीश तापड़िया- प्रांतीय अध्यक्ष संस्कार (राज. मध्य प्रांत)

आकाशदीप मोटर्स

बापू नगर, पुर रोड़, भीलवाड़ा
यश विहार के सामने, कोटा रोड़, भीलवाड़ा

मो. 92899-22803

ॐ

• सम्पर्क • सहयोग • संस्कार • सेवा • समर्पण

सम्पादकीय.....

सम्मानीय साथियों,

भारत विकास परिषद् राजस्थान मध्य प्रान्त की ओर से 'हमारे प्रकल्प' पुस्तक को आपकी सेवा में समर्पित करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

जैसा कि सर्वविदित है सुसंस्कृत नागरिक का निर्माण करने के लिए भी परिषद् अपने संस्कार के विभिन्न प्रकल्पों जैसे राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता, भारत को जानो प्रतियोगिता, संस्कृति सप्ताह, नवसंवत्सर के कार्यक्रम, योग एवं संस्कार शिविर, व्यक्तित्त्व विकास शिविर, गुरुवन्दन – छात्र अभिनन्दन, वन्देमातरम् प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम परिषद द्वारा निष्पादित करवाये जाते हैं।

स्वस्थ– समर्थ–संस्कारित भारत के ध्येय को आत्मसात करने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं और पत्रकों के माध्यम से सेवा व संस्कार प्रकल्पों की जानकारी प्रत्येक सदस्य को समय समय पर दी जाती है तथा दायित्व के माध्यम से प्रकल्प के सफल निष्पादन की अपेक्षा भी की जाती है। इसी को ध्यान रखते हुए ष्हमारे प्रकल्पष् पुस्तक शाखा संचालन से लेकर सम्पर्क, संस्कार, सेवा, संगठन एवं महिला एवं बालविकास के सभी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से निष्पादित करने में कारगर साबित होगी।

इसी विश्वास के साथ....

अमित सोनी
सम्पादक
राजस्थान (मध्य) प्रान्त

ॐ

• सम्पर्क • सहयोग • संस्कार • सेवा • समर्पण

अध्यक्ष की कलम से.....✍

सम्मानीय बंधुओं,

भारत विकास परिषद् क्लब व संस्कृति से बिल्कुल अलग विचारशील, प्रबुद्ध, सुशिक्षित एवंसम्पन्नलोगों की एक ऐसी संस्था है जो कि अपने अल्प साधनों से असहाय, निरक्षर, निर्धनजनता की सेवा में अपने आपको समर्पित करके उनमें उत्तरदायित्त्व एवं आत्मविश्वास का भाव जगाने के लिए काम कर रही है। परिषद् की नींव अनुशासन, नि:स्वार्थ, सेवा व त्याग के सुदृढ़ सिद्धान्तों पर टिकी हुई है। न पीढ़ी में राष्ट्रीय भावना पैदा करके देश का सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक विकास करने हेतु परिषद् द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

भारत विकास परिषद् का सदस्य बनते ही भारतीय संस्कृति के आदर्शों में आस्था तथा भारत की राष्ट्रीय एकता, सर्वमत समभाव और विश्वबन्धुत्त्व में निष्ठा का संकल्प लिया जाता है। शाखा के माध्यम से विभिन्न सेवा एवं संस्कार के प्रकल्पों की जानकारी प्रत्येक सदस्य को दी

है तथा दायित्त्व दिये जाते हैं ताकि वह भारत विकास परिषद् से मन से जुड़ सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रान्त ने इस पुस्तक के माध्यम से सभी कार्यक्रमों का समावेश करते हुए जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।

गोविन्द प्रसाद सोडाणी
अध्यक्ष
राजस्थान (मध्य) प्रान्त

ॐ

• सम्पर्क • सहयोग • संस्कार • सेवा • समर्पण

महासचिव की कलम से.....

भारत विकास परिषद् अपने पाँच स्तम्भों (सम्पर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण) के माध्यम से हर व्यक्ति तक रचनात्मक कार्यों के साथ पहुँचने का प्रयास करती है। यह हमारी प्रकल्प पुस्तिका भी अपने सदस्यों तक पहुँचने का सशक्त माध्यम है। इस पुस्तिका की काफी समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। किसी भी शाखा में प्रकल्पों को अच्छे से करने हेतु मार्गदर्शन मिल सके जैसे कि कार्यक्रमों का आयोजन कैसे और कब किया जाए ? केन्द्र के पास भी ऐसी कोई पुस्तिका उपलब्ध नहीं है। अतः सबके प्रयासों से इस पुस्तिका को प्रस्तुत किया जा रहा है, जो सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस पुस्तिका के माध्यम से विभिन्न प्रकल्पों की जानकारी देने का प्रयास किया गया है।

प्रांत का यह प्रयास सबको पसन्द आएगा ऐसी मुझे आशा है। इस पुस्तिका के प्रस्तुतिकरण एवं प्रकाशन में प्रांतीय अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद जी सोडाणी एवं सम्पादक अमित जी सोनी का बहुमूल्य योगदान रहा है, जिनके प्रयास से यह संभव हो सका है। उन्हें मेरी स्वयं की ओर से एवं प्रान्त की ओर से धन्यवाद एवं बधाई ।

विजन 2023 जो कि परिषद् का अमृत महोत्सव है परिषद् ने प्रांत स्तर पर इसके लिए अपने लक्ष्य निर्धारित किये हैं जैसे प्रांत में 60 शाखाएं व 3600 सदस्य बनाना । भारत को विश्व गुरु की पदवी दिलाने का जो स्वप्न है उसमें परिषद् का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहेगा। सभी शाखाएं इसके लिए प्रयास करेंगी। सभी शाखाओं को प्रान्त की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ ।

गोविन्द अग्रवाल
प्रांतीय महासचिव
राजस्थान (मध्य) प्रान्त

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	नाम	पेज नं.
1	सम्पर्क	1
2	संस्कृति सप्ताह	6
3	गुरूवंदन–छात्र अभिनंदन	8
4	भारत को जानों प्रतियोगिता	16
5	राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता	20
6	जानिए गौ महत्व	24
7	क्यों छोड़े भोजन प्लेट में	26
8	टेलीविजन अधिक देखने से हानियाँ	28
9	दिव्यांग शिविर	30
10	स्वास्थ्य परिक्रमा एवं योग	33
11	रक्तदान–एक मानवीय आवश्यकता	41
12	नेत्रदान–एक मानवीय आवश्यकता	44
13	देहदान/अंगदान–एक साहस	47
14	वृक्षारोपण	49
15	पर्यावरण मित्र	51
16	समग्र ग्राम विकास	54
17	सामुहिक सरल विवाह	56
18	बुक बैंक योजना	59
19	जल ही जीवन	60
20	प्रोटोकॉल	63
21	मंच संचालन	66
22	**ORGANISATION STRUCTURE**	69
23	शाखा संचालन पद्धति	75
24	शाखा की वित्त व्यवस्था	81
25	प्रकल्प प्रमुखों के दायित्व	85
26	संगठन पर्व	86
27	प्रभावी नेतृत्व हेतु गुण	90
28	संगठन में अनुशासन कैसे	92
29	संगठन में समय प्रतिबद्धता	94
30	महिला संयोजिका के दायित्व	96
31	महिला एवं बाल विकास	98
32	बेटी बचाओ–बेटी पढाओ	100
33	युवा एवं बाल संस्कार	103
34	एक आग्रह –एक संकल्प	105
35	आँखों में	106
36	जिज्ञासा प्रश्नोत्तरी	107
37	दायित्व ग्रहण शपथ	115
38	सदस्य का संकल्प	116

सम्पर्क

'सम्पर्क' शब्द 'सम+पर+क' का संयोजन है। 'सम' का अर्थ अच्छी तरह से 'पर' का अर्थ 'दूसरों के साथ' तथा 'क' का अर्थ करने से है। इस आधार पर सम्पर्क का आशय व्यक्तियों को जोड़ने, उनको अपने विचारों से अवगत कराने, उनके मन–मस्तिष्क को अपने दृष्टिकोण से प्रभावित करने, उनकी शंकाओं एवं भ्रान्तियों का समाधान करने तथा उन्हें सतत् रूप से अपने साथ जोड़े रखने की कला से है।

सम्पर्क के क्षेत्र–परिषद् की कार्य व्यवस्था की दृष्टि से सम्पर्क को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है– आन्तरिक सम्पर्क तथा जन– सम्पर्क

(I) आन्तरिक सम्पर्क (Internal Relations) शाखा सदस्यों से लेकर प्रान्तीय एवं केन्द्रीय दायित्वधारियों के साथ सम्पर्क आन्तरिक सम्पर्क का अंग है। इस व्यवस्था में निम्न सम्पर्कों को स्थापित करने तथा उन्हें सतत् रूप से विकसित करने तथा बनाये रखने के लिए प्रयास करना होगा :–

1. सदस्यों के मध्य पारस्परिक परिचय एवं सम्पर्क – शाखा स्तर पर सदस्यों में समूह भावना विकसित करने, सहयोग के लिये प्रोत्साहित करने तथा पारिवारिक वातावरण का सृजन करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि शाखा के सदस्य एक दूसरे को पहचानें और इसके लिये शाखा स्तर पर सदस्यों की सूची का पते, टेलीफोन नं. जन्म तिथि, विवाह तिथि इत्यादि सहित प्रकाशन किया जा सकता है। उसमें दम्पत्ति फोटो का प्रकाशन उसे अधिक प्रभावी बना सकता है। शाखा स्तर पर पारिवारिक मिलन समारोह एवं भ्रमण कार्यक्रम भी सम्पर्क व्यवस्था को पर्याप्त सुदृढ़ता प्रदान करेंगे।

2. दायित्वधारियों के मध्य सहयोगपूर्ण सम्पर्क– शाखा से लेकर केन्द्र तक प्रत्येक स्तर पर दायित्वधारियों के मध्य सहयोग एवं समन्वयपूर्ण सहयोग की भावना रहनी चाहिए।

3. पदाधिकारियों एवं सदस्यों के मध्य सम्पर्क – यह सम्पर्क द्वि–दिशायी होता है– नीचे से ऊपर एवं ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर के सम्पर्क में जिज्ञासाओं का समाधान होता है, कार्य में मनोबल बढ़ता है, सुझावों का सम्प्रेषण होता है तथा कार्य सम्पादन की सूचनाओं की उचित जानकारी ऊपर तक पहुँचती है, जबकि ऊपर से नीचे की ओर के सम्पर्क में मार्गदर्शन मिलता है, संगठन के विभिन्न स्तर की कड़ियाँ मजबूती से जुड़ती हैं तथा परिषद् के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहनपूर्ण वातावरण का सृजन होता है।

4– पुराने सदस्यों एवं पदाधिकारियों के साथ सम्पर्क– हमें सम्पर्क व्यवस्था में इस ओर भी ध्यान देना होगा कि शाखाओं में जो पहले सदस्य रहे हैं उनसे भी सम्पर्क किया जाये। इसमें वे नहीं तो उनके परिवार के व्यक्ति सदस्य के रूप में परिषद् से जुड़ सकते हैं। शाखा एवं प्रान्त स्तरीय उन अधिकारियों से भी सम्पर्क बनाया जाये जो काफी सक्रिय रहे हैं किन्तु किन्हीं कारणों से उदासीन या तटस्थ हो गये हैं।

जन–सम्पर्क से आशय

Public relations is the management function that identifies, establishes and maintains mutually beneficial relationship between an organisation and the various Sections of the society on whom its success or failure depends-

जन सम्पर्क का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। परिषद् के सन्दर्भ में जन–सम्पर्क की विवेचना को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। (अ) सम्पर्क लक्ष्य (ब) सम्पर्क व्यवस्थायें तथा (स) सम्पर्क प्रकल्प एवं कार्यक्रम।

सम्पर्क लक्ष्य (**Sampark Targets**)

1. विशिष्ट व्यक्तिगत सम्पर्क – प्रत्येक प्रान्त एवं शाखा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने–अपने क्षेत्रों में विशिष्ट व्यक्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क विकसित करे। इसके अनेक विकल्प हैं–उन्हें अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित करना, विशिष्ट अवसरों पर उनसे भेंट करना, अपना साहित्य उन तक पहुँचाना। इसमें राजनीति, प्रशासन, उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, खेलकूद, कला, संगीत इत्यादि से जुड़े व्यक्तित्व हो सकते हैं। इस सम्पर्क से परिषद के कार्यक्रमों को पर्याप्त महत्व एवं प्रचार मिलेगा एवं राजकीय योजनाओं का लाभ मिलेगा। केन्द्रीय स्तर पर वी.वी.आई.पी. की एक विस्तृत सूची तैयार करने की योजना चल रही है, जिससे उन्हें केन्द्रीय स्तर से प्रकाशित नीति या अन्य साहित्य प्रेषित किया जा सके।

इस सन्दर्भ में शाखाओं एवं प्रान्तों को भी अपने भौगोलिक क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को प्रशंसा एवं बधाई पत्र प्रेषित करने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान, पुरस्कार, सफलतायें एवं विशिष्ट उपलब्धियाँ अर्जित की हैं।

2. विदेश सम्पर्क–भारतवंशी समस्त विश्व में रह रहे हैं। वे पुण्य भूमि भारत से सदैव लगाव महसूस करते हैं एवं अपनी संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत एवं परम्पराओं पर उन्हें गर्व है। वे अपनी मातृभूमि से जुड़े रहना चाहते हैं। भारत विकास परिषद् इस जुड़ाव के लिए एक सेतु की भूमिका

निभा सकता है। इस सन्दर्भ में निम्न व्यवस्थायें की जा सकती हैं:–

(I) परिषद् के सदस्यों के विदेशों में रह रहे मित्रों एवं रिश्तेदारों के नाम, पते, ई–मेल सहित सूची की तैयार करके केन्द्रीय कार्यालय को प्रेषित करना। ऐसे प्रवासी भारतीयों को नववर्ष, दीपावली, जन्मदिन इत्यादि पर ई– मेल के माध्यम से शुभकामनायें प्रेषित करना ।

(ii) उनके भारत आने और पूर्व सूचना होने पर उनका स्वागत करना।

(iii) उन्हें विकास मित्र या विकास रत्न बनने के लिये प्रेरित करना ।

(iv) ग्रामीण विकास, विकलांग पुनर्वास एवं प्राकृतिक आपदा के समय राहत कार्यों में उन्हें वित्तीय सहायता के लिये अभिप्रेरित करना ।

3. मीडिया सम्पर्क – वर्तमान समय में मीडिया जनसम्पर्क का सबसे विस्तृत एवं सशक्त माध्यम है। अतः प्रान्तीय एवं शाखा स्तर पर प्रिन्ट तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया से अच्छे सम्पर्क विकसित करके अपने प्रकल्पों एवं कार्यक्रमों के आयोजन से पूर्व एवं आयोजन के पश्चात् जन सामान्य तक पहुँचाने का प्रयास करना चाहिये। राष्ट्रीय समूह गान, भारत को जानो प्रश्न मंच, गुरूवंदन– छात्र अभिनन्दन, विकलांग सहायता शिविर इत्यादि के लिये स्थानीय टी.वी. चैनलों के माध्यम से जीवन्त प्रसारण की व्यवस्था की जा सकती है। मीडिया सम्पर्क की दृष्टि से वर्ष में कम से कम एक बार प्रेस वार्ता का आयोजन अवश्य करना चाहिये, विशेष रूप से जब आप शाखा या प्रान्तीय स्तर पर कोई वृहद या विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं या केन्द्र का कोई वरिष्ठ दायित्वधारी आपके यहाँ पहुंच रहा है।

इसमें परिषद् से सम्बन्धित साहित्य अवश्य वितरित कराया जाना चाहिये। मीडिया में कार्यक्रम ही पूर्व सूचना तथा रिर्पोटिंग के साथ ही प्रकाशन एवं प्रसारण के पश्चात् दूरभाष पर या पत्र द्वारा धन्यवाद प्रेषण की व्यवस्था भी विकसित करनी चाहिये।

4. कार्यक्रम सम्बन्धित विशिष्ट सम्पर्क – इसमें स्कूलों एवं कॉलेजों में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की दृष्टि से उनके प्राचार्यों अथवा प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क, स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण की दृष्टि से सम्बन्धित डॉक्टरों से सम्पर्क, निर्णायकों की दृष्टि से विशिष्ट योग्यता एवं अनुभव वाले व्यक्तियों से सम्पर्क इत्यादि शामिल हैं।

सम्पर्क व्यवस्थायें

परिषद् में सम्पर्क व्यवस्थायों की दृष्टि से व्यापक रूपरेखा बनायी गयी है जो निम्न प्रकार है:

1. साहित्य प्रकाशन–केन्द्रीय स्तर पर नियमित प्रकाशन के रूप में

मासिक पत्रिका ''नीति'' तथा त्रैमासिक पत्रिका '' ज्ञान प्रभा'' का प्रकाशन किया जा रहा है। परिषद् का संविधान एवं नियमावली प्रकाशित की गई है। परिषद् के परिचय एवं विभिन्न प्रकल्पों के सम्बन्ध में पैम्पलैट तथा पुस्तिकायें प्रकाशित की गई हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकाशनों में परिषद् के स्थायी प्रकल्प, भारत विकास परिषद्–प्रगति गाथा, चेतना के स्वर, राष्ट्र गीतिका, ओजस्विता के दीप इत्यादि उल्लेखनीय हैं। शाखा एवं प्रान्त स्तर पर भी पत्रिकाओं, स्मारिकाओं तथा निर्देशिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है। वैबसाइट– केन्द्रीय स्तर पर परिषद् की अत्यन्त प्रभावी एवं सूचनाप्रद वैबसाइट **www.bvpindia.com** विकसित की गई है जो निरन्तर अपडेट की जाती है। आप **anything and for everything** के लिए वैबसाइट को देख सकते हैं।

3. संगठनात्मक व्यवस्थायें – परिषद् के सभी स्तरों पर 'सम्पर्क' की दृष्टि से व्यापक व्यस्थायें की गई हैं। केन्द्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं एक राष्ट्रीय संयुक्त महामन्त्री को सम्पर्क का विशिष्ट उत्तरादायित्व दिये जाने के साथ ही प्रकाशन एवं सैमीनार के लिये प्रोजेक्ट समिति चेयरमैन तथा प्रकाशन–वैबसाइट, प्रचार एवं जन–सम्पर्क के लिए राष्ट्रीय मन्त्रियों का मनोनयन किया गया है। जोनल स्तर पर जोनल सम्पर्क प्रमुख के मनोनयन की व्यवस्था है। प्रान्तों से भी अपेक्षा की गई है कि वे सम्पर्क संयोजक नियुक्त करें।

सम्पर्क प्रकल्प एवं कार्यक्रम

1. संस्कृति सप्ताह– भारत विकास परिषद् का यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण जन–सम्पर्क प्रकल्प है, जिसे संस्कृति सप्ताह/ विकास सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जन–सामान्य में परिषद् के क्रियाकलापों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है ।

2. परिषद् स्थापना दिवस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह– एक नये रूप में जन– सम्पर्क का यह प्रकल्प कुछ वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया है। इसमें सदस्यों के साथ ही जन–सामान्य को परिषद् की स्थापना की पृष्ठभूमि तथा प्रगति से अवगत कराया जाता है तथा विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है।

3. सैमीनार– सम–सामयिक विषयों पर विशेषज्ञों के प्रस्तुतिकरण के आधार पर चिन्तन–मनन, दिशा–निर्देशन एवं जन–अनुभूति को प्रभावित करने की दृष्टि से यह प्रकल्प प्रारम्भ किया गया है तथा इसका आयोजन शाखा, प्रान्त अथवा राष्ट्रीय किसी स्तर पर भी हो सकता है।

4. उत्कृष्टता सम्मान पुरस्कार– जन सम्पर्क को विस्तृत करने की दृष्टि

से यह प्रकल्प वर्ष 2006–07 से प्रारम्भ किया गया है। इसमें परिषद् के संस्थापक राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. सूरज प्रकाश की स्मृति में उत्कृष्टता सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। सत्र 2006– 07 में यह पुस्कार संस्कारों के क्षेत्र में तथा 2007–08 में सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये दिया गया था। 2008–09 के लिए यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये दिया गया था।

विकास रत्न एवं विकास मित्र–परिषद् के सदस्यों एवं गैर–सदस्यों दोनों को परिषद् के साथ स्थायी रूप से जोड़ने की दृष्टि से विकास रत्न एवं विकास मित्र योजनायें चलायी गयी हैं, जिनमें क्रमशः एक लाख रु. तथा 11000 रु. का योगदान करना होता है तथा कोष में एकत्रित राशि राहत कार्यो के लिए प्रयुक्त की जाती है।

स्थायी प्रकल्प– ये प्रकल्प भी जन संपर्क के प्रभावशाली उपकरण हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त समग्र ग्रामीण विकास तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय परिषद् द्वारा राहत कार्यो में भी परिषद् के जन सम्पर्क प्रकल्प को प्रभावी बनाते हैं।

संस्कृति सप्ताह

संस्कृति सप्ताह परिषद् के पांचों स्तम्भसूत्र सम्पर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण का जीवंतमूर्त रूप है। मूलतः सम्पर्क स्तम्भ के तहत प्रचार प्रसार एवं जनसम्पर्क का प्रमुख कार्यक्रम है और सभी आधार स्तंभों के प्रस्तुतीकरण का सशक्त माध्यम है। भारतीय संस्कृति एवं संस्कृति कार्यक्रम समाज के सम्मुख रखकर हम सभी परिषद् का नाम व प्रतिष्ठा भी संस्कृति सप्ताह के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। हर वर्ष देशभर शाखाओं द्वारा बहुत धूमधाम से इसका आयोजन किया जाता रहा है और हमारे प्रांत में भी सर्वश्रेष्ठ आयोजन होते रहे हैं।

उद्देश्य– संस्कृति सप्ताह का आयोजन करने से पूर्व हमें इस आयोजन के मुख्य उद्देश्य की जानकारी होना अतिआवश्यक है। संस्कृति सप्ताह आयोजन के मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं–

❖ संस्कृति सप्ताह में आयोजित होने वाले भारतीय संस्कृति एवं संस्कार युक्त कार्यक्रमों को समाज के सम्मुख रखकर परिषद् के संस्कारित भारत निर्माण के संकल्प से समाज को अवगत कराना है। यह कार्यक्रम परिषद् की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को तो बढ़ाते ही है साथ ही परिषद् के सभी आधार स्तंभों के प्रस्तुतीकरण का सशक्त माध्यम है।

❖ समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, समाज के कार्यों में उनकी रुचि के साथ–साथ उत्तरदायित्व की भावना जागृत करने, समाज की अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान बनाने और नेतृत्व क्षमता के साथ राष्ट्रीय निर्माण में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से परिषद् की महिला सदस्यों द्वारा संस्कृति सप्ताह का आयोजन किया जाता है।

एकरूपता– संस्कृति सप्ताह, कही समय पर आयोजन करना क्यों आवश्यक है– प्रांत की सभी शाखाएं एक ही समय में एक ही स्वरूप में कार्यक्रमों का आयोजन करती है, तो इस एक स्वरूप के आयोजन से पूरे क्षेत्र में सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्तरपर अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ताहै और भावनात्मक रूप से लोग कार्यक्रमों के साथ जुड़ने लगतेहैं एक समय पर कार्य करने से जनसंपर्क और संगठन के प्रतिलोगों का विश्वास व आस्था बढ़ती है। कार्यक्रम सप्ताह के दौरान किए जाने वाले कार्यक्रम का चयन करने में शाखाएं स्वतंत्र है परंतु कार्यक्रम परिषद् की मूलभावना के अनुरूप हो और समाज के सभी उम्र के लोगों को सम्मिलित किया जा सके ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। यह आयोजन

शाखा की महिला सदस्यों की अगुवाई में पुरुष सदस्यों के सहयोग से हो।

- केंद्रीय निर्देशानुसार संस्कृति सप्ताह में एक पारिवारिक सांस्कृतिक आयोजन करना अनिवार्यहै, जिसमेंपरिषद्सदस्य, महिलाएं और बच्चे ही भाग ले सकते हैं और यह कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति, भारतीय संस्कृति व लोकसंस्कृति पर आधारित हो सकते हैं।
- संस्कृति सप्ताह में एक ऐसा कार्यक्रम अवश्य होजो सार्वजनिक स्थल अथवा नगर के मुख्य चौराहे पर जनमानस के मध्य हो।
- वर्तमान की ज्वलंत समस्याओं पर नाट्य प्रतियोगिता।
- धार्मिक व लोकसंस्कृति पर आधारित अंताक्षरी प्रतियोगिता।
- नगरमें एक समय एक साथ वंदेमातरम् गायन का आयोजन।
- पुस्तकमेले का आयोजन भी किया जा सकता है, जिसमें परिषद् के साहित्य का वितरणहो।
- डिजिटल शिक्षा पर लघु फिल्म अथवा सेमिनार का आयोजन।
- पर्यावरण जल संरक्षण, नशामुक्ति, बेटीबचाओ–बेटीपढ़ाओ आदि विषयों पर जनरैली का आयोजन।
- व्यक्तिगत विकास हेतु शिविर,परिवार संस्कार शिविर या सेमिनार का आयोजन।
- वर्तमान विषयों पर माता–पिता और बच्चों के मध्य संवादकार्यक्रम का आयोजन।
- वंदेमातरम् गायन एवं संस्कृत दोहों के गायन की प्रतियोगिता।
- भजन संध्या व सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन।
- खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- तुलसी के महत्व संबंधी प्रपत्रों के साथ तुलसी पौधों का वितरण।
- नगर के वृद्धाश्रम अथवा मूकबधिर विद्यालय में जाकर आयोजन करना।
- प्रशासन की स्वीकृति से सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों, रेलवे–स्टेशन, बस स्टैंड पर संदेशात्मक पेंटिंग का कार्य भी किया जा सकता है।
- संस्कृति सप्ताह में 7 से 10 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

संस्कृति सप्ताह मुख्यत : प्रचार–प्रसार व जनसंपर्क का कार्यक्रम है। अत : मीडिया के माध्यम से समुचित प्रचार–प्रसार हो और समाज के श्रेष्ठ लोगों को आयोजनों में आमंत्रित किया जाए । साथ ही उन्हें परिषद् की जानकारी देकर अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।

गुरु वन्दन– छात्र अभिनन्दन

शाखाओं के लिए निर्देश

उद्देश्य :– इस प्रकल्प का मुख्य उद्देश्य बालक–बालिकाओं के मन में अपने माता–पिता और अध्यापकों (गुरूओं) के प्रति आदर और सम्मान का भाव उत्पन्न करना है, जिनका आशीष उन्हें अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसर करेगा।

प्रारूप :– विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित रूप से कार्य किया जाना चाहिए। स्थानीय स्थिति को देखते हुए, शाखाओं को मुख्य उद्देश्य से हटे बिना, कुछ परिवर्तन करने की छूट है।

1. यह कार्यक्रम शाखा द्वारा विद्यालय–महाविद्यालय और ऐसी अन्य संस्थाओं में उनकी सुविधानुसार आयोजित किया जाता है।
2. सर्वप्रथम शाखा के किसी सदस्य को इस प्रकल्प का संयोजक नियुक्त किया जाये। वह शाखा के अन्य सदस्यों की सहायता से उस प्रकल्प को शाखा के निकट के विद्यालयों व ग्रामीण विद्यालयों में आयोजित करने का कार्यक्रम बनायें।
3. संयोजक को तत्सम्बन्धी अन्य उप–समितियां, जिसमें 4–7 सदस्य हों (शाखा के सभी सदस्यों को सपत्निक) भी बनानी चाहिए जिन्हें एक–न–एक विद्यालय अवश्य सौंपा जाना चाहिये। अपने पड़ोस के सभी विद्यालयों से सम्पर्क हो जाए, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
4. प्रत्येक टोली का मुखिया अपने कुछ सदस्य साथियों के साथ भा.वि.प. साहित्य लेकर प्रत्येक विद्यालय में जाऐ और निम्न व्यवस्था करें :–

(अ) प्राचार्य अथवा अन्य अधिकारी को इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी देते हुए दिन, समय और स्थान को सुनिश्चित करें।

(ब) उस संस्था के विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या की जानकारी लेते हुए सुनिश्चित करें कि वे सभी कार्यक्रम में उपस्थित रहें।

(स) जिन छात्रों का अभिनन्दन किया जाना है, उनके नाम पते और फोन नं. भी ले लिये जाऐं ताकि उनके अभिभावकों को भी कार्यक्रम में सम्मिलित

होने के लिये निमन्त्रण भेजे जा सकें। (विशिष्ट छात्रों के चुनाव की प्रक्रिया आगे दी गई है।)

निर्धारित तिथि के दस दिन पूर्व टोली के मुखिया द्वारा छात्रों, अभिभावकों और प्रेस को कार्यक्रम की सूचना अवश्य भेजी जाएगी। समाचार–पत्रों में 'आज के कार्यक्रम' कॉलम के लिए भी लिखा जाना चाहिए।

5. 2–3 दिन पूर्व निर्धारित विद्यालय परिसर के समीप 3–4 बैनर भी लगाये जायें।
6. आयोजन वाले दिन मुखिया को अपने साथ सर्टिफिकेट, गुरूजनों के लिए पुष्प, बैनर, फोटोग्राफर आदि को ले जाना चाहिए।
7. विद्यालय की प्रातः असेम्बली में प्रस्तुत कार्यक्रम निम्न प्रकार आयोजित किया जा सकता है :–

- ❖ विद्यालय प्राचार्य द्वारा स्वागत ।
- ❖ शाखा स्तरीय भा. वि. प. की गतिविधियों की जानकारी एक सदस्य द्वारा।
- ❖ अभिभावकों एवं गुरूओं की महत्ता पर भाषण – भा.वि.प. सदस्य द्वारा।
- ❖ सभी उपस्थित व्यक्तियों द्वारा शपथ ग्रहण (नमूना नीचे दिया गया है)
- ❖ भारत विकास परिषद् के सदस्य चुने हुए छात्रों को प्रमाण–पत्र देकर सम्मानित करेंगे।
- ❖ भारत विकास परिषद् का कोई भी एक सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
- ❖ समस्त छात्र अपने गुरूजनों के चरण स्पर्श करके उनका सम्मान करेंगे एवं आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
- ❖ प्रत्येक छात्र वर्ग एवं शिक्षकों को पत्रक के माध्यम से निम्न तथ्यों की जानकारी उपलब्ध करायें :

(i) भारत विकास परिषद् का संक्षिप्त परिचय ।

(ii) केन्द्र, प्रान्त, शाखा अधिकारियों के नाम तथा प्रकल्प गु.व. छा.अ. के राष्ट्रीय अधिकारियों का पता व दूरभाष नम्बर।

(iii) स्थानीय शाखा की संक्षिप्त गतिविधियों का विवरण।

(iv) शपथ ग्रहण ।

8. कार्यक्रम के पश्चात् दल का मुखिया समाचार पत्रों (यदि प्रेस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं था एवं केन्द्रीय कार्यालय को नीति के लिए) को फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट भेजेगा।
9. जो सदस्य जिस संस्था में गए हों, उसका प्रतिवेदन तैयार कर, शाखा संयोजक/सचिव के पास भेजेंगे।
10. शाखा प्रकल्प संयोजक/सचिव निम्न गतिविधियों का आयोजन करें:

(क) शिक्षक सम्मेलन।
(ख) छात्र व शिक्षक के सम्बधों पर नाटक प्रस्तुत करना।
(ग) प्रकल्प गु.व.छा.अ. के अन्तर्गत शिक्षक दिवस पर विद्यालयों में वरिष्ठ छात्र एक दिन के लिये गुरू बनें।
(ड) अभिभावकों एवं शिक्षकों को गु.व. छा.अ. की जानकारी दें।

इन शिक्षकों एवं छात्रों के चयन बिन्दु अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं।

शपथ

(कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा ली जायेगी)

मैं शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं सदा अपने माता–पिता, शिक्षकों, नारी जाति और बड़ों का सदा सम्मान करूँगा/करूँगी। अपनी राष्ट्रीय संस्कृति, रीति–रिवाज, नैतिक–मूल्यों और सामाजिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने कर्त्तव्य और दायित्वों को भलीभांति निभाऊंगा/निभाऊंगी। मैं स्वयं भी और दूसरों को भी सर्वोत्तम बनने की प्रेरणा दूँगा/दूँगी। मैं धूम्रपान अथवा किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन आजीवन नहीं करूँगा/करूँगी।

सम्मानार्थ शिक्षकों और छात्रों के चयन के लिए प्रस्तावित बिन्दु :–

शिक्षकों के लिए

(क) प्राचार्य, उप–प्रचार्य, मुख्याध्यापक/अध्यापिका ।
(ख) विद्यालय में जिसका कार्य काल सब से अधिक हो।
(ग) जिसे किसी भी क्षेत्र में केंद्र/राज्य/सम्मानित संस्था द्वारा सम्मान प्राप्त हो।

(घ) शिक्षक विनियम कार्यक्रम के अधीन जिसको विदेश भेजा गया हो।

(ड़) जिसने पुस्तकों/लेखों का लेखन किया हो।

(च) जिसने शिक्षेतर गतिविधियों में विशेष योग्यता प्राप्त की हो।

(छ) जिसका अपने विषय का परीक्षा परिणाम बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था की परीक्षा में शत प्रतिशत रहा हो।

शिक्षकों के लिए–

(क) अपनी कक्षा में जो प्रथम रहा हो।

(ख) जो स्कूल/हाउस अथवा स्पोर्ट्स कैप्टन रहा हो।

(ग) जिसने राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय स्वतन्त्रता दिवस/गणतन्त्र दिवस (15 अगस्त अथवा 26 जनवरी) परेड में भाग लिया हो।

(घ) जिसने बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थागत परीक्षा में किसी भी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हों।

(ड़) जिसने किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रीय/राज्यकीय अथवा विशिष्ट प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त की हो।

(च) जिसको राष्ट्रीय/राजकीय/विशिष्ट संस्था द्वारा सम्मानित किया गया हो।

(छ) खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधियों, पेंटिंग, कला, संगीत, वाद–विवाद में जिसे विशेष योग्यता प्राप्त हो।

(ज) जिसने एन.सी.सी., जूनियर रेडक्रास, स्काउट्स एण्ड गाइड्स, पर्वतारोहण इत्यादि में भाग लिया हो।

टिप्पणी– शाखा को यह कार्यक्रम 1 अप्रैल से 15 अक्टूबर के मध्य में समाप्त करके इसकी रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक प्रांत को भेज देनी चाहिए।

गुरु वंदन छात्र अभिनन्दन

रिपोर्ट का फार्म ''ए''
(शाखा सचिव/संयोजक को टीम प्रमुख द्वारा कार्यक्रम के 3 दिनों के अन्दर दी जाने वाली रिपोर्ट)

.....शाखा.....प्रान्त.....

जोन गुरु वंदन छात्र अभिनंदन.....विद्यालय की रिपोर्ट

1. तिथि एवं दिन.....समय.....बजे से..... तक
2. विद्यालय/कालेज/संस्थान जहां कार्यक्रम किया गया का नाम एवं पता

.....

.....फोन नं.....

3. कार्यक्रम में उपस्थिति
   - ❖ उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या
   - ❖ उपस्थित शिक्षकों की संख्या
   - ❖ उपस्थित माता–पिता की संख्या
4. उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें पुरस्कार दिये गये–––––––– (विस्तृत विवरण फार्म बी में दिया गया है।)
5. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का नाम

उपस्थित सदस्यों का विवरण एवं हस्ताक्षर

क्र.सं.	नाम	आयु	पद	संपर्क नं.	हस्ताक्षर

Encl : 1. विद्यालय का पत्र 2. फार्म ''बी''

गुरु वंदन छात्र अभिनन्दन

रिपोर्ट का फार्म ''बी''

(ग्रुप लीडर द्वारा शाखा सचिव संयोजक को फार्म ए के साथ 3 दिन के अन्दर भेजा जायेगा ।)

शाखा.....प्रान्त.....जोन .....

विद्यालय /संस्थान का नाम.....

कार्यक्रम की तिथि .....

सम्मानित किये गये विद्यार्थियों का विवरण

क्र.सं.	विद्यार्थी का नाम एवं पता	जन्म तिथि	संपर्क नं.	कक्षा	किस कार्य के लिए सम्मानित	अन्य विवरण

शाखा की टीम के प्रमुख का नाम

पद..... हस्ताक्षर.....

गुरु वंदन छात्र अभिनन्दन

रिपोर्ट का फार्म ''बी''

(यह रिपोर्ट शाखा सचिव/संयोजक द्वारा प्रांत संयोजक/महासचिव को फार्म बी सहित 31 अक्टूबर तक भेजी जाएगी)

शाखा.....प्रान्त.....जोन .....

विवरण	पिछले वर्ष	इस वर्ष
सदस्यों की कुल संख्या		
छात्रों एवं शिक्षकों की कुल संख्या		

क्रमांक	कार्यक्रम की तिथि	विद्यालय का नाम	विद्यालयों का फोन नं.	उपस्थिति			
				छात्र	शिक्षिक	सदस्य	सम्मानित छात्र

शिक्षकों की सभा का विवरण

तिथि.....स्थान.....

आमंत्रित विद्यालयों की संख्या.....

उपस्थित विद्यालयों की संख्या.....

उपस्थित शिक्षकों की संख्या.....

संलग्न 1. फार्म–ए, 2. फार्म–बी, 3. स्कूलों को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि, 4. फोटोग्राफ, 5. अन्य

शाखा अध्यक्ष.....नाम.....हस्ताक्षर.....फोन.....

शाखा सचिव.....नाम.....हस्ताक्षर.....फोन.....

शाखा कोषाध्यक्ष .....नाम..... ..हस्ताक्षर.....फोन.....

शाखा संयोजक.....नाम..... ..हस्ताक्षर.....फोन.....

(प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा शाखा संयोजक को लिखा जाने वाला पत्र)

सेवा में, दिनांक.....

संयोजक, गुरू वन्दन छात्र अभिनन्दन
भारत विकास परिषद्
.....
.....

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय : गुरु वन्दन छात्र अभिनन्दन कार्यक्रम का आयोजन

1. कृपया आप अपने पत्र संख्या.....दिनांक.....का संदर्भ लें।
2. उपरोक्त कार्यक्रम निम्न तिथियों में से किसी एक में आयोजित किया जा सकता है।

क्र.सं.	दिनांक	समय	स्थान
1			
2			
3			

3. हमें खेद है कि निम्न कारणों से यह कार्यक्रम हमारे विद्यालय में आयोजित नहीं किया जा सकेगा।
4. हमारे विद्यालय में लगभग.....छात्र तथा.....अध्यापक हैं।
5. अन्य विवरण के लिए अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करें।

भवदीय

प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य

नोट : जो भी लागू न हो उसे काट दें।

भारत को जानो प्रतियोगिता

- भारत विकास परिषद् सम्पर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण के कार्य करता है।
- विद्यार्थियों में संस्कार के बीजारोपण के लिए संस्कार प्रकल्प के तहत विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों में राष्ट्रीय समूह गान, गुरुवंदन छात्र अभिनन्दन एवं भारत को जानो प्रतियोगिता करता है।
- भारत को जानो प्रतियोगिता दो वर्गों कनिष्ठ वर्ग (कक्षा 6 से 8) एवं वरिष्ठ वर्ग (कक्षा 9 से 12) में होती है
- दोनों की नियमावली समान है।
- भारत को जानो प्रतियोगिता के निम्न स्तर पर आयोजित की जाती है–
- 1. विद्यालय स्तरीय
- 2. शाखा स्तरीय
- 3. प्रान्त स्तरीय
- 4. रीजन स्तरीय
- 5. केन्द्र स्तरीय

विद्यालय स्तरीय भारत को जानो प्रतियोगिता की नियमावली

- इस वर्ष पुनः भारत को जानो प्रतियोगिता विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से **OMR (Optical Mark Recognition)** शीट के माध्यम से आयोजित कराई जायेगी।

कुल प्रश्नों की संख्या 50 समय 60 मिनिट प्रति प्रश्न 1 नंबर, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

परीक्षा में निम्न विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे।

- 1. भारत के महापुरुष
- 2. भारतीय शिक्षण संस्थाए
- 3. भारत के देवी देवता
- 4. भारत के मुख्य सिंचाई परियोजनाएं
- सभी प्रश्न भारत को जानो की किताब से ही पूछे जाएंगे।
- सभी शाखाओं को अपनी **OMR (Optical Mark Recognition)** भरी हुवी और बची हुवी खाली शीट्स प्रान्त को भेजनी है, उसकी

जगह परीक्षा के समय बता दी जाएगी।

- सभी शाखा को उत्तर पुस्तिका जाँच के बाद सभी विद्यार्थियों स्कूल अनुसार परिणाम दिया जाएगा एवं उस को विद्यालय के सूचना पट्ट पर लगवाएं।
- हर विद्यालय से दोनों वर्गो में प्रथम एवं द्वितीय आये विद्यार्थियों की स्कूल की एक टीम बनेगी, वह शाखा स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी।

शाखा स्तरीय और प्रान्त स्तर नियमावली

- शाखा स्तरीय प्रतियोगिता में 2 राउंड होंगे। सेमीफाइनल राउंड और फाइनल राउंड ।

सेमीफाइनल राउंड के नियम

- 1. मौखिक 10–10 प्रश्न हर टीम से पूछे जाएंगे एवं हर प्रश्न के सही उत्तर पर 10 अंक रहेंगे ।
- 2. हर प्रश्न का 20 सेकंड का समय रहेगा।
- 3. अगर जिस टीम से प्रश्न पूछा जाएगा, उस को नहीं आने पर अगली टीम को मौका दिया जाएगा एवं उसको सही उत्तर देने पर 5 अंक बोनस के दिए जाएंगे।
- 4. पहली 8 टीम जिन के अंक सब से अधिक हैं वह फाइनल राउंड में जायेगी ।

फाइनल राउंड के नियम

इस राउंड में 6 राउंड होंगे जो कि बजर या घंटी सिस्टम पर आधारित होंगे।

- 1. गौरवशाली अत्तीत
- 2. प्रगतिशील वर्तमान
- 3. भारत का गौरव

इन तीनों राउंड में हर टीम से हर राउंड में एक प्रश्न पूछा जाएगा एवं उस में हर टीम को सही उत्तर पर 10 अंक दिए जाएंगे और गलत देने पर माइनस मार्किंग नहीं की जायेगी। अगर जिस टीम से प्रश्न पूछा जाता है और उस को नहीं आता है तो जिस ने पहले बजर दबाया है उस को पूछा

जाएगा अगर कोई अन्य टीम उस जवाब देती है तो उस को बोनस 5 अंक दिए जाएंगे।

❖ 4. हिंट राउंड :–

इस राउंड में हर प्रश्न के 3 हिंट होंगे। यह राउंड बजर पर होगा। जो बजर पहले बजायेगा, उस को पहले पूछा जाएगा। उसमें सही उत्तर पर 20 अंक दिए जाएंगे और गलत होने पर (–)5 अंक किये जाएंगे। पहला हिंट पर सही उत्तर पर 15 अंक दिए जाएंग और गलत होने पर (–)10 अंक किये जाएंगे।

दूसरे हिंट पर सही उत्तर पर 10 अंक दिए जाएंगे और गलत होने पर 15 अंक किये तीसरे हिंट पर सही उत्तर पर 5 अंक दिए जाएंगे और गलत होने पर (–) 20 अंक किये जाएंगे। जाएंगे।

❖ 5. रैपिड फायर राउंड :–

इस राउंड में हर टीम से 30 सेकण्ड में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे सही उत्तर पर प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक और गलत पर कोई माइनस अंक नहीं किया जाएगा।

❖ 6. ऑडियो वीडियो राउंड :–

इस राउंड में एक आवाज सुनाई जायेगी या विजुयल दिखाया जाएगा उसमें जो टीम पहले बजर दबाएगी उससे उत्तर पूछा जाएगा, सही उत्तर देने पर 10 अंक दिए जाएंगे और गलत पर –10 दिए जाएंगे। गलत होने पर दूसरी टीम को मौका दिया जाएगा, जिस में सही उत्तर होने पर 10 अंक और गलत होने पर 5 अंक दिए जाएंगे।

ऑनलाइन भारत को जानो प्रतियोगिता

भारत विकास परिषद् द्वारा एक मेगाक्विज प्रोजेक्ट, ऑनलाइन भारत को जानो क्विज शुरू किया गया है, जो युवाओं के ज्ञानको बढ़ावा देगा और सक्षम करेगा। ऑनलाइन भारत को जानो प्रतियोगिता प्रतिभाशाली और उत्साही युवाओं को भारतीय कला, परंपराएं, विरासत और अतीत के गौरव की जानकारी के लिए एक मंच प्रदान करती है।

नियम और शर्तें–

1. प्रतिभागी छात्र के रूपमें किसी भी कॉलेज या संस्थान में नामांकित होना चाहिए और 12वीं की परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास की हो।
2. प्रश्नोत्तरी की तिथि पर प्रतिभागी की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. ऑनलाइन भारत को जानो प्रतियोगिता में उपस्थित होने के लिए :– 100/–

का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा।

4. प्रतियोगिता के विजेता को राष्ट्रीय स्तर पर नकद पुरस्कार दिया जायेगा।
5. प्रतियोगिता में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हों जिनका उत्तर केवल 40 मिनट के भीतर देना होगा।
6. प्रतिभागीअपने कंप्यूटर सिस्टम पर दी गई तिथि और समय पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में शामिल होगें। ई–मेल के माध्यम से उनके द्वारा सफलतापूर्वक पंजीकृत होने के बाद विवरण उन्हें सूचित कियाजायेगा।
7. प्रश्नोत्तरी मेंकेवल पंजीकृत प्रतिभागी ही भाग ले सकते हैं और इसमें दिए , सभी निर्देशों का प्रतिभागियों को पालन करना चाहिए।
8. प्रश्नोत्तरी के लिए पाठ्यक्रम कोई निश्चित नहीं होगा हालाँकि भारत याभारतीयों से जुड़ी कोई भी चीज, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो, प्रश्नोत्तरी का हिस्सा होगी और प्रश्न केवल इसी से संबंधित हों।
9. ऑनलाइन भारत को जानो प्रश्नोत्तरी के संबंध में अन्य सभी विवरण सभी प्रतिभागियों को संबंधित वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाए–

   www.bkjbharat.org
10. प्रतिभागियों को अवश्य रूप से एक आईडी प्रूफ संलग्न करना होगा।
11. ऑनलाइन पंजीकरण की विंडो अधि सूचना के अनुसार खुली रहेगी।
12. ऑनलाइनप्रतियोगिता के कार्यक्रम की सूचना वेबसाइट पर अधिसूचना द्वारा दी जाएगी।
13. ऑनलाइनप्रतियोतिा की अवधि 30 मिनट की होगी। प्रतिभागी ऑनलाइन प्रतियोगिता की अवधि से 15 मिनट पहले लिंक खोल सकते हैं।
14. ऑनलाइन परीक्षा में अंकन कोई नकारात्मक नहीं होगा।
15. दो यादो से अधिक प्रतिभागियों के बीच टाई होने की स्थिति में वेबसाइट पर एफएक्यूकॉलम के तहत् दिए गये दिशा निर्देशों के अनुसार विजेता तक पहुंचने की प्रणाली का पालन किया जाएगा।
16. वेबसाइट और अन्य स्थानों पर बताए गये पुरस्कार और प्रमाणपत्र विजेताओं को अधिसूचित किए जाने वाले कार्यक्रम के अनुसार दिए जाएगें।
17. किसी भी अन्य जानकारी के लिए प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट में निम्नलिखित मेल पते या अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों से संपर्क करें। ईमेल :–**bkj.online@bvpindia.com**

Bank Account Details for NEFT/RTGS Payment

A/C Name	:	**BVP ONLINE BKJ**
Bank Name	:	**SYNDICATE Bank**
A/C No.	:	**90962010103749**
IFSC No.	:	**SYNBO009096**
MICR No.	:	**110025125**

Bank Address : Pitampura,
CD-Block, Aggarwal Chambers' Delhi-110088

राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता

भारत विकास परिषद् जनमानस में देश–प्रेम की उदात्त भावना के जागरण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष हिन्दी एवं संस्कृत राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का आयोजन करती है। इस संबंध में आवश्यक विवरण व नियम निम्न प्रकार हैं–

प्रतियोगी कौन ?

इन प्रतियोगिताओं में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे।

प्रतियोगिता में संगीत विद्यालयों का प्रवेश वर्जित है।

प्रतियोगिता का स्वरूप एवं नियम :–

1 हिन्दी एवं संस्कृत के कुछ श्रेष्ठ चुने हुए गीतों को सार्वदेशिक रूप से लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से परिषद् द्वारा अनुमोदित पुस्तिका (राष्ट्रीय–चेतना के स्वर) में से ही गीत की स्वर संयोजना करके हिन्दी एवं संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2 ''राष्ट्रीय चेतना के स्वर'' से लिया गया संपूर्ण गीत निश्चित समय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3 गीत के प्रस्तुतिकरण के समय गीत के भावानुसार, अपने स्थान पर ही खड़े रहकर शरीर के हाव–भाव प्रदर्शन की अनुमति है। हिन्दी एवं संस्कृत गीतों में स्थान बदलने की अनुमति नहीं है। लोक गीतों की प्रतियोगिता में स्थान बदल सकते हैं।

4 भाग लेने वाली टीम, वादक व वाद्य यंत्र अपने साथ लायेंगी। वादकों की अधिकतम संख्या तीन होगी। कोई भी विद्युत या बैटरी चलित यंत्र प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा। इन वाद्य यंत्रों के प्रयोग हेतु साजिन्दों की संख्या समूह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों से पृथक होगी।

5 एक टीम में गायकों की संख्या 6 से 8 (छात्र/छात्राएं या दोनों) होनी चाहिए।

6 प्रत्येक टीम को प्रतियोगिता के लिए सात मिनट का समय अपने

समूहगान प्रदर्शन के लिए मिलेगा एवं इस अवधि की गणना गीत या संगीत जो भी पहले आरंभ होगा, उससे की जायेगी। इस अवधि से अधिक समय लेने वाली टीम के प्राप्त अंकों के योग में से पांच अंक काट लिये जायेंगे।

7 अधिकतम अंक संख्या 100 होगी। ये अंक निम्न रूप से 20–20 के अंशों में बांटे जायेंगे। संगीत–संयोजना, स्वर, ताल, उच्चारण एवं प्रस्तुतीकरण।

8 प्रतियोगिता में वे स्वर रचनाएँ अधिक अच्छी समझी जायेंगी जो शास्त्रीय (हिन्दुस्तानी या कर्नाटक) संगीत से प्रेरित या लोकगीतों अथवा प्रादेशिक धुनों पर आधारित होंगी।

9 प्रतियोगिता में भाग लेते समय प्रत्येक टोली को किसी भी प्रकार की वेश–भूषा पहनने की अनुमति है, परन्तु विद्यालय का बैज बैल्ट, संकेत चिन्ह आदि का प्रयोग करना वर्जित है।

10 गीत प्रस्तुतीकरण से पूर्व मंच पर भूमिका रखने की अनुमति नहीं है।

11 प्रस्तुतीकरण के समय टीम द्वारा अपने विद्यालय का नाम बताना वर्जित होगा।

12 निर्णायक मण्डल में अनुभवी संगीतज्ञ, कला विशेषज्ञ व भाषा विद्वान होंगे। परिषद् द्वारा घोषित माननीय निर्णायकों का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

13 संयोजन समिति को राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता से संबंधित किसी भी विषय में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

14 प्रतियोगिता के कुछ समय पूर्व सभी टोली के प्रमुखों को एक विशेष बैठक में बुलाया जायेगा, जिसमें आयोजन समिति द्वारा सभी के सामने प्रदर्शन के क्रम आदि का निर्णय ड्रा द्वारा लिया जायेगा। संयोजक का निर्णय अंतिम और सभी के लिए मान्य होगा।

15 शाखा स्तर से वही टीम प्रांत में शाखा का प्रतिनिधित्व करेगी जिसके हिन्दी एवं संस्कृत दोनों प्रतियोगिताओं में सम्मिलित रूप से कुल प्राप्तांक सर्वाधिक होंगे। इसी प्रकार प्रांत स्तरीय प्रतियागिता में हिन्दी व संस्कृत दोनों प्रतियोगिताओं को मिलाकर

सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली टीम रीजनल स्तर पर भाग लेगी। इसी प्रकार रीजन की हिन्दी तथा संस्कृत में सर्वाधिक अंक पाने वाली टीम ही राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेगी। अगर किसी कारणवश प्रथम स्थान पाने वाली टीम भाग नहीं ले पाती है तो द्वितीय स्थान पाने वाली टीम भाग ले सकेगी। परंतु इसकी अनुमति संयोजक से पहले ही लेनी होगी।

16 सभी टोलियों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित रहना अनिवार्य है।

17 प्रत्येक समूह के साथ उसी विद्यालय के एक शिक्षक का आना अनिवार्य है।

पुरस्कार व सम्मान

प्रतियोगिता की विजेता टोलियों के लिए अलग–अलग पुरस्कार होंगे। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को प्रमाण–पत्र भी दिया जायेगा।

आवश्यक सूचना

- शाखाओं/प्रांतों से आने वाली टोलियों के खाने व रहने की व्यवस्था आयोजक करेंगे।
- शाखाओं/ प्रांतों से आने वाली टोलियों को आने–जाने का किराया व संबंधित व्यय स्वयं वहन करना होगा।
- प्रतियोगिता में आने वाली टीमों के लिए आवश्यक है कि वे प्रतियोगिता से 20 दिन पूर्व प्रतियोगिता के स्थानीय व राष्ट्रीय मंत्री को अपने पहुँचने की निश्चित तारीख व समय सूचित करें। जो टीम अपने रहने व खाने का प्रबंध स्वयं करना चाहें वे कृपया 15 दिन पूर्व सूचित करें।
- अखिल भारतीय स्तर पर भाग लेने वाली टोली प्रविष्टि पत्र के साथ शुल्क के रूप में रू 1000/– की राशि का भुगतान (आयोजक प्रांत के निर्देशानुसार) नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट के द्वारा करेगी।

राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली लोकगीत प्रतियोगिता के नियम :–

- राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी एवं संस्कृत गीतों की प्रतियोगिता के अलावा लोकगीत प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें भाग लेना ऐच्छिक होगा।
- लोकगीत प्रतियोगिता में 'राष्ट्रीय चेतना के स्वर' से हिन्दी एवं संस्कृत गीतों की प्रतियोगिता में प्रथम आयी हुई टीम ही भाग ले सकेगी।
- लोकगीत का चयन टोली स्वयं करेगी। जिस गीत का चयन करेंगे, वह देशभक्ति, लोक कला या भक्तिभाव से प्रेरित हों। चयनित गीत का हिन्दी या अंग्रेजी अनुवाद प्रतियोगिता से पूर्व (ड्रा के समय) अनुमति देने हेतु जमा करना अनिवार्य होगा।
- इस प्रतियोगिता में प्रस्तुति के समय प्रतिभागी अपना स्थान बदल सकते हैं।
- इस प्रतियोगिता के अन्य नियम व पुरस्कार राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता के अनुसार ही होंगे।

क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है
अहंकार से मान नष्ट होता है
लालच से ईमान नष्ट होता है
चिन्ता से आयु नष्ट होती है
वासना से चरित्र नष्ट होता है

Bharat Vikas Parishad
Rajasthan (Central)

भारत विकास परिषद्
राजस्थान (मध्य) प्रान्त

जानिए गौ महत्त्व

1. हर घर में कम से कम एक गाय अवश्य पालनी चाहिए और वो भी नहीं होता तो दस घर मिलकर एक गाय का पालन कर सकते है।
2. आजकल के लोग वो भी नहीं कर सकते तो हर घर में गौ सेवा के लिए दान पात्र लगाएं और रोज कुछ ना कुछ धन उसमें डाल दिया करिए.. हर महीने के अंत में किसी भी गौ सेवा संस्थान को ये दान दिया जा सकता है।
3. रोज नारे लगाते हैं हम, गौ माता की रक्षा हो...अधर्म का नाश हो पर गौ सेवा के नाम पर सब पीछे हट जाते हैं...। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है फिर भी हम एक गाय नहीं पाल सकते ? क्यों ?
4. कोशिश कीजिए कि पैकेट का दूध घर में नहीं लें और दूध वाले से गौमाता का ही दूध खरीदें..घर घर देसी घी, दही, मक्खन आना चाहिए, पैकेट का नहीं। ऐसा करने से गौ वंश बढ़ेगा।
5. यज्ञों के दौरान गायों को चढ़ावा और विनिमय का अत्यन्त महत्त्व था। किसी व्यक्ति के धन का आकलन उसकी गायों की संख्या द्वारा किया जाता था।
6. भगवान श्रीकृष्ण गोपियों के घर कोई धन दौलत नहीं चुराने गए। वो माखन चुराने जाया करते और गौ माता के लिए श्रीकृष्ण जी ने अपने आपको माखनचोर कहलाना भी योग्य समझा।
7. भगवान गोपियों के घरों में उनको भगाने के बाद भी आते थे क्योंकि वहां गौमाता रहती थी...पर अगर गौ माता नहीं होती तो भगवान गोपियों के बुलाने पर भी घर में नहीं जाते।

8. गौ–पालन में सहयोगी लोगों का पालन भी भगवान ही करते हैं। बशर्ते वे अपने को प्रेम से, ईमानदारी से और भक्ति से इस कार्य में लगाएं।
9. महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि गाय जहां बैठ कर निर्भयतापूर्वक सांस लेती है, उस स्थान के समस्त पापों को खींच लेती है, इस प्रकार गौ के साथ–साथ उस भूमि पर रहने वाले समस्त जीव पापरहित होकर मृत्यु उपरान्त स्वर्गगामी होते हैं।
10. जिस घर में गाय के लिए पहली रोटी निकाली जाती है तथा गाय को दी जाती है वहां के निवासी हमेशा सुखी रहते हैं।
11. जिस भूमि पर गाय को रविवार के दिन स्नान कराया जाता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है तथा लक्ष्मी स्थिर रहती है, वहां के निवासी स्वस्थ एवं चैन से रहते हैं।
12. जिस घर में गौमूत्र का यदा–कदा छिड़काव किया जाता हो, वह घर लक्ष्मी से युक्त होता है।
13. घर के किसी भी भाग में हमेशा गोबर लेपन करने से लक्ष्मी उस घर में सतत बनी रहती है।
14. गाय को स्नान कराने वाले को कोटि–कोटि पुण्य प्राप्त होता है।
15. आजकल लोग गौ माता को कुछ भी बचाकुचा खाना देते हैं... याद रहे कि आपके घर के सामने गौ माता जो भी खाती है वो आपके पूर्वजों को मिलता है।
16. गाय के दूध में स्वर्ण तत्व पाये जाते हैं, यह तत्व माँ के दूध के अतिरिक्त दुनिया के किसी भी पदार्थ में नहीं है।
17. गाय के गोबर से प्रतिवर्ष 500 लीटर बायो गैस मिल सकता है।
18. गाय द्वारा छोड़ी गयी श्वास से सभी अदृश्य एवं हानिकारक बेक्टिरिया मर जाते हैं। ये अंदर ऑक्सीजन लेती है लेकिन बाहर (CO2+O2) छोड़ती है जिसमें O2 की मात्रा ज्यादा होती है।

Bharat Vikas Parishad
Rajasthan (Central)
भारत विकास परिषद्
राजस्थान (मध्य) प्रान्त

क्यों छोड़ें भोजन प्लेट में-आज मेहमान कल मेजबान

हाल ही में एक शादी समारोह में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मेजबान ने अपनी ओर से भव्य व्यवस्था की थी। लजीज व्यंजनों की अनगिनत स्टॉल्स में ऐसा जायका उंगलियां चाटते रह जाये। इतनी सुन्दर एवं सुनियोजित व्यवस्थाओं के बावजूद भी मन में यह देखकर काफी पीड़ा हुई कि अधिकतर लोगों ने प्लेटों में काफी जूंठा छोड़ा। अगली सुबह मित्र से जानकारी लेने पर पता लगा कि लगभग 200 आमंत्रितों का भोजन बच गया। मैं उनसे ओर कुछ कह पाता इसके पहले ही वो बोल पड़े, भाई साहब जो भोजन बच गया उसका कोई अफसोस नहीं, वो तो तुरन्त हमने कुछ संस्थाओं, देवालयों में पहुँचा दिया और उसका उपयोग हो गया। मगर अफसोस उसका है जो लोगों ने अपनी प्लेट में जूंठा छोड़ दिया। इतने लोगों में से जिन लोगों ने जूंठन छोड़ी वह भी इतनी थी कि उससे भी 150–200 लोग आराम से भरपेट भोजन कर सकते थे।

प्लेटों में जूंठा छोड़ दिये जाने के कई कारण हो सकते हैं जो चिन्तनीय हो सकते हैं। आज के इस आधुनिक समाज में यह आत्मचिन्तन का विषय है, जिसमें प्रथम सर्वाधिक चिन्तन का विषय है जरूरत से ज्यादा परोस लेना एवं दूसरा सर्वाधिक चिन्तन का विषय है लोगों को खुश करने या दिखावे के लिए जरूरत से ज्यादा व्यंजनों को बनाना। बफर में यह सुविधा होती है कि आप अपने पसंद के व्यंजन को चाहे जितनी बार, चाहे उतनी मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन पता नहीं दोबारा मिलेगा या नहीं अथवा दोबारा लेने कौन जाएगा जैसी मनोवृत्ति से एक ही बार में प्लेट में पहाड़ खड़ा कर लेते हैं। कभी–कभी प्रस्तुत व्यंजनों की जानकारी के अभाव में कम पसंद व्यंजन प्लेट में परोसने के बाद भी प्लेट में छोड़ने का कारण बनती है। मेजबान की ईच्छा होती है कि उसके यहाँ आने वाला हर मेहमान पूरी तरह संतुष्ट होकर जाए। इसी कारण वह नाना प्रकार के

Bharat Vikas Parishad
Rajasthan (Central)
भारत विकास परिषद्
राजस्थान (मध्य) प्रान्त

व्यंजन प्रस्तुत करता है। मगर हमें भी चाहिये कि हम उनमें से अपनी पसंद के ही व्यंजन ग्रहण करें। हाथ में प्लेट थामते ही, एक सिरे से तमाम व्यंजन प्लेट के हवाले कर पहाड़ चुनने के बजाय पसंद के अनुसार पेट के हवाले करते जाएं। इससे एक समय ऐसा आएगा जब आपको महसूस हो जायेगा कि बस अब और नहीं..। इससे काफी हद तक भोजन की बर्बादी पर अंकुश हो सकता है। इस समस्या के निदान हेतु कुछ सुझाव बहुमूल्य हो सकते हैं – 1. व्यंजन स्थल पर बैनर पर उसकी सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो। 2. कैटरर्स की सर्विस पर सूझबूझ से ध्यान दें। 3. काऊंटर्स थोड़े खुले रखें ताकि अधिक भीड़ इकट्ठा नहीं होवे। इसके साथ ही कुछ पोस्टर्स भी डिस्प्ले किये जा सकते हैं। जैसे क्षमा करें, प्लेट में जूंठन ना छोड़ें। जूंठा छोड़कर भोजन और हमारा अपमान ना करें । भजन और भोजन को भगवान का प्रसाद समझ कर ग्रहण करें आदि। इसके साथ ही आगंतुकों के स्वागत सत्कार के साथ–साथ बीच–बीच में आग्रहानुग्रह पूर्वक उनकी मनुहार भी करते रहें। इन बिन्दुओं पर चिन्तन कर हम काफी हद तक भोजन की बर्बादी पर रोक लगा सकते हैं। सभ्यता के लाखों वर्षो के बावजूद भी आज हम इतना भी नहीं जान पाए कि अपनी क्षुधा शान्ति के लिए हमें कितने भोजन की आवश्यकता है, साथ ही हमें ये तो समझना ही पड़ेगा कि आज हम मेहमान बनकर गये हैं, कल मेजबान बनकर खड़े होंगे। क्या हम यह सचमुच समझ पायेंगे.....

**गुस्से में खाया गया भोजन कभी नहीं पचता ।
इससे पेटदर्द, बदहजमी और अन्य रोग बढ़ते जाते हैं।**

Bharat Vikas Parishad
Rajasthan (Central)

भारत विकास परिषद्
राजस्थान (मध्य) प्रान्त

टेलीविजन अधिक देखने से हानियाँ

1. अमेरीकी वैज्ञानिक डॉ. रेनाल्ड के शोधानुसार अमेरीका में प्रतिवर्ष रंगीन टी.वी. देखने से 500 बच्चे ब्लड कैंसर के शिकार होते हैं।
2. टी.वी. देखने से कभी भी शरीर के किसी भी हिस्से में पक्षाघात, लकवा हो सकता है। जिस कमरे में टी.वी. चलता हो वहाँ देखना तो दूर, उस कमरे में बैठना या सोना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
3. लम्बे समय तक लगातार झुक कर टी.वी. देखने से रीढ़ की हड्डी के रोग होते हैं। टी.वी. की ओर पीठ करके बैठने से नाड़ी तंत्र के रोग होते हैं तथा मस्तिष्क भी विकृत हो सकता है। नितम्ब की चर्बी अधिक बढ़ जाने से शरीर बेडौल हो जाता है। शारीरिक श्रम की कमी होने से मोटापा बढ़ जाना तथा कब्ज होना तो सामान्य बात है।
4. मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से चिड़चिड़ा स्वभाव, स्मृति कमजोर तथा सद्‌बुद्धि की कमी होती है। निर्णायक शक्ति कमजोर होती है। अनिद्रा, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, दु:स्वप्न आदि रोगों के लक्षण होने लगते हैं।
5. कर्त्तव्य बोध एवं दायित्व का अभाव होता है। बड़ों के प्रति सम्मान तथा छोटों के प्रति स्नेह की कमी होती है।
6. टी.वी. से जहां एक ओर पारिवारिक तनाव उत्पन्न होता है, वहीं दूसरी ओर वातावरण भी प्रदूषित होता है। पढ़ाई में मन कम लगता है। शारीरिक शक्ति तथा मानसिक ऊर्जा का अनावश्यक व्यय होता है। समय का ठीक तरह से मूल्यांकन नहीं होता ।
7. भौतिक आकर्षण की तरफ झुकाव होने से धन का अपव्यय होता

है। सद् साहित्य तथा सत्संगत के प्रति उपेक्षा भाव पैदा होता है। नई वस्तुओं को खरीदने या प्राप्त करने की। ईच्छा जागृत होती है।

8. एक अन्य परीक्षण यह किया गया कि जिस कमरे में टी.वी रखा गया था, उस कमरे में गर्भवती स्त्रियों द्वारा 4 बच्चों को जन्म दिया तो देखा पाया गया कि बच्चे तो अंधे थे व एक बच्चे को लकवा था।

निष्कर्ष:: कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि कई दृष्टियों लम्बे समय तक लगातार टी.वी. देखना या उस कमरे में रहना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से हानिकारक हो सकता है। अतः सभी को टी.वी. देखने के प्रति विवेक चेतना को जागृत करना चाहिए। ज्ञान वृद्धि के लिए संस्कार, आस्था, अहिंसा एवं डिस्कवरी चैनल नियमानुसार देखा जा सकता है। भोजन करते समय एवं चाय पीते वक्त टी.वी. देखने का निषेध रखें।

नम्रता सीखनी है तो दानी, त्यागी वैरणी से सीखें

दिव्यांग शिविर

भारत विकास परिषद् ने भारतमाता एवं स्वामी विवेकानन्द के आदर्शों से प्रेरित होकर भारतीय दर्शन एवं जीवन–मूल्यों को केन्द्र बिन्दु मानकर सेवा और संस्कारों के विविध प्रकल्पों के माध्यम से देश के सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया है। भारतीय जनमानस में भारतीय संस्कारों एवं आदर्शों के आधार पर रचनात्मक जन–आंदोलन का सृजन और समाज के निर्बल, निर्धन एवं विपदाग्रस्त व्यक्तियों की सेवा का संकल्पित संगठन है।

भारत विकास परिषद् समाज के प्रबुद्ध, संभ्रान्त एवं बुद्धिजीवी वर्ग को संगठित करके उन्हें देश के दिव्यांग एवं निरक्षर वर्ग की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। देश एवं विदेश के 1474+61 शाखाओं के 69943+4500 (1.50 लाख) परिवारों के माध्यम से अहर्निश देश की सेवा कर रहा है। सामाजिक संगठन के नाते भारत विकास परिषद् की मान्यता है कि हम समाज की सभी समस्याओं का निदान तो नहीं कर सकते हैं परन्तु एक भी समस्या का यदि निदान कर सकें तो बड़ी उपलब्धि होगी। इसी बात को ध्यान में रखकर दिव्यांगता की समस्या को विशेष प्राथमिकता दी है। आज पूरे देश भर में राष्ट्रीय प्रकल्प के रूप में 13 कृत्रिम सेंटर पर बनते है यह सेंटर सांचौर, दिल्ली, रांची, पटना, हैदराबाद, अहमदाबाद, लुधियाना, कोटा, पुणे, हिसार, मुरादाबाद, नगर रोटा (हिमाचल) व गुवाहाटी में है जिनके द्वारा 3,11,969 लोगो को लाभान्वित हुए है। इसके लिए राष्ट्रपति से 1995, 2004 एवं 2007 में इन दिव्यांगो सेंटर को समानित किया है अपने प्रांत में 28 वर्षो में ऐसे अब तक 43 स्थानों पर शिविर लगा चुके है, जो अपने प्रांत के लिए गौरव है रिकार्ड है जो अभी तक कृत्रिम पैर 1675, हाथ 104 केलीपर्स 830, लाभान्वित हुये। बैशाखियां 755 सहित अन्य सामग्री में 3900 दिव्यांग भाई–बहन लाभान्वित हुये।

इसके अलावा भारत विकास परिषद् 1683 स्थायी प्रकल्पों का संचालन कर रही है। इन प्रकल्पों में दिव्यांग सहायता, विद्यालयों का संचालन, फिजियोथेरेपी केन्द्र अस्पताल, चल चिकित्सालय, गाँवों का समन्वित विकास, आदिवासी शिक्षण हेतु सहायता आदि हैं।

कृत्रिम उपकरणों का निर्माणः हमारे दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र कृत्रिम अंगों एवं उसके भागों का निर्माण करने हेतु आधुनिकतम मशीनरी से लैस हैं। हमारे प्रशिक्षित तकनीशयनों ने इन अंगों की विकास फुट के नाम से नई पहचान दी है। यह देखने में सुन्दर तथा असली अंगों की तरह चलने, बैठने, दौड़ने, तैरने खेतों में काम करने, साईकिल, मोटरसाइकिल, कार चलाने जैसे समस्त कार्य कर सकता है।

भावी योजनाएँः हम एक दिव्यांग मुक्त ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें ये लोग सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा से पूर्णरूपेण जुड़ सकें ताकि इनका जीवन समर्थ और सम्मानपूर्ण हों। अनेक राज्यों से शारीरिक दिव्यांगता बहुत हद तक दूर की जा चुकी है यथा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। भारत विकास परिषद् ने भी संकल्प लिया है कि "21वीं सदी का भारत दिव्यांग मुक्त भारत''। इस संकल्प को पूरा करने में पूरी तरह क्रियाशील भी है।

सहयोग : आपका स्नेहिल सहयोग एक दिव्यांग के जीवन में आशा की किरण ला सकता है।

परिषद् के दिव्यांग सहायता व पुनर्वास केन्द्र

1. अहमदाबाद–भारत विकास परिषद् दिव्यांग केन्द्र (पालदी सेवा ट्रस्ट) 22, जयदीप टावर बेसमेन्ट, निकट, धरनीधर डेरासर वसंत गजेन्द्रा गडकर ओवरब्रिज वासना, अहमदाबाद– 380007 फोन –26622257
2. दिल्ली– प्लॉट नं. 6ए, सुविधा केन्द्र– 10, ताहिरपुर, दिलशाद गार्डन, दिल्ली–110095 (निकट ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल एवं पूर्वी दिल्ली खेल परिसर के सामने) फोन–011–22596387, 22120559
3. गुवाहाटी– भारत विकास परिषद् दिव्यांग सहायता केन्द्र बासुराम योगमाया भवन, बिशनपुर मेन रोड, पो. गुवाहाटी – 781001, मोबाइल: 9435044241
4. हिसार–दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, भारत विकास फाउण्डेशन, न्यू ऋषि

नगर, नजदीक बस स्टैण्ड, हिसार– 125001 (हरियाणा), फोन– 01662–230451

5. हैदराबाद – भारत विकास परिषद् चौरिटेबिल ट्रस्ट, डॉ. सूरज प्रकाश सदन, 3–142, शांति नगर कूकातपल्ली, हैदराबाद–500072 फोन–040–23068721, 23060733
6. इन्दौर– भारत विकास परिषद् सेवा न्यास, 19, रूपराम नगर, गुणवंती देवी नारायण दास कपूर भवन, इन्दौर– 452004 (म.प्र.) फोन– 0731–2467910
7. कोटा–भारत विकास परिषद्, पुनर्वास केन्द्र प्रताप नगर, दादावाड़ी, कोटा (राजस्थान) – 324009 फोन–0744–2501325 एक्स–263
8. लुधियाना–भारत विकास परिषद् दिव्यांग सहायता एवं पुनर्वास केन्द्र (भारत विकास परिषद् चौरिटेबिल ट्रस्ट) 100–सी. ब्लाक 1. ऋषि नगर, नजदीक टेलीफोन एक्सचेन्ज, लुधियाना–141001 (पंजाब) फोन– 0161–2555444
9. मुरादाबाद – भारत विकास परिषद् दिव्यांग सेवा न्यास, कमरा नं. 10. श्री साई अस्पताल, मानसरोवर–दिल्ली रोड, मुरादाबाद–244001 फोन: 0591–2479800
10. नगरोटा–भारत विकास परिषद् दिव्यांग पुनर्वास संस्थान, उद्योग नगर, नगरोटा बागवां, जिला– कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) फोन–01892–252329, 253520
11. पटना– भारत विकास दिव्यांग पुर्नवास केन्द्र एवं संजय आनंद विकलांग अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, पहाड़ी, पटना–गया राष्ट्रीय उच्चमार्ग (मसौढ़ी रोड) पोस्ट–गुलजारबाग, पटना–7 फोन– 0612–6560186
12. पुणे – दिव्यांग पुनर्वसन केन्द्र, 1207, शुक्रवार पेठ, सुभाषनगर, रस्ता क्र. 3, डॉ. पाकर नर्सिंग होम, समोर, पुणे–411002 फोन – 020–24454102
13. सांचोर – भारत विकास परिषद् दिव्यांग सहायता एवं पुनर्वास केन्द्र, निकट बोधरा फार्म हाउस हारेचा रोड, सांचोर – 343041, जि. जालौर (राज.) मोबाईल: 9314611140

स्वास्थ्य परिक्रमा एवं योग

वन्देमातरम

पहला सुख निरोगी काया इसी वाक्य को ध्येय मानकर भारत विकास परिषद् द्वारा सेवा प्रकल्प के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं योग के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किये जा रहें है। इस क्षेत्र में और क्या–क्या कार्य किये जा सकते हैं तथा उन्हें सुन्दर एवं सुव्यवस्थित ढंग से कैसे संपादित कर सकते हैं, इस विषय पर जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। आशा है ये आपके लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

चिकित्सा शिविर का आयोजन :–

हम विभिन्न प्रकार के चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर सकते है जो निम्न प्रकार है।

1. **सुपर स्पेशिलिटी शल्य चिकित्सा कैम्प–** हमें अपने शहर या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जहां विशेषज्ञ डॉ. नहीं है वहा इस तरह के कैम्प का आयोजन अवश्य करना चाहिए। जैसे ई.एन.टी. कार्डियोलाजी, न्यूरोलोजी आदि का एक बड़ा कैम्प का आयोजन हो, जिसमें रोगों का निदान, उपचार एवं शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. के द्वारा हो इसके लिए हम कोटा में संचालित भारत विकास परिषद् के हॉस्पिटल की टीम का भी सहयोग ले सकते हैं।
2. **सामान्य चिकित्सा कैम्प –** स्किन डिजीज, चेस्ट, टी.बी. आदि बिमारियों के लिए हम विशेषज्ञ डॉ. को बुलाकर कैम्प का आयोजन कर सकते हैं।
3. **दिव्यांग सहायता शिविर–** हमें अपने क्षेत्र में जरूरतमंद दिव्यांगों की पहचान कर एक दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन करना चाहिए, जिसमें हम उन्हें बैसाखी, ट्राई साइकिल या कृत्रिम अंग लगाने का कार्य कर सकते है।
4. **मोतियाबिन्द का ऑपरेशन कैम्प–** प्रत्येक जिले में एक जिला अन्धता निवारण समिति होती है जिसका अध्यक्ष जिले का कलक्टर होता है । कैम्प की परमिशन यहीं से मिलती है लेकिन

पहले सीएमएचओ को एप्लीकेशन देनी होती है। कैम्प राजकीय चिकित्सालय में ही आयोजित होता है। लैन्स दवाओं आदि का व्यय हमें उठाना होता है जो लगभग प्रति मरीज 1500 रू. आता है। सरकार से हमें प्रति मरीज 2000 रू. की सहायता प्राप्त होती है।

5. एनीमिया मुक्त भारत मिशन– एनीमिया मुक्त भारत मिशन में भारत विकास परिषद् अच्छा कार्य कर सकती है। हमें हीमोग्लोबीन जाँच शिविर का आयोजन करना चाहिये एवं जिनके एचबी कम हो उन्हें डॉ. की सलाह से आयरन टेबलेट का वितरण किया जा सकता है।
6. नेत्र जाँच शिविर– विद्यालयों में जाकर सभी बच्चों की आँखों की जाँच कर जरूरतमंद बच्चों को चश्मा वितरित किया जा सकता है। इसमें एक चश्मे की कीमत लगभग 250 रू. आती है।
7. न्यूरोथैरेपी कैम्प– यह 3 दिन का कैम्प होता है इसमें साइटिका, कमर दर्द आदि का इलाज होता है जिसमें तुरन्त – आराम मिलता है इसमें कपिंग, अग्निकर्म, विद्धकर्म आदि द्वारा उपचार होता है। 3 व्यक्तियों की टीम आती है। अनुमानित व्यय 5000 रू. सम्पर्क सूत्र डॉ. अंजू कटारा सीनियर मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद विभाग पुष्कर – (9772948936)।
8. बहिरंग आयुर्वेद चिकित्सा शिविर– कृष्ण गोपाल कालेड़ा के आयुर्वेद चिकित्सकों की टीम द्वारा एक दिवसीय कैम्प, दवाओं व आने–जाने का सम्पूर्ण व्यय ट्रस्ट द्वारा उठाया जाता है हमें केवल स्थान व व्यवस्थाएं उपलब्ध करानी होती है।
9. पाईल्स, पिस्टूला, फिशर के लिये आयुर्वेदिक कैम्प – यह लगभग 10 दिन का कैम्प होता है, इसमें 25 से 30 कर्मचारियों की टीम आती है सम्पूर्ण व्यय सरकार का होता है, हमें केवल उन्हें व्यवस्थाऐं देनी होती है। अनुमानित खर्च 80000रू. आता है। सम्पर्क सूत्र डा. शिव सिंह अति. निदेशक आयुर्वेद विभाग–अजमेर संभाग (8005784307) यह कैम्प निजी स्तर पर लगाने पर लगभग 500000रू. का व्यय आता है।
10. तप सेवा सुमिरन समिति कैम्प– मेरठ की संस्था इन्टरनेशनल

एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक स्प्रिचुलिज्म द्वारा डा. गोपाल शास्त्री के सानिध्य में एक दिवस या सात दिवस के शिविर का आयोजन किया जाता है जो आवासीय एवं गैर आवासीय दोनों प्रकार का होता है, जिसमें साधक का सात दिन का आहार विहार, बौद्धिक एवं योग आसन द्वारा सभी प्रकार की बिमारियों का इलाज किया जाता है सम्पर्क सूत्र– डॉ. गोपाल शास्त्री 8630204584

11. **स्थायी प्रकल्प के रूप में –** हम चिकित्सा के क्षेत्र में एक स्थायी प्रकल्प चला सकते हैं, जिसमें वॉकर, व्हील चैयर, फोल्डिंग बेड आदि उपकरण जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध करवाना एवं नियमित अंतराल पर बी.पी., शुगर जैसी बिमारियों की जाँच एवं दवा वितरण का कार्य किया जा सकता है।
12. इनके अतिरिक्त हम एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर प्राकृतिक चिकित्सा शिविर, फीजियोथैरेपी शिविर आदि कई प्रकार के शिविरों का आयोजन कर सकते हैं।

सेमीनार का आयोजन :–

हमारा पहला प्रयास यह होना चाहिये कि लोग बीमार ही नहीं हों इसके लिए लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना आवश्यक है। इसके लिए हम निम्न प्रयास कर सकते है।

1. **स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर सेमीनार–** विभिन्न विद्यालयों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर राजकीय चिकित्सकों की सहायता से सेमीनार का आयोजन करें, जिसमें डॉ. अपनी यूनिफॉर्म में हो एवं गले में स्टेथेस्कोप लगा कर रखें इससे बच्चों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है एवं इस कार्य के लिये शनिवार के दिन का चयन करें क्यों कि प्रत्येक शनिवार विद्यालयों में नो बैग डे रहता है यह दिन इसी प्रकार के कार्यों के लिए रहता है।
2. **नशामुक्ति शिविर–** कॉलेज एवं शहर स्तर पर एक दिन का नशा मुक्ति शिविर अवश्य लगाना चाहिये, इसके लिए प्रतिष्ठित डॉ. या किसी धर्मगुरू को बुलाकर उनका बौद्धिक रखा जा सकता है।
3. **महिलाओं में जागरूकता का प्रयास–** विशेषतया ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को खुले में शौच के दुष्प्रभाव, सेनेट्री पैड का उपयोग

एवं स्वच्छता पर चर्चा करने के लिए परिषद् की मातृ शक्ति किसी महिला डॉ. के साथ सेमीनार का आयोजन कर सकते हैं।

4. **डाइट प्लान पर सेमीनार–** हम बीमारियों से बचें इसके लिए क्या खाएं एवं क्या ना खाएं इस विषय पर भी सेमीनार का आयोजन किया जा सकता है।

योग एवं प्राणायाम

योग स्वस्थ जीवन यापन की कला एवं विज्ञान है। अपने जीवन में प्रतिदिन योग एवं प्राणायाम को अपनाकर हम सभी प्रकार की व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं । समाज में योग एवं प्राणायाम के प्रति चेतना लाने के लिए भारत विकास परिषद् निम्न कार्य कर सकती है।

1. योग शिविर का आयोजन किसी ऐसे योग प्रशिक्षक से सम्पर्क कर के जो अच्छा वक्ता भी हो योग शिविर का नगर स्तर पर आयोजन अवश्य करना चाहिये योग प्रशिक्षक दूसरे शहर से भी बुलाए जा सकते हैं।
2. योग को प्रत्येक शाखा को स्थायी प्रकल्प के रूप में वर्ष पर्यन्त चलाने का प्रयास भी किया जा सकता है। इससे शाखा के सदस्यों का प्रतिदिन मिलने का कार्य भी हो जाता है तथा नये प्रकल्पों पर भी चर्चा की जा सकती है।
3. भावी पीढ़ी को योग से जोड़ने के लिए विद्यालयों में जाकर योग को जानो प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। इससे पहले विद्यालयों में योग एवं प्राणायाम से संबंधित साहित्य जरूर उपलब्ध कराएं जिससे बच्चे इस विषय में जानकारी प्राप्त कर के प्रतियोगिता में भाग लें। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों बच्चों को पुरस्कार अवश्य दें।
4. योग की आवश्यकता विषय पर शहर स्तर पर निबन्ध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा सकता है।

योगासनों से लाभ

आसन –

पवन–मुक्तासन (भाग १) – शरीर से, विशेषत: जोड़ों से वायु और अम्ल निकालने में तथा गठिया और वात रोगों में प्रभावकारी है।

पवन–मुक्तासन (भाग २) – पेट सम्बन्धी रोगों, जैसे कब्ज, गैस या अपचन में उपयोगी है।

शिथिलीकरण–

1. मकरासन–रीढ़ की हड्डी या पीठ के दर्द तथा फेफड़ों के रोगों में लाभदायक है।
2. ज्येश्टिकासन–गर्भाश्य की मांसपेशियों को शिथिल करता है। गर्भ के समय महिलाओं के लिए लाभकारी है।
3. अद्वासन–रीढ़ सम्बन्धी रोगों, कड़ी गर्दन या सामने की ओर झुके हुए शरीर वालों के लिए विशेषत: उपयोगी हे।

अन्य आसन

4. नौका संचालन– इससे पेट के सारे अंग एवं मांसपेशियों की मालिश होती है। यह आसन गर्भवती महिलाओं के लिए उपयोगी है।
5. वज्रासन– यह आसन सम्पूर्ण पाचन–प्रणाली की कार्य कुशलता को बढ़ाना है।
6. शशांकासन– यह आसन कूल्हों और गुदा स्थान के मध्य स्थित मांसपेशियों को सामान्य रखता है। साइटिका में लाभकारी है।
7. मार्जारी आसन– यह आसन गर्दन, कन्धों एवं रीढ़ को लचीला बनाने में उपयोगी है।
8. भुजंगासन– महिलाओं के प्रजनन सम्बन्धी रोगों जैसे प्रदर, कष्टप्रद या अनियमित मासिक धर्म में लाभ पहुँचाता है।
9. नौकासन– स्नायु की दुर्बलता एवं तनाव से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह बड़ा उपयोगी है।
10. चक्की चलाना– गर्भवती महिलाओं के लिए यह एक उपयोगी अभ्यास है।
11. शंख प्रक्षालन के अभ्यास– (क–ख) ताड़ासन एवं तिर्यक ताड़ासन–ताड़ासन मलाशय एवं आमाशय की मांसपेशियों को विकसित करता है और आँतों को फैलाता है। यह मेरूदण्ड के सही विकास में सहायता करता है और जिन बिन्दुओं से स्नायु निकलते है, उनके अवरोधों को दूर करता है।

(ग) यह कमर, पीठ, कूल्हों, मेरूदण्ड तथा शरीर के अन्य जोड़ों को सुधारता है।

(घ) उदराकर्शणासन–आमाशय की बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह बहुत उपयोगी आसन है, क्योंकि यह पाचक अंगों एवं मांसपेशियों को संकुचित करता और फैलाता है।

(ड.) तिर्यक भुजंगासन– यह भूख को उत्तेजित करता है तथा कब्ज का नाश करता है। स्लिप डिस्क सम्बन्धी छोटे–मोटे दर्द को तथा पीठ के समस्त प्रकार के दर्दो को भी यह आसन दूर करता है। इस आसन से मेरूदण्ड लचीला, स्वस्थ एवं पुष्ट बनता है।

12. सुखासन एवं पद्मासन– रीढ़ के निचले भाग एवं आमाशय में फैले स्नायु जाल को अतिरिक्त खून पहुँचाकर सामान्य करता है। शारीरिक, स्नायविक एवं भावनात्मक समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सहायक है। इसके अभ्यास से जठराग्नि तीव्र होती है और भूख बढ़ती है।
13. भू–नमनासन– यह आसन मेरूदण्ड तथा पीठ के निम्न प्रदेश का व्यायाम कराता है। पीठ की मांसपेशियों तथा नाड़ियों को क्रियाशील बनाता है।
14. शवासन– समस्त शारीरिक एवं मानसिक प्रणालियों को शिथिल करके विश्राम देता है। सोने के पूर्व, आसनों के पहले या मध्य एवं गतिशील अभ्यासों के बाद इसका अभ्यास आदर्श माना जाता है।
15 योगनिद्रा – संकल्प शक्ति एवं भाव जागरण के लिए उपयोगी है।
16. षट्कर्म– नेति–इसका अभ्यास नाक, कान, आँख तथा गले की अनेक बीमारियों में लाभदायक है।
17. प्राणायाम– उदर–श्वसन–इसके अभ्यास से श्वास गहरी एवं लम्बी होती है, जिससे फेफड़े अधिक फैलते और संकुचित होते हैं। यौगिक श्वसन–इसके अभ्यास से उक्त लाभ और अधिक बढ़ जाते हैं। फेफड़ों, से सम्बन्धित बिमारियों से बचाव के लिए उपयोगी है। जीवनी शक्ति के विकास में सहायक है। भ्रामरी–मानसिक, तनाव, क्रोध, चिन्ता एवं विक्षेपों को दूर करता है। रक्तचाप एवं गले के रोगों को दूर करता है तथा स्वर में मधुरता लाता है।
18. भस्त्रिका– दमा, प्लूरसी, क्षय रोग आदि के निवारण में उपयोगी है। गले की जलन और पुराने कफ को दूर करता है। जठराग्नि को उत्तेजित कर पाचन शक्ति को बढ़ाता है।
19. नाड़ी शोधन–मस्तिष्क के मानसिक एवं शारीरिक क्रियाशीलता से सम्बन्धित क्षेत्रों में सन्तुलन लाता है। विषाक्त तत्वों को दूर कर रक्त संचार को शुद्ध करता है।
20. भोजन विधान– सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच भोजन कर लेने की महत्ता, जल प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रदूषण से बचाव।

सत्संग–संध्या

1. कीर्तन, भजन
2. शरीर और योगाभ्यास
3. सामाजिक एवं पारिवारिक समरसता
4. योगोपचार के सिद्धान्त
5. मन, भावना, अध्यात्म और योग की विधियाँ

प्रातःकालीन मन्त्र साधना

प्रातः उठने के पश्चात्

1. भ्रूमध्य पर अपने मन को एकाग्र कीजिये। सात बार गहरी श्वास लीजिये और छोड़िये। हर बार श्वास छोड़ते समय शिथिल होने का प्रयास कीजिये। अपने पूरे शरीर को मानसिक रूप से देखिये।
2. तीन बार ऊँ मन्त्र का उच्चारण कीजिये और उसके स्पन्दनों को अनुभव करने का प्रयास कीजिये। मन्त्र की ऊर्जा को अपने शरीर के चारों ओर अनुभव करने का प्रयास कीजिये।
3. सात बार पुनः गहरी श्वास लीजिये और छोड़िये एवं शिथिल होने का प्रयास कीजिये।
4. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संकल्प लीजिये और 11 बार महामृत्युंजय मन्त्र का पाठ कीजिये।
5. विवेक, आन्तरिक स्पष्टता और अन्तर्प्रज्ञा का संकल्प लीजिये और 11 बार गायत्री मन्त्र का पाठ कीजिये।
6. जीवन की दुर्दशा को दूर करने का संकल्प लीजिये और 3 बार दुर्गा मन्त्र का पाठ कीजिये।
7. सात बार पुनः गहरी श्वास लीजिये और छोड़िये एवं शिथिल होने का प्रयास कीजिये।

अब आप अपनी दिनचर्या आरम्भ कर सकते हैं।

ॐ मित्राय नमः

ॐ रवये नमः

ॐ सूर्याय नमः

ॐ भानवे नमः

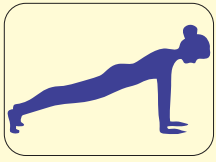

ॐ खगाय नमः

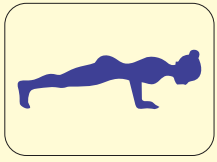

ॐ पुष्णे नमः

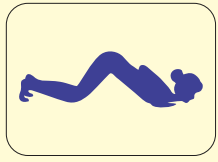

ॐ हिरण्यगर्भाय नमः

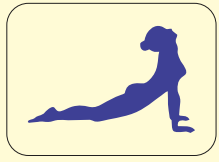

ॐ मारिचाये नमः

ॐ आदित्याय नमः

ॐ सावित्रे नमः

ॐ आर्काय नमः

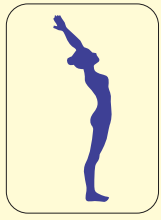

ॐ भास्कराय नमः

रक्तदान – एक मानवीय आवश्यकता

इस संसार के सब धर्म प्रेम, सेवा और मानवता का सन्देश देते हैं
रक्त दान, नेत्रदान, अंग दान और देह दान – समय की पुकार है,
इस महान अभियान में भागीदारी हमारी
जवाबदारी भी है और हमारा धर्म भी.

असहाय एवं पीड़ित मानव की सेवार्थ किया गया रक्तदान, एक ऐसा अनुभव है, जो शब्दों में बयान नही किया जा सकता है।

रक्त दान जीवनदान है, इस बात का अहसास हमें तब होता है जब हमारा कोई अपना रक्त के लिए जिंदगी और मौत के बीच जुझता है। उस वक्त हम नींद से जागते हैं और अपने को बचाने के लिए रक्त के इंतजाम की जद्दोजहद करते हैं। तो क्यों न हम स्वयं रक्त दान करके और रक्त दान के लिए जागरूकता फैला कर इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें।

धनदाता एक दिन याद रहता है, वस्त्रदाता एक माह याद रहता है, ग्रन्थदाता एक वर्षयाद रहता है, पर रक्तदाता जीवनभर याद रहता है..

रक्त से जुड़े कुछ तथ्य :–

रक्त प्लाज्मा नामक द्रव से बनता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएँ, सफेद रक्त कोशिकाएँ और बिम्बाणु (प्लेटलेट्स) होते हैं। रक्त के प्रत्येक हिस्से का एक विशेष उद्देश्य होता है।

1. लाल रक्त कोशिकाएँ फेफडों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों में पहुँचाती है और कार्बन डाईऑक्साइड को फेफडों में वापस पहुँचाती है। शल्य क्रिया या चोट लगने पर या एनीमिया के इलाज के लिये जरूरत पड़ सकती है।
2. सफेद रक्त कोशिकाएँ बिमारियों से बचाव की शक्ति प्रदान करती है।
3. प्लेटलेट्स कोशिकाएँ खून के थक्के जमने में सहायक होती है। मुख्यत: हृदय शल्य क्रिया एवं डेंगु के रोगियों के लियेआवश्यक है।

4. प्लाज्मा रक्त का तरल हिस्सा है, जो शरीर के उत्तकों को प्रोटीन, पानी, और पोशक तत्व पहुँचाता है। मुख्यत: आग से जले हुए रोगियों के लिये आवश्यक है।

रक्तदान की महत्ता

–एक करे रक्तदान, तीन को मिले जीवनदान–

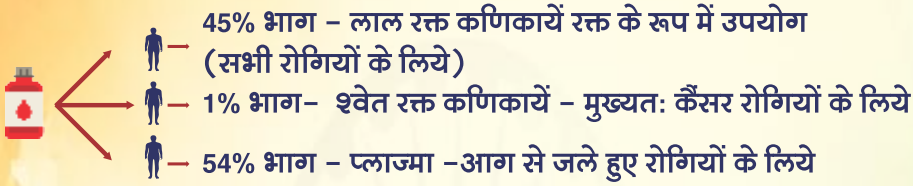

''रक्तदान है प्राणी पूजा, इसके जैसा न दान''

रक्तदाता :–

- ❖ प्रत्येक पुरूष एवं महिला रक्त दान कर सकते है, जिसकी आयु 18 से 65 वर्ष के मध्य हो।
- ❖ जिसका वजन 48 किलोग्राम से अधिक हो ।
- ❖ जिसके रक्त में हिमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 से अधिक हो।
- ❖ पुरूष तीन महिने में एक बार एवं महिलाएँ चार महिने में एक बार रक्तदान कर सकती हैं।

14 जून विश्व रक्तदान दिवस | **1 अक्टूबर राष्ट्रीय रक्तदान दिवस**

रक्त दाता को लाभ :– चलिये अब बात करते हैं रक्तदान करने से स्वास्थ्य लाभ की :–

- ❖ नियमित अंतराल पर रक्तदान करने से शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित रहती हैं और रक्त दाता को हृदय रोग की सम्भावना 33 प्रतिशत कम हो जाती है।
- ❖ रक्त दान से कॉलेस्ट्रोल कम होता है और रक्तचाप भी नियंत्रित रहता है। इससे ज्यादा कैलोरी और वसा का बर्न होता है और पूरे शरीर को फिट रखता है।
- ❖ रक्त दान से रक्त दाता में नई कोशिकाओं का सर्जन होता है।
- ❖ शरीर की कार्यक्षमता और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है।

❖ सबसे मुख्य रक्त दान न केवल किसी का जीवन बचाता है, बल्कि रक्त दाता को आत्म सन्तुष्टि प्रदान करता है।

अगर देश का हर स्वस्थ नागरिक नियमित रूप से रक्त दान करे तो रक्त की कमी से किसी की मौत नहीं होगी।

इसलिये साथियों मुस्कराते हुए रक्तदान कीजिए, जिससे कोई मुस्करा कर जी सके।

आप द्वारा दान किए गये है

- ❖ उन रोगियों को दिया जाता है जिनके साथ कोई रक्त देने वाला उपस्थित नहीं हो।
- ❖ दुर्घटनाग्रस्त रोगियों को जीवन बचाने के लिए जिन्हें तत्काल रक्त की आवश्यकता हो।
- ❖ थैलेसीमिया, एच.आई.वी.ए हिमोफिलीया, ल्यूकिमिया से पीड़ित व्यक्तियों को जिनको बार– बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता हो।
- ❖ आपके रक्त दाता कार्ड के विरूद्ध वापसी में।
- ❖ आज किसी जरूरतमंद को आपके रक्त की आवश्यकता है, हो सकता है कल आपको या आपके परिजन, ईष्ट मित्र या परिचित को रक्त की आवश्यकता हो।

रक्तदान करना चाहिए क्योंकि

रक्त के लाल कणों का जीवन सिर्फ 90 से 120 दिनों तक होता है। प्रतिदिन हमारे शरीर में पुराने रक्त का क्षय होता रहता है और नया रक्त बनता रहता है। ऐसी नश्वर चीज का दान करने से अगर किसी को हम जीवन दे सकते हैं तो हमें यथा शक्ति इस कार्य के लिए आगे आना चाहिये।

नेत्रदान – एक मानवीय आवश्यकता

भारत में करीब 1.25 करोड लोग दृष्टिहीन हैं, जिसमें से करीब 30 लाख व्यक्ति नेत्ररोपण द्वारा दृष्टि पा सकते हैं। देश की इतनी अधिक जनसंख्या को देखते हुए 30 लाख नेत्रदान को पाना आसान लगता हो परन्तु ऐसा नहीं है। तथ्य कुछ अलग ही हैं, आइए इन्हें जानने की कोशिश कीजिए–

प्रति वर्ष 80 लाख मृतको में सिर्फ 15 हजार ही नेत्रदान हो पाते हैं। क्या यह सोचनीय नहीं है? इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मिन्दा करने वाला तथ्य यह है कि बड़ी मात्रा में दान किए हुए नेत्र श्रीलंका से आते हैं। एक छोटासा देश, न सिर्फ हमें बल्कि अन्य देशों को भी दान में मिले नेत्र प्रदान करता है।

क्या यह करोड़ों भारतीयों के लिए शर्म की बात नहीं है? जबकि हम अलग–अलग क्षेत्रों में स्वावलम्बन प्राप्त कर चुके हैं या स्वावलम्बन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तब क्यों न नेत्रदान के क्षेत्र में भी स्वावलम्बन प्राप्त करें ?

नेत्रदान बहुत आसान है, रक्तदान से भी आसान !

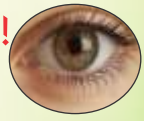

नेत्रदान से जुडे कुछ तथ्यः–

1. नेत्रदान के लिये उम्र और धर्म का कोई बन्धन नही है। चश्मा पहनने वाले या जिनका मोतियाबिन्द का ऑपरेशन हो चुका हो ऐसे व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं।
2. केवल वही व्यक्ति जो एड्स, पीलिया या पुतलियों संबंधी रोगों से पीड़ित हो वह नेत्रदान नहीं कर सकते। परन्तु इन सबका फैसला नेत्र विशेषज्ञ द्वारा ही लिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे नेत्र अनुसंधान के काम में आ सकते हैं।
3. नेत्रदान मृत्यु के बाद 3 या 4 घंटे के अन्दर होना चाहिए। असाधारण परिस्थिति में 6 घंटे तक नेत्रदान हो सकता है।
4. नेत्रदान में समय सीमा का बहुत महत्व है, अत : नेत्रदान की इच्छा

अपनी वसीयत में ना लिखे क्योंकि वसीयत अक्सर मृत्यु के कई दिनो या महिनों बाद भी खोली जाती है।

5. नेत्रदान की इच्छा व्यक्त करने का बेहतर तरीका यह है कि अपने घर के करीबी नेत्र बैंक का शपथ पत्र भरें। रिश्तेदार एवं मित्र, जिन्होने आपके शपथ पत्र पर साक्षीदार के रूप में हस्ताक्षर किये हों, आपकी भावना समझ सकते हैं। इसके लिए आप अपने रिश्तेदार, मित्रों एवं पड़ोसियों से अपनी इच्छा की चर्चा कर सकते हैं। इससे आपकी इच्छा पूरी होने कि सम्भावना बढ़ जाती है एवं सामाजिक जागरूकता भी आती है।
6. नेत्रदान के लिये यह जरूरी नहीं है कि मृतक ने ही कोई इच्छा की हो या शपथ पत्र दिया हो। संबंधियों की इच्छा पर भी नेत्र बैंक के विशेषज्ञ को बुलाकर नेत्रदान किया जा सकता है।
7. मृत्यु के पश्चात् तुरन्त ही नेत्र बैंक को सूचित करना आवश्यक है। इसे कोई भी रिश्तेदार, मित्र या पड़ोसी सूचित कर सकता है एवं समय की आवश्यकता के कारण सबसे करीबी नेत्र बैंक को सूचित करें।
8. आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बातों को याद रखें। साथ ही साथ सभी को नेत्रदान के लिये प्रेरित करें।

नेत्रदान से पूर्व सावधानियाँ

1. मृतक की आँखो में आई ड्राप्स डालें। मृतक की पलकों को बन्द कर दें एवं उनके उपर भीगी रूई या कपड़ा रख दें।
2. कमरे में पंखे बन्द कर दें और यदि एअर कंडिशनर हो तो उसे चालू रखें।
3. मृतक के कमरे में भारी लाइट ना रखें।
4. मृतक का सिर करीब 6 इंच ऊपर, दो तकियों पर रखे।
5. मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार रखें और प्रमाण पत्र देने वाले डॉक्टर को 10 सीसी ब्लड सैंपल लेने के लिये सूचित करें।

नेत्रदान की प्रक्रिया–

सुचना मिलते ही नेत्र विशेषज्ञ मृतक के घर जाकर नेत्र लेते हैं। इस प्रक्रिया में मात्र 20 मिनट लगते हैं। इसके बाद आँखों में रखकर पुतली को ठीक से बन्द कर देते हैं। जिससे मृतक का चेहरा विद्रूप नहीं होता है। विशेष

बर्तन (फ्लास्क) में रख कर क्षेत्र बैंक में लाया जाता है और कुछ प्रक्रिया के बाद उन्हे दृष्टिहीनों को प्राथमिकता के अनुसार लगाया जाता है ये नेत्र 2 दृष्टिहीन व्यक्तियों को ज्योति प्रदान कर सकते हैं जो ना सिर्फ उनका जीवन बदल देता है अपितु उनके जीवन को हमेशा के लिए अन्धेरे के अभिशाप से बाहर निकाल देते हैं। यह सब हम जरूर कर सकते हैं। समाज के लिये हम जीवित अवस्था में कुछ काम ना कर सकें अपितु मृत्यु के पश्चात् तो कर सकते हैं, समाज का ऋण चुका सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप नैत्रदान के लिये आगे आयें, आज यह हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता बन गयी है।

भारत विकास परिषद्

जीते-जीते रक्तदान, जाते-जाते अवयदान
और जाने के बाद नेत्रदान-नेत्रदान!!

नेत्रदान संकल्प पत्र

मैं.....

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....

पता (पूर्ण आवासीय पता).....

आयु..... आज दिनांक.. .....को नेत्रदान करने की घोषणा करता/करती हूँ की मेरी मृत्यु के पश्चात् मेरे मृत शरीर से मेरे आँखो को निकालने दिया जायेगा। मेरा अपने परिवार के सदस्यों/अभिभावकों/ उत्तराधिकारियों से निवेदन है कि इसे मेरी अन्तिम इच्छा मानते हुए मेरी मृत्यु की सूचना अविलम्ब नजदीक के आई बैंक को दी जाये तथा नेत्रदान मे किसी प्रकार का व्यवधान व देर न होने दी जाये।

तत्संबंध में साक्ष्य हेतु, मैने अपने स्वजन द्वनों;ऋ की उपस्थिति में उसे उन्हें साक्षी मानकर दिनांक .....माह..... वर्ष.....को इस संकल्प प्रपत्र पर दानकर्ता के रूप में निम्न हस्ताक्षर किया है।

दानकर्ता के हस्ताक्षर

देहदान/अंगदान– एक साहस

साथियों कहा गया है कि आत्मा अजर–अमर है और मृत्यु तो शरीर की होती है। मृत्यु के पश्चात् आत्मा शरीर को उसी तरह छोड़ देती है जिस तरह हम अपने वस्त्रों को । जब हम वस्त्रो को दान कर सकते हैं तो अपने शरीर का क्यों नहीं ?

देहदान की महत्ता

1. मृत्यु के पश्चात् शैक्षिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये देहदान।
2. मृत्यु के पश्चात् सम्पूर्ण देहदान न कर अंगदान जिसमें मुख्यत: किडनी, लीवर, हृदय, आँखे और हड्डियाँ । एक अनुमान के अनुसार एक व्यक्ति के अंगदान से 34 व्यक्तियों को जीवनदान दिया जा सकता है।

आवश्यक तथ्य–

1. मृत्यु के पश्चात् ही देहदान संभव है।
2. दुर्घटनाग्रस्त, चिकित्सा–कानून के अन्तर्गत अथवा किसी अन्य प्रकार की अप्राकृतिक मृत्यु एवं एच.आई..वी. संक्रामक रोग आदि के कारण हुई मृत्यु के पश्चात् देहदान संभव नही है।
3. दानदाता द्वारा मुत्यु से पूर्व इच्छा प्रपत्र (वसीयत) तथा दानदाता पत्र विधिवत रूप से पूर्ण एवं पंजीकृत हो ।
4. मृत्यु के पश्चात् जल्द से जल्द सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज को सूचित कर निकटतम संबंधित देहदान करवा सकते हैं।
5. देहदान के समय सभी निकटतम सम्बन्धियों की सहमति अनिवार्य होती है।
6. देहदान के समय मृत्यु प्रमाण–पत्र, मृतक के पहचान–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज सुपुर्द किये जाते हैं।
7. देहदान की सूचना सम्बन्धित पुलिस विभाग एवं प्रशासनिक विभाग को भी दी जाती है।

8. मृत्यु के 8 से 10 घण्टे में देहदान हो जाना चाहिए।
9. देहदान के बाद किसी भी सगे–सम्बन्धी का उस शरीर पर कोई अधिकार नहीं रहता। हालांकि देहदान के 48 घण्टों तक सगे–सम्बन्धी शरीर को देख सकते हैं।
10. मृतक के बाल और नाखुन धार्मिक क्रियाकर्मों के लिये दिये जाते हैं।

अनुसंधान एवं वैज्ञानिक उद्देश्य हेतु शरीर दान के लिए अनुमोदित स्वैच्छिक प्रपत्र (वसीयत)

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
पता /पूर्ण आवासीय पता.....
एतद्ववारा मेरी मृत्यु के पश्चात् मेरे मृत शरीर के निराकरण के संबंध में अपनी अन्तिम इच्छा प्रकट करता/करती हूं जिससे इस संदर्भ में मेरे द्वारा अब तक की गई अन्य सभी इच्छाओं और उनदेष्टाओं का खण्डन होता हैं। क्योकि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूं और यह मेरे द्वारा स्वतंत्र मन एवं इच्छापूर्वक किया गया कार्य होगा, और क्योंकि, मैं अपनी मृत्यु के पश्चात् मानवता एवं चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के उद्देश्य के लिए अपने शरीर का दान करने का/की आकांशी हूं।
एवं क्योंकि, मैने अपनी मृत्यु के पश्चात् अपने शरीर का दान करने की आंकाशा अपने निकटमत स्वजनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों से व्यक्त कर दी है और उन्हें उपर्युक्त उद्देश्य के लिए मेरी मृत्यु के पश्चात् मेरे शरीर दान पर कोई आपति नही हैं।
मैं एतद्ववारा इस इच्छा प्रपत्र (वसीयत) से अपनी मृत्यु के पश्चात् अपने शरीर को .....(संस्थान) को संपूर्ण एकाधिकार से इसका प्रयोग करने अथवा निराकरण हेतु अधिकृत करता/करती हूं एवं उक्त संस्थान के निदेशक को इसके निष्पादक के रूप में नियुक्त करता/करती हूं। तत्संबंध में साक्ष्य हेतु, मैने अपने स्वजन (नों) की उपस्थिति में उसे उन्हें साक्षी मानकर दिनांक..... माह..... वर्ष.....को इस इच्छा प्रपत्र (वसीयत) पर दानकर्ता के रूप में निम्न हस्ताक्षर किया है।

दानकर्ता के हस्ताक्षर

वृक्षारोपण

पौधारोपण के लिए आवश्यक बातें

- गढ्ढ़े का आकार न्यूनतम 2' X 2'X 2' होना चाहिये।
- दो पौधों के मध्य की दूरी – फलदार पौधों छोटे में 10 फीट एवं छायादार पौधों (बड़े) में 15 फीट होनी चाहिये।
- गढ्ढ़े को 2 से 3 सप्ताह तक खुला छोड़कर तपने दें। यदि संभव न हो तो उस गढ्ढ़े में सूखी पत्तियां एवं घास–फूस भी जला सकते हैं। घास–फूस खाद, मिट्टी से भरकर ढक दें व पानी से तर कर दें।
- पौधारोपण करते समय प्लास्टिक की थैली को हटा कर पौधे को जड़ों में लगी मिट्टी के पिण्ड सहित गढ्ढ़े के बीच में सीधा रख दें एवं अच्छी तरह से मिट्टी के साथ दबा देवें। इसके पश्चात् पौधे की सुरक्षा की व्यवस्था करें। (ट्री गार्ड, कांटे, इत्यादि से)
- पौधारोपण के तुरन्त पश्चात् गढ्ढ़े को पानी से तर कर देना चाहिये।
- पौधारोपण के बाद जिम्मेदारी से 3–5 दिन के अन्तराल में पानी अवश्य दें।
- दो वर्ष तक पौधे की देख–रेख आवश्यक रहेगी।
- पर्यावरण संवर्धन संस्थान द्वारा सामाजिक कार्यों में डिस्पोजल का प्रयोग कम हो इस हेतु बिना किराये ताम्बे के लोटे पीने के पानी हेतु उपलब्ध करवाते हैं।

जल जीवन है, वर्षा जल संरक्षण की तकनीकी जानकारी हेतु भी संस्थान से सम्पर्क कर सकते हैं । इस दिशा में आपका सहयोग सृष्टि के लिये अमूल्य योगदान होगा ।

एक पेड़ देश के नाम

पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की अखिल भारतीय योजना के अनुसार प्रत्येक परिवार एक पेड़ इस वर्ष कहीं भी लगाकर, उसका संरक्षण, संवर्धन करें। ऐसा अनुरोध यह अभियान पूरे देश में 12 जनवरी 2023 से 14 जनवरी 2024 तक चलेगा।

सभी स्वयंसेवी संस्थान स्वयं के संस्थान के नाम से भी भाग ले

सकते हैं। जो किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं वह एक पेड़ देश के नाम अभियान समिति, (बस्ती का नाम) बनाकर भाग ले सकते हैं।

इन समितियों को प्रतिमाह एक बार मिलने का तय करना है। साथ ही 100 परिवारों में बीजारोपण या पर्यावरण का संदेश देने का कार्य करना है।

जनवरी फरवरी–मार्च 3 माह तक घर–घर नर्सरी का अभियान अर्थात बीजारोपण से पौधारोपण चलेगा। बीजारोपण सबसे पहले व्यक्ति के मन में, फिर परिवार में और उसके पश्चात समाज में करना है। अर्थात समाज का मानस परिवर्तन करना है कि यह कार्य मुझे करना है, ना कि सरकार को। यह सभी मबव उपजतंउ ऐप के माध्यम से कर सकते हैं।

इस वार्षिक योजना का परिणाम हम क्या चाहते हैं। इसके लिए गतिविधि भीलवाड़ा जिले में एक पंच दिवसीय आयोजन करने जा रही है।

मंगल अभियान

दिनांक: 10 से 14 जनवरी (रविवार) 2024

उद्देश्य– समाज सहज रूप से जागृत होकर पर्यावरण एवं नागरिक कर्तव्य स्वयं निभाने की ओर अग्रसर हो।

निम्न कार्यक्रम की योजना अब तक बन चुकी है।

- ❖ पर्यावरण संकल्पित परिवार मिलन।
- ❖ साधक मिलन कृज्ञात व अज्ञात निस्वार्थ सेवा (न्यूनतम 1 वर्ष से) कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति यों का।
- ❖ एक पेड़ देश के नाम अभियान समिति मिलन ।
- ❖ नारी शक्ति मिलन।
- ❖ स्वावलंबन– पर्यावरण के क्षेत्र में पूरे देश के स्टार्टअप का दो दिवसीय सम्मेलन ।
- ❖ आदर्श शिक्षण संस्थान मिलन ।
- ❖ आदर्श धार्मिक संस्थान मिलन ।
- ❖ स्वयंसेवी संस्थान मिलन।
- ❖ NRI मिलन (भीलवाड़ा जिले के)
- ❖ नवसृजन– कबाड़ से जुगाड़ ।
- ❖ सार्वजनिक उद्यान गोद लेने वालों का मिलन।

पर्यावरण मित्र– पर्यावरण सखी पर्यावरण दंपत्ति सम्मान

बन्धुओं
सादर वन्देमातरम्

वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय बन गया हैं। विकास के नाम पर वृक्षों की अत्यधिक कटाई व बढ़ते प्रदूषण के कारण तापमान बढ़ रहा है जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कहीं बर्फीला तूफान, तो कहीं जंगलों में आग, कहीं अति वर्षा के कारण बाढ़ तो कहीं वर्षा के अभाव में सुखा पड़ रहा है। इस भयावह होती जा रही स्थिति में कमी लाने के लिए हम सभी मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप में यह वसुंधरा की समाज व देश के द्वारा सच्ची सेवा होगी। इसी क्रम में भारत विकास परिषद् राज. मध्य प्रांत द्वारा पर्यावरण मित्र, पर्यावरण सखी, पर्यावरण दंपत्ति की उपाधि योजना प्रारंभ की जा रही है, जो इस प्रकार है।

प्रत्येक ऐसे व्यक्ति मातृ शक्ति युगल दंपति जो ''विश्व पृथ्वी दिवस'' से परिषद् स्थापना दिवस (10 जुलाई 2023) तक की निश्चित समय अवधि के मध्य 11 नवीन वृक्ष रोपित कर ''सेल्फी विद प्लांट'' प्रेषित कराएंगे उन्हें पर्यावरण मित्र, पर्यावरण सखी, पर्यावरण दंपत्ति की उपाधि से प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया जाएगा। प्रशस्ति पत्र भारत विकास परिषद् राजस्थान मध्य प्रांत द्वारा उपलब्ध कराएं जायेंगे।

शाखा स्तर पर आपको क्या करना है–

- इस आशय की जानकारी देते हुए पैम्पलेट अपनी शाखा के नाम सहित छपवाकर बांटें व सार्वजनिक स्थानों शिक्षण संस्थानों पर बैनर लगायें।
- सोशल मीडिया एवं अन्य प्रचार माध्यम से आमजन तक यह सन्देश अधिकाधिक पहुँचावें कि 11 या अधिक नवीन वृक्ष रोपित कर 'सेल्फी विद प्लांट' प्रेषित करने पर उन्हें पर्यावरण मित्र,

पर्यावरण सखी, पर्यावरण दंपत्ति की उपाधि से परिषद् द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

- ❖ पर्यावरण मित्र, पर्यावरण सखी, पर्यावरण दंपत्ति की उपाधि सम्मान हेतु चयन शाखा प्रकल्प प्रभारी द्वारा किया जावे और चयनित को शाखा स्तर पर सम्मानित किया जाए।

पर्यावरण-आज की चुनौती एवं प्रकल्प

आज पर्यावरण देश के लिए एक गंभीर समस्या है जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इसी से शुद्ध पेयजल एवं शुद्ध वायु की समस्या एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। बढ़ते औद्योगीकरण, विकराल जनसंख्या, त्वरित विकास के कारण शहरों में पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है। अतः हम सभी को वर्षाकाल में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना चाहिए। इस सबके लिए व्यापक जन–जागरण की आवश्यकता है क्योंकि आम–जन से जुड़े पर्यावरण प्रबन्धन के सभी प्रयास निष्फल साबित हो रहे हैं। परिषद् की ओर से प्रत्येक विद्यालय, पार्क, समुदाय भवन या सार्वजनिक स्थान पर वृक्ष लगाने चाहिए तथा वहाँ पर वृक्ष लगाने वाले और उसके संरक्षण करने वाले की पट्टिका भी लगानी चाहिए।

भारत में छोटी–बड़ी कुल 10210 नदियाँ हैं। हमारे देश में कुल 5,66,878 गाँव हैं जिनमें से लगभग 58 प्रतिशत लोग जल के लिए कूएँ, बावड़ी, झरनों, तालाबों एवं नदियों पर निर्भर हैं। पानी का सही संचय, वैज्ञानिक प्रबन्ध एवं समुचित वितरण किया जाए तो हमारे जल संकट को भी टाला जा सकता है। इसके लिए वर्षा जल को रोक कर भूमि के अन्दर भेजा जाए । अतः वाटर हारवेस्टिंग (**Water Harvesting**) की व्यवस्था करनी चाहिए। परिषद् के सभी सदस्यों को अपने–अपने क्षेत्रों में इसकी प्रेरणा देनी चाहिए।

हमारे देश में डीजल की वार्षिक खपत 4.5 करोड़ टन है जो हमें विदेश से धन खर्च कर मँगाना पड़ता है। यह सारी आवश्यकता देश में विशेष प्रजातियों के वृक्ष लगाकर पूरी की जा सकती। रतनजोत (जटरूपा) ऐसा वृक्ष है जिसे पानी की कम आवश्यता होती है, जिसके बीजों से प्रचुर मात्रा में यह अखाद्य तेल प्राप्त होता है। इसे पशु भी खराब

नहीं करते है और न ही खाते हैं। अत: वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है । वृक्षारोपण से प्रदूषण समाप्त होता है व वर्षा अधिक होती है इसलिए कहा है वृक्ष से जल, जल से अन्न और अन्न से जीवन मिलता है। जो मनुष्य काष्ठ, पुष्प और फल से युक्त वृक्ष तुलसी जैसे पौधे लगा सकते हैं, वह परोपकारी और उत्तम गति को प्राप्त होतें हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम नीम, पीपल, बेलपत्र आदि पाँच वृक्षों को लगाकर उनका संरक्षण करना चाहिए।

मानव जाति का भूत, भविष्य व वर्तमान पर्यावरण पर ही निर्भर है। जब–जब मानव जाति ने पर्यावरण से खिलवाड़ की है तब–तब घोर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। भावी प्राकृतिक आपदाओं से बचने, तेज धूप, लू के थपेड़ों से तपती धरती मां के आंचल को बचाने का अवसर आ गया है। प्रदूषित पर्यावरण से हमारा दम घुटने लग गया है। अत : प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण एवं जल संरक्षण के लिये अपना योगदान देना होगा। भारत विकास परिषद् ने पर्यावरण एवं जल संरक्षण व वृक्षारोपण को महत्ता देकर अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया है। अत : प्रत्येक शाखा को अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा के उपाय करना चाहिए। शाखा स्तर पर पर्चे व पोस्टर आदि लगाकर पर्यावरण एवं जल संरक्षण की जानकारी जनता में प्रसारित करनी चाहिए।

5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन या वर्ष भर में शाखा स्तर पर निम्न कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये :–

1. पौधारोपण
2. पर्यावरण पर पोस्टर प्रतियोगिता या चेतना रेली
3. तुलसी गमला वितरण
4. पोलिथिन थैली के दुष्प्रभाव पर विचार गोष्ठी
5. जल संरक्षण पर चर्चा
6. पर्यावरण विषय पर अन्य कोई विचार गोष्ठी
7. कपड़ा थैली वितरण

समग्र ग्राम विकास

भारत ग्राम प्रधान राष्ट्र है, इसका तात्पर्य मात्र इतना नहीं है कि आज भी देश की 64.13 प्रतिशत जनसंख्या गाँव में बसती है, अपितु इसका मुख्य अभिप्राय यह है कि इन गाँवों में भारतीय जीवन मूल्य आज भी विद्यमान है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी कृषि आधारित है। अर्थात् यह स्पष्ट है कि गाँव एवं ग्रामीणों के विकास की योजना एवं सकारात्मक प्रयासों के बगैर इस राष्ट्र की प्रगति एवं सामाजिक समरसता संभव नहीं हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल क्रांति के कारण कुछ सजगता आई है लेकिन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संस्कार की जागृति का परिणाम न्यून है। ग्राम विकास केवल आर्थिक विकास तक सीमित न रहकर ग्रामीण जीवन में सकारात्मकता, भाईचारा, सामूहिक जीवन, देशप्रेम, शिक्षा, चिकित्सा, अध्यात्म जैसे आयामों के अंतर्गत कार्य कर उस समाज में व्यापक परिवर्तन करना है। केवल आर्थिक नहीं अपितु सर्वांगीण विकास करना समग्र ग्राम विकास प्रकल्प का व्यापक उद्देश्य है। भारत विकास परिषद् की कार्यशैली यही है कि सर्वप्रथम ग्रामवासियों के दृष्टिकोण को विकास के प्रति सकारात्मक करना एवं उनके मन में इस विकास की प्रक्रिया को आत्मसात कर उन्हें इस कार्य के प्रति प्रेरित करना अर्थात् उनकी सहभागिता से उनकी जीवन शैली को संचारित एवं आत्मनिर्भर बनाने का है। ग्राम वासियों के उन्नयन के लिए शासन ने भी अनेक योजनाएं प्रारंभ की है, लेकिन ग्रामवासियों को इन योजनाओं की या तो जानकारी नहीं है, और यदि है भी तो वे इन प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हैं, इसी कारण उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। अतः परिषद् उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करता है एवं उसके अतिरिक्त मुख्य रूप से समग्र ग्राम विकास हेतु निम्न कुछ बिन्दु तय किए गए हैं:–

❖ संस्कार जन्य एवं सांस्कृतिक ❖ पीने का स्वच्छ जल ❖ स्वच्छता ❖ शिक्षा ❖ पर्यावरण ❖ स्वास्थ्य ❖ रोजगारपरक प्रशिक्षण ❖ जल संरक्षण, जैविक कृषि अन्य सुविधाएं मुक्तिधाम की व्यवस्था एवं विकास ।

निम्न समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत अब तक 50 ग्रामों में विकास की प्रक्रिया प्रगति पर है। निम्न ग्राम के निवासियों की आवश्यकतानुसार शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, शौचालयों का निर्माण, सड़कों तथा गलियों का निर्माण, शासकीय विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था, शौचालय निर्माण, कक्षा कक्षों की रिपेयरिंग, खेल मैदान का निर्माण इत्यादि। सामुदायिक भवन का रिपेयरिंग/नव– निर्माण, तालाब–कुओं का जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण, प्रवेश द्वार का निर्माण, पुस्तकालय, व्यायामशाला, मुक्तिधाम का विकास, सोलर लाईट, गोबर गैस संयंत्र, युवाओं के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि विकास कार्य सम्पन्न किये जा चुके हैं।

1. जम्मू व कश्मीर : ग्राम रामपुर गढ़वाल– जिला सांबा
2. हिमाचल प्रदेश : ग्राम खज्जियार जिला चम्बा
3. पंजाब : ग्राम दुनेरा जिला पठानकोट, ग्राम लोहाटबड्डी जिला लुधियाना, ग्राम धार जिला–पठानकोट
4. हरियाणा : ग्राम मोहब्बतपुर जिला हिसार
5. उत्तर प्रदेश : ग्राम सुन्दरनगर (फजलपुर) –जिला बागपत
6. राजस्थान : ग्राम कालीवास जिला उदयपुर, ग्राम माथना – जिला बारा
7. कर्नाटक : ग्राम कुम्बाराकोपल्लू जिला मैसूर
8. तेलंगाना : ग्राम एकलासपुर जिला करीमनगर
9. ओड़िसा : ग्राम कान्ताबनिया – जिला पुरी, ग्राम साहपुर जिला कटक
10. असम : ग्राम बरनारीकलां जिला बोंगाईगांव

11. पश्चिम बंगाल : ग्राम इलसोबा जिला हुगली
12. त्रिपुरा : ग्राम चम्पामूरा जिला पश्चिम त्रिपुरा
13. पंजाब : ग्राम रामनगर जिला गुरदासपुर

निम्नांकित गांवों में विकास कार्य प्रगति पर है

(1) उत्तराखण्ड : ग्राम खालातीरा, जिला हरिद्वार
(2) उत्तर प्रदेश : ग्राम भूसीकृतपुरवा जिला चन्दोली, ग्राम पकड़ी – जिला मिर्जापुर
(3) बिहार : ग्राम आमवा जिला चम्पारन, ग्राम मेघरतवाड़ा जिला मुजफ्फरपुर, ग्राम धनोली जिला दरभंगा, ग्राम एकपरहा जिला सहरसा
(4) ओड़िसा : ग्राम पुरुनुटिगरिया जिला कटक, ग्राम बारापल्ला – जिला नवागढ़, ग्राम तलपदार– जिला संबलपुर
(5) राजस्थान : ग्राम भिलूड़ी जिला ग्राम डुंगरपुर, घाटा का गाँव जादेला, जिला डुंगरपुर, ग्राम फरीदसर जिला श्रीगंगानगर, ग्राम अलीगढ़ जिला धौलपुर
(6) मध्य प्रदेश : ग्राम पौसरा जिला कटनी, ग्राम मैथाना जिला ग्वालियर
(7) गुजरात : ग्राम बांधना (पालड़ी) अहमदाबाद
(8) जम्मू व कश्मीर : ग्राम कोटला– जिला–रियासी
(9) हरियाणा : ग्राम मेहंदीपुर जिला सोनीपत
(10) आन्ध्र प्रदेश : ग्राम सिंगलौर जिला कृष्णा, ग्राम पंडारमेदाकोटा जिला पूर्वी गोदावरी

भारत विकास परिषद् द्वारा संचालित इस समग्र ग्राम विकास योजना के द्वारा अनेक ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं एवं उनमें सामाजिक परिवर्तन की सकारात्मक पहल दृष्टिगोचर होने लगी है। परिषद् की इस योजना के अंतर्गत देश के उक्त गाँव विकास कार्यों के माध्यम से शुद्ध पेयजल, घरों में पक्के शौचालय, साफ–सुथरे विद्यालय, सुविधाजनक सड़कें एवं गलियां, मुक्तिधाम इत्यादि मूलभूत सुविधाओं के संदर्भ में न केवल आत्मनिर्भर हो चुके हैं, अपितु अपने निकट के गाँवों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनकर उभर रहें हैं, जिसके कारण से उनमें आत्म गौरव की भावना भी बलवती हो रही है और वे इस विकास मॉडल के प्रवक्ता बनकर उन समीप के ग्राम वासियों को मदद करने हेतु भी तत्पर हो रहे हैं। सामाजिक समरसता की स्थापना जहाँ एक और महाराष्ट्र के नासिक जिले के ग्राम खरोली, ओडिशा में कटक जिले के ग्राम पुस्नाटिगरिया में संचालित हो रही विकास योजनाओं के कारण वहाँ के महिला समूह स्वयं पूरे गाँव को नशा मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हरियाणा के हिसार जिले के मोहब्बतपुर ग्राम में पूर्व में जातिगत पृथक–पृथक मुक्तिधाम बनाए गए थे, अब पूरे ग्राम का एक ही मुक्तिधाम होकर सामाजिक समरस्ता का श्रेष्ठ उदाहरण बन कर उभर रहा हैं। इस मुक्तिधाम का उपयोग बगैर भेदभाव समस्त ग्रामीणजन एवं निकटस्थ ग्राम के ग्रामीण जन भी करने लगे हैं।

शिक्षा में उन्नयन समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे इन अनेक गाँव में विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता में उन्नयन के प्रयासों से इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ इन विद्यालयों का अपने–अपने जिलों में श्रेष्ठ परिणाम देने वाले विद्यालयों की श्रेणी में उन्नयन हो गया है। परिषद् के विकास कार्यों से प्रभावित होकर अनेक प्रान्तों के अन्य शासकीय विभागों ने भी योजनाओं का क्रियान्वयन परिषद् के साथ मिलकर प्रारंभ कर दिया है एवं संबंधित क्षेत्रों के जन–प्रतिनिधियों को भी इस अभूतपूर्ण सेवा कार्य हेतु प्रेरित किया है, जिसके कारण राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अन्य गाँवों को प्राप्त कराने में वे रुचि लेने लगे हैं। भारत विकास परिषद् द्वारा इस योजना के माध्यम से गाँवों में आ रही आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक परिवर्तन के परिणाम तथा इस तरह की अनुकूल परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारी प्रत्येक शाखा का यह प्रयास होना चाहिए वे अपने जिले में न्यूनतम एक गाँव को अवश्य अंगीकृत कर उसके समग्र विकास के साधक बनें।

सामूहिक सरल विवाह

विवाह भारतीय जीवन पद्धति में 16 प्रमुख संस्कारों में से एक महत्त्वपूर्ण संस्कार है। परम्परा के अनुसार नया जीवन प्रारम्भ करने हेतु कन्या को गहने, बर्तन, बिस्तर, कपड़े आदि दिये जाते हैं जिसे आम भाषा में दहेज/दाज कहते हैं। वर पक्ष के लोग वधु के लिए गहने अथवा कपड़े बनवाते हैं जिसे वरी कहते हैं। इस दाज–वरी के पीछे हमारी संस्कृति की मूल भावना है–कन्या दान तथा उसके नये जीवन हेतु शुभकामनायें तथा आशीर्वाद ।

धीरे–धीरे समाज में स्वेच्छा से कन्या को दहेज दिये जाने की रीति में अभूतपूर्व बदलाव आया और वर पक्ष वालों ने विवाह हेतु मांगे रखनी शुरू कर दी तथा नकद पैसा मांगने की प्रथा चल पड़ी एवं बारातियों की संख्या बढ़ने लगी तथा स्कूटर, फ्रिज, कार आदि दहेज में देने का प्रचलन बढ़ा। कुल मिलाकर गत 40–50 वर्षों में कन्याओं का विवाह आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगा है।

प्रकल्प का रूप / उद्देश्य :

समाज की इस विस्फोटक स्थिति को देखते हुए भारत विकास परिषद् ने राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक सरल विवाह प्रकल्प प्रारम्भ किया है। समाज के निर्धन परिवारों की कन्याओं का विवाह सरल हो एवं दुल्हन ही दहेज है, यही मूल भावना है इस प्रकल्प की। सम्पन्न परिवारों में भी सरल विवाह का संदेश भेजा जाए जिससे दहेज का लेन–देन कम हो सके।

परिषद् की यह भी सोच है कि भारतीय जीवन में शुचिता हो, परिवार संस्कारित हों, बालक/बालिकाएं चरित्रवान एवं देश भक्त बनें एवं अच्छे नागरिक बन कर भारत का विकास करें। विवाह संबंधी प्रक्रिया संस्कारित हो जिसमें मांग व लेन–देन न्यूनतम हो। वर–वधु पक्ष के सम्बन्धी बाराती एक ही स्थान पर रस्में–रीतियां पूरी करें, उसी स्थान पर सामूहिक भोज हो। इस प्रकार के विवाह दिन में किसी धर्मशाला अथवा किसी पूजा स्थल के प्रांगण में अथवा सामुदायिक केन्द्र में हों ।

सामूहिक विवाह :

सामूहिक भारत के राजस्थान प्रांत में सामूहिक विवाहों की प्राचीन प्रथा है और इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया (एक ऐसा दिन है जिसमें विवाह का मूहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती।) को कराये जाते हैं। सामूहिक विवाह सरलीकरण का यह एक अच्छा तरीका है। इस प्रकार के विवाह युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं के भी देखने में आते हैं। इस प्रकार के विवाहों में समाज के लोग कन्यादान के रूप में नकद राशि, कपड़े आदि देते हैं। पंजाब प्रांत के आर्य समाज तथा सनातन धर्म मन्दिरों में ऐसे विवाह बहुधा देखने को मिलते हैं। भारत विकास परिषद् के पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, म. प्र., हरियाणा तथा महाराष्ट्र कोस्टल प्रान्तों में कुल मिलाकर गत वर्ष निर्धन परिवारों के पुत्र–पुत्रियों के बड़ी संख्या में विवाह सम्पन्न कराये गये हैं।

प्रकल्प हेतु दिशा निर्देश–

1. सामूहिक सरल विवाह में अधिक से अधिक जोड़ों के विवाह की योजना बनायें। नगर में भारत विकास परिषद् के बैनर के साथ सामूहिक बारात निकालें ताकि इसका खूब प्रचार हो। बारात में बैंड, जनता की भागीदारी परिषद् के बैनर, वर यात्रा मार्ग पर स्वागत आदि हों। इससे परिषद् की पहचान बनेगी।
2. विवाह हेतु प्रचार का कार्य करें। जरूरतमंद परिवारों को प्रकल्प की जानकारी भेजें। पूजा स्थलों पर पत्रक बांटे अथवा बड़े–बड़े सूचना पट्ट लगवायें। समाचार पत्रों तथा टी.वी. चैनलों के माध्यम से प्रचार करें, बड़े–बड़े होर्डिंग दो मास पहले से लगवायें।
3. नियमानुसार वर की आयु 21 वर्ष तथा वधु की आयु 18 वर्ष होना आवश्यक है।
4. विवाह हेतु वर तथा वधु युगलों का चयन कर प्रोत्साहित करें कि विवाह हेतु आवश्यक सामान, भोज, बैंड तथा अन्य व्यय भारत विकास परिषद् तथा इसके सदस्य वहन करेंगे।
5. स्थानीय नगर पालिका, धर्मार्थ ट्रस्टों तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लें।

6. महिलाओं की भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करें।
7. विधवा बहनों की कन्याओं के विवाह को इस सामूहिक सरल विवाह प्रकल्प में अवश्य सम्मिलित करें।
8. घर–गृहस्थी का आवश्यक सामान, कपड़े, कुछ हल्के गहने इत्यादि की भी व्यवस्था करने का प्रयास करें। केवल आवश्यक सामग्री ही दें। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा न हो। अधिक लागत वाली वस्तुओं को देने से परहेज करें। एक भोज अवश्य दें।
9. इस योजना का प्रचार कर अधिक से अधिक धन, सामग्री आदि हेतु जनता का सहयोग लें तथा उन्हें महत्त्व दें।
10. नगर की जनता भी इस प्रकल्प में भागीदार बन सके ऐसा प्रबन्ध करें।
11. पंजीकरण हेतु एक शपथ पत्र बनायें जिसमें वर–वधु का पूरा विवरण, फोटो, जन्म तिथि, माता पिता के हस्ताक्षर आदि अवश्य हों।

कार्य योजना–

1. वर्ष में दो बार इस प्रकार के विवाह सम्पन्न कराने की योजना बनायें।
2. अक्षय तृतीया (मई मास) तथा बसन्त पंचमी फरवरी मास (माघ शुक्ल पंचमी) में जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं तथा नवरात्रों अथवा अन्य प्रमुख त्यौहारों पर सुविधानुसार आयोजन करें।
3. इस प्रकल्प की सफलता अधिकतम जन सम्पर्क तथा प्रचार पर निर्भर है अत: इन दोनों में संकोच न करें। युगलों का पंजीकरण 3–4 मास पूर्व प्रारम्भ करें।
4. युगलों की संख्या उतनी ही रखी जाये, जिसका प्रबन्ध उचित रूप से हो सके।

माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है

Bharat Vikas Parishad
Rajasthan (Central)

भारत विकास परिषद्
राजस्थान (मध्य) प्रान्त

बुक बैंक योजना

भारत विकास परिषद् राज मध्य प्रांत की ओर से सत्र 2023–24 से ''बुक बैंक'' योजना प्रारम्भ की गई है। बुक बैंक योजना इस प्रकार है :– प्रांत की सभी शाखाएं अपने नगर में बुक कलेक्शन सेंटर का स्थान निर्धारित करें। बुक कलेक्शन सेंटर एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। बुक कलेक्शन सेंटर की जानकारी सोशल मीडिया या प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से नगर में प्रचारित करें।

सभी अभिभावकों से निवेदन करें कि अपने बच्चों की पिछली कक्षा की पुस्तकें बुक बैंक में जमा करवाएं, जिससे वह किसी जरूरतमंद बच्चों के काम में आ सके । इस प्रकार आप किसी एक बच्चे की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण भी बचा सकते हैं। अभिभावक अपने बच्चों की पिछली कक्षा की पुस्तकें बुक बैंक में जमा करा कर अपने बच्चे के लिए अगली कक्षा की पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं अथवा अपनी पुरानी पुस्तकों को दान–भेंट कर सकते हैं। इस प्रकल्प हेतु शाखा प्रभारी के माध्यम से पूर्ण डाटा संग्रहण कर प्रांत को उपलब्ध कराएं, जिससे पुस्तकों का आदान–प्रदान प्रांतीय स्तर पर भी किया जा सके।

कृपया ध्यान दें

- बुक्स सर्वप्रथम उन्हीं को दी जाएगी जिसकी बुक्स जमा रहेगी, तदुपरांत जरूरतमंद बच्चों को पुस्तकें दी जाएगी।
- बुक बैंक में जमा करवाई गई बुक्स किसी भी स्थिति में वापस नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह बुक्स हम किसी और को दे चुके होगें।
- अभिभावक द्वारा चाही गई अगली कक्षा की पुस्तक उपलब्ध होने पर ही दी जाएगी।
- अभिभावकों से एक निवेदन और करें कि वह जब भी बुक सेट सबमिट कराएं, तो उस बुक सेट में सभी किताबें जरूर दें।

Bharat Vikas Parishad
Rajasthan (Central)

भारत विकास परिषद्
राजस्थान (मध्य) प्रान्त

जल ही जीवन है एवं जीवन ही जल है।

भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में शुद्ध पेयजल एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। यह समस्या सम्पूर्ण मानवजाति के लिये एक चुनौती है। एक ओर जहां जनसंख्या बढ़ रही है, वही दूसरी ओर पेयजल की निरन्तर कमी होती जा रही है। न सिर्फ परम्परागत जल के स्त्रोत सूखते जा रहे हैं, बल्कि भूगर्भ का जल स्तर भी नीचे गिरता जा रहा है। आने वाले समय यह स्त्रोत भी सूख जायेगा अथवा इसके अत्यधिक दोहन से प्राकृतिक आपदायें आने की संभावनायें भी बढती है। सोचिये ! जब न धरती के ऊपर जल होगा एवं ना ही धरती के गर्भ में तो फिर हम प्यास कहां से बुझाएंगे। कहीं हम आने वाले एक भयानक युद्ध की पृष्ठभूमि तो तैयार नहीं कर रहे हैं ?

इस शाश्वत सत्य को जानते हुए ही रहीमदास जी ने सैंकड़ों वर्ष पूर्व लिखा था–

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।
पानी बिना ना उबरे, मोती मानूस चून ।।

हमारे भारत में पानी के वितरण, संचयन और उपयोग का उचित प्रबंधन नही होने के कारण, पानी उपलब्ध होने के बावजूद हमें कृषि, बिजली और घरेलू उपयोग सहित अन्य कामों के लिए पानी की कमी झेलनी पड़ रही है। जल की जो मात्रा उपभोग और अन्य प्रयोगों के लिए उपलब्ध है, वह नदियों, झीलों और भूजल में उपलब्ध मात्रा का छोटा सा हिस्सा है। भारत की अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर है और जल के सही संचयन और पर्याप्त सिचांई के अभाव में प्रतिवर्ष हमारी खेती को नुकसान होता है और हमारे देश का किसान कभी पनप ही नहीं पाता है।

जंगलों के कटने और पर्यावरण को होती क्षति से देश में कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं पानी प्रदूषित है तो कहीं भूजल की कमी है। देश में पानी एक समान उपलब्ध नहीं है जिसके कारण देश के किसानों को सिंचाई और शहरों में भी लोगों को जीवन यापन करने में कठिनाई आती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की एक तिहाई आबादी को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। पीने के लिए हमारे पास दो तरह का पानी है। एक भूजल जो 80 फीसदी लोगों की प्यास बुझाता हैं। । दूसरा नदियों, झीलों, तालाबों का पानी, जो सिर्फ 20 प्रतिशत लोगों को उपलब्ध हैं। दोनो ही प्रकार के जल मुख्यत: वर्षा पर निर्भर होते हैं।

ऐसे हालात में क्या करें हम ? क्योंकि यह समस्या हमारे द्वारा ही उत्पन्न की गई है, अत: इसके लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे जैसे कि इसके लिए हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में जल संरक्षण के उपाय काम में लाने चाहिए, इसके तहत हमें जितना हो सके पानी बचाना चाहिए। पानी का अपव्यय करना कानूनन अपराध घोषित करना चाहिए तथा सभी लोगों को जल संरक्षण के बारे में शिक्षित करना चाहिए। हमें पीने का पानी भी उतना ही लेना चाहिए जितनी जरूरत है, आधे गिलास पानी से अगर प्यास बुझ जाए तो हम आधा गिलास पानी भी बचा सकेंगे। ब्रश करते समय नल खुला न छोड़ें तथा नहाते समय बाल्टी से नहाएं, कपड़े धोने के बाद उसके पानी को साफ–सफाई के काम में लिया जा सकता है। लीक होते नलों को ठीक करावें, नली से फर्श, वाहन अथवा दीवार धोने की जगह कपड़े के पोचे से साफ करें, लश्चन में वहीं पौधे लगावें जो पानी कम सौंखते हों, पानी का ग्लास झूठा न करें तथा वर्षा के जल को संग्रह करें तथा ऐसी छोटी–छोटी बातों का पालन करने से हम ज्यादा नहीं तो अपनी आवश्यकता अनुसार जल तो बचा ही सकेगें । इसके अलावा हमें उपलब्ध जल स्त्रोतों को साफ भी रखना होगा। यद्यपि भूजल में नमक की मात्रा

ज्यादा होती है और स्वाद में भी खारा होता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इसमें काफी मात्रा में कीटनाशक मिले होते हैं। ये वे कीटनाशक हैं जिन्हें खेती में इस्तेमाल करते हैं। जमीन में गहराई तक इन कीटनाशकों के अंश पहुंचने से इनसे दूषित पानी हमारे शरीर में पंहुच रहा है। इसके अलावा जल के स्त्रोतों के दूषित होने का एक बड़ा कारण औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला कूड़ा कचरा भी है।

भारत विकास परिषद् राजस्थान मध्य प्रान्त ने ''जल है तो कल है'' तथा ''जल ही जीवन है'' को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण के लिए लोगों में चेतना जगाने के लिए बूंद–बूंद से सागर भी भरा जा सकता है का प्रयास किया है। अगर हम आज जल बचाने में कामयाब हो गए तब ही हम अपने कल मे जल का उपयोग कर पाएंगे। इसके कारण परिषद् का जहां घर–घर में नाम पंहुचता है वही परिषद् के सदस्यों की उनके मौहल्ले में एक जिम्मेदार नागरिक की छवि बनती है। अतः भारत वर्ष में अन्य शाखाओं को भी इस योजना को हाथ में लेना चाहिए क्योंकि जल की समस्या केवल राजस्थान की नहीं है, वरन् सम्पूर्ण भारत वर्ष व विश्व की ज्वलन्त समस्या है।

किसी चालबाजी की आवश्यकता
नहीं, उससे कुछ नहीं होता।
दुःखियों का दर्द समझो और ईश्वर से
सहायता की प्रार्थना करो, अवश्य मिलेगी।

प्रोटोकॉल

प्रोटोकॉल एक तरह से सेट ऑफ रूल है किसी कार्य अथवा कार्यक्रम को करने के लिए बनाई गई रीति–नीति और दिशानिर्देश प्रोटोकॉल है। अनुशासन हमारे संगठन की आधारशिला है और भारत विकास परिषद् में प्रोटोकॉल का विशेष महत्व है। परिषद् का विकास अनुशासन, निस्वार्थ सेवा एवं त्याग के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसके लिए व्यक्ति को आत्म अनुशासन पहले सीखना पड़ता है।

परिषद् में कार्यक्रम सामान्यत: दो स्वरूप में होते हैं संगठनात्मक कार्यक्रम और सार्वजनिक कार्यक्रम।

अत: प्रोटोकॉल के तहत दोनों कार्यक्रमों के अनुसार हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए–

❖ संगठनात्मक कार्यक्रम में संगठन के उस स्तर के अध्यक्ष ही कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जैसे–प्रांत का कार्यक्रम है तो प्रांतीय अध्यक्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और यदि शाखा का कार्यक्रम है तो शाखा अध्यक्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे चाहे उस कार्यक्रम में राष्ट्रीय, रीजनल या प्रांतीय दायित्वधारी भी क्यों ना उपस्थित हो। राष्ट्रीय, रीजनल या प्रांतीय दायित्वधारी सदस्य उपस्थित हैं तो मंच पर क्रमश: राष्ट्रीय, रीजनल व प्रान्त का एक–एक दायित्वधारी को वरिष्ठता के आधार पर बैठाया जाये व अन्य दायित्वधारी को प्रथम पंक्ति में बैठाकर उचित सम्मान देना चाहिए।

❖ सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित सर्वोत्तम वरिष्ठ दायित्वधारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे उदाहरण के लिए यदि शाखा कोई कवि सम्मेलन या कोई सार्वजनिक स्तर के कार्यक्रम का आयोजन करती है तो यदि राष्ट्रीय दायित्वधारी उपस्थित हैं तो वह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और यदि एक से अधिक राष्ट्रीय दायित्व उपस्थित है तो वरिष्ठता के आधार पर कार्यक्रम की अध्यक्षता का निर्धारण किया जाना चाहिए।

एक विशेष बात आप सभी को ध्यान में रखनी है कि परिषद् के कार्यक्रमों में अध्यक्षता भारत विकास परिषद् के सदस्य के द्वारा ही की जाएगी। परिषद् से बाहर के व्यक्ति मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता या विशिष्ट

अतिथि आदि हो सकते हैं।

विशेष सभाओं तथा अन्य सभाओं में प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान दें–

1. मंच पर केवल वही व्यक्ति आसीन हो जिनका मंच से कोई दायित्व है। मंच बहुत लम्बा न बनायें।
2. सभा में उपस्थित विकास रत्न सदस्यों को मंच पर या अग्रिम पंक्ति में यथोचित सम्मान के साथ स्थान दिया जाना चाहिए।
3. महिला कार्यकता को प्रोत्साहित करने हेतु महिला संयोजिका को मंच पर या अग्रिम पंक्ति में यथोचित सम्मान मिले।
4. किसी प्रकल्प सम्बन्धी कार्यक्रम में शाखा तथा प्रान्त के उस प्रकल्प के प्रभारी को भी मंच पर बैठाना चाहिए। मंच पर बैठकर व्यवस्था हेतु नियमों एवं सिद्धान्तों के साथ–साथ व्यवहारिकता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
5. मंच सज्जा करते समय कनिष्ठ पद वाले अधिकारी को सर्वप्रथम मंचासीन करायें। इसी क्रम में मुख्य अतिथि अथवा उच्चतम अधिकारी का नाम सबसे अंत में पुकारा जाना चाहिये।
6. सम्मान करते समय यह क्रम उलट जाना चाहिये। सर्वोच्च पदाधिकारी या मुख्य अतिथि का सम्मान सर्वप्रथम एवं अन्य का वरिष्ठ से कनिष्ठ के क्रम में होना चाहिए।
7. परिषद् परिवार के सदस्यों का सम्मान तिलक व उपर्णा से किया जाये। किसी भी प्रकार का उपहार या मोमेंटो देने की प्रथा से बचना चाहिए। उपहार या मोमेंटो बाहर से पधारे व्यक्ति मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता या विशिष्ट अतिथि को अवश्य देवें।
8. इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मंच पर भारत माता व स्वामी विवेकानन्द के चित्र साफ हो और यथासम्भव केन्द्र द्वारा निर्धारित चित्रों का ही प्रयोग किया जाये। कार्यक्रम में भारत माता का चित्र दांयी तरफ एवं स्वामी विवेकानन्द का चित्र बांयी तरफ हो और चित्र पर माल्यार्पण पूर्व में ही किया जाना चाहिए। अतिथियों द्वारा तिलक एवं दीप प्रज्ज्वलन ही किया जाये।
9. मंच पर दीप प्रज्ज्वलन की सम्पूर्ण व्यवस्था एवं सामग्री हो, इसके लिये आवश्यक है कि शाखा सचिव अपना एक किट तैयार कर लेवें,

जिसमें भारत माता एवं स्वामी विवेकानन्द के चित्र दीपक बाती, अगरबत्ती, कपूर, मोमबत्ती, कुमकुम, माचिस, उपर्णा इत्यादि सामग्री अवश्य हो।

10. कार्यक्रम संचालन का पूर्ण विवरण पूर्व में ही बना लेवें और इस बात का विषेष ध्यान रखें की मुख्य वक्ता/अतिथि को जो विषय दिया गया है, उस विषय पर उनसे पूर्व वक्ता या तो ना बोले अथवा संक्षिप्त में बोलें, जिससे मुख्य वक्ता को अपनी बात कहने का उचित सम्मान मिले।

11. जिस कार्यक्रम में परिषद् से बाहर के अतिथि उपस्थित हों उस कार्यक्रम में 5 मिनट के समय में परिषद् सम्बन्धी जानकारी ऐसे व्यक्ति से दिलायें जिसको परिषद् सम्बन्धी समुचित ज्ञान हो एवं जो प्रभावी वक्ता हो।

12. समय का विशेष ध्यान रखें निश्चित् समय पर बिना किसी की प्रतीक्षा किये कार्यक्रम प्रारम्भ कर दें। कार्यक्रम के बीच में किसी भी व्यक्ति को मंचासीन कराने के लिए चल रहे कार्यक्रम/भाषण को न रोकें बल्कि कार्यक्रम समाप्त होने पर विलम्ब से आये अतिथि को मंचासीन कराकर उनका स्वागत करें।

13. परिषद् की बैठक एवं प्रत्येक कार्यक्रम में आवश्यक है कि शाखा सदस्य लेबिल पिन अवश्य लगाकर आयें। यदि शाखा / प्रान्त /रीजन /केन्द्र द्वारा बेच दिए गए हों तो सदस्यों को बेच पहनकर आना चाहिए।

देश हमें देता है सब कुछ
हम भी तो कुछ देना सीखें

मंच संचालन

1. आत्मविश्वास ही आपको मंच संचालक बना सकता है, आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, परन्तु यदि आप में आत्मविश्वास ही नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छे मंच संचालक नहीं बन सकते हैं।
2. सर्वप्रथम संचालन कर्ता को संचालन से पूर्व कार्यक्रम के स्वरूप, उद्देश्य, स्थान, विषय, वक्ताओं के उद्‌बोधन एवं प्रस्तुतियों की संख्या के साथ–साथ अतिथियों के बारे में जानकारी लेकर सम्पूर्ण कार्यक्रम की सूची बना लें।
3. कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले क्रियाकलापों व प्रस्तुतियों को संचालक को आयोजक के साथ बैठकर मिनट टु मिनट के आधार पर क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित कर लेना चाहिए। परिषद् के प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम का संचालन किया जाना चाहिए।
4. संचालनकर्ता को कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के दायित्व एवं पद की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। संचालन के समय गलत दायित्व से संबोधन करने पर कार्यक्रम में गलत प्रभाव पड़ता है।
5. अतिथियों को मंच पर मंचासीन करने के क्रम तथा स्वागत क्रम की संपूर्ण जानकारी कार्यक्रम से पूर्व संचालक के पास होनी चाहिए तथा उस अतिथि का स्वागत कौन करेगा इस क्रम की सूची भी आयोजक से चर्चा कर, संचालन से पूर्व तैयार होनी चाहिए। कभी–कभी स्वागतकर्ता पंडाल में उपस्थित ना हो तो ऐसी स्थिति में उपस्थित योग्य कार्यकर्ता का नाम तुरंत लेकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए।
6. मंच संचालन कर्ता का अपने सहयोगियों के साथ अच्छा तालमेल बना कर रखें, नहीं तो कार्यक्रम में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, जैसे– दीप प्रज्ज्वलन के समय जिसको दीप की जिम्मेदारी दे रखी हो वह सतर्क हो अथवा अतिथि स्वागत के लिए जिसको

स्वागत की जिम्मेदारी दे रखी हो वह सजग रहे।

7. कार्यक्रम में आने वाले अतिथि आदि लोगों का सूक्ष्म परिचय अवश्य लिख लें, ताकि जब उनका स्वागत किया जाये तो दर्शकों को उनके बारे में सामान्य जानकारी दी जा सके।

8. मंच के स्वभाव, कार्यक्रम के उद्देश्य और श्रोताओं की पृष्ठभूमि के अनुसार, वक्ताओं के उद्‌बोधन व प्रस्तुतियों के पहले अथवा बाद में रोचक पंक्तियां, दोहे एवं प्रासंगिक विषय की चर्चा संक्षिप्त में की जानी चाहिए, ताकि कार्यक्रम का संचालन आकर्षित बना रहे। ध्यान रहे बहुत अधिक शेरो–शायरी अथवा अनावश्यक कहानी किस्सों के प्रयोग से बचें।

9. कभी–कभी कार्यक्रम में विलंब या तकनीकी कमी के कारण जब समय मिलता है तो उस समय का उपयोग कार्यक्रम की अनुकूलता के अनुसार रोचक रूप में किया जाना चाहिए। समय का उपयोग चतुराई से करते हुए कार्यक्रम को समय पर प्रारंभ एवं संपादित कराने का दायित्व भी मंच संचालक का ही होता है।

10. यदि संचालन के बीच में किसी कार्यक्रम को आगे पीछे करना हो तो उसके लिए भी तैयारी रखें।

11. मंच संचालनकर्ता पूरे कार्यक्रम की स्क्रिप्ट लिख कर जरूर रखें, नहीं तो मंच पर हड़बड़ाहट या घबराहट का शिकार होना पड़ सकता है। संचालक को अपनी भाषा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अत: अपनी भाषा में न तो अशुद्धियों का प्रयोग करें, न ही लोकल भाषा या लोकल जुमलों का प्रयोग करें। किसी भी मित्र या परिचित को उनके लोकल नाम या उपनाम से ना पुकारा जाए।

12. संचालक का एक प्रमुख गुण है सम्पूर्ण शरीर का हाव भाव। आप अपने चेहरे, वाणी व हस्त संचालन को अपने मंच संचालन में अवश्य उपयोग करें।

13. किसी अच्छे संचालक की नकल करने का प्रयास न करें क्योंकि सभी की अपनी–अपनी शैली होती है। आप अपने हुनर एवं व्यक्तित्व का प्रदर्शन करें।

14. मंच संचालन किस विषय पर आधारित है, मंच संचालक का पहनावा उसी प्रकार का होना चाहिए। एक सफल संचालक को

अपने पहनावे का चुनाव सोच–समझकर करना चाहिये।

15. याद रखें कि अगर भूल से कुछ गलत हो गया है तो तुरंत भूल सुधारते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हड़बढ़ाएं नहीं।

सोचने से कहाँ मिलते हैं, तमन्नाओं के शहर ।
चलना भी जरूरी है, मंजिल पाने के लिए ।।

महात्मा बुद्ध ने कहा था

पक्के हुए फल की तीन पहचान होती है, एक तो वह नर्म हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह से परिपक्व व्यक्ति की भी तीन पहचान होती है पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है। और तीसरी उसके चेहरे पर आत्म विश्वास का रंग होता है

ORGANISATION STRUCTURE

(A) National Level

(A) National Council

National Council shall be the General Body of the Parishad and all powers of the Parishad shall vest in it. All other bodies of the Parishad at all levels shall be subordinate to and shall function under the control, supervision and guidance of the National Council in accordance with these Rules.

National Council shall be constituted of the following:

- National Patrons
- Office Bearers and members of the National Executive Committee
- National Auditor General
- Project Functionaries: Not more than ten project functionaries, other than chairpersons of National Project Committee, nominated by the National Core Committee for a particular meeting
- Regional Joint General Secretaries & Regional Finance Secretaries of all the Regions 33
- Presidents, General Secretaries and Finance Secretaries of all the Prants
- Representatives of Affiliated Bodies: Not more than ten functionaries of the Affiliated Bodies selected by the National Core Committee for a term of one/two years.
- Former National Presidents
- Former National Working/Executive Presidents
- Former National Secretaries General
- Former National Finance Secretaries
- Not more than ten Special Invitees nominated in the prescribed manner by the National Core Committee for a particular meeting.

B) National Executive Committee

National Executive Committee shall be the main executive body of the Parishad which shall be responsible for execution of all the decisions of the National Council. It shall work under the control, supervision and guidance of and shall be answerable to the National Council in all matters.

National Executive Committee shall be constituted of the following office bearers and members of the Parishad:

- National President
- National Executive President (if the post is filled);
- National Vice Presidents
- National Secretary General
- National Finance Secretary
- National Organising Secretary; (vii) National Additional Secretaries General
- Chairpersons of the National Project Committees
- Regional Presidents
- Regional General Secretaries
- Special invitees: Not more than ten Members of the Parishad or other distinguished persons as may be nominated by the National Core Committee may be invited as Special Invitees, without voting rights for a particular meeting.

(C) National Core Committee:-

National Core Committee shall be responsible for the smooth running of the organisation and shall exercise all the powers and discharge all functions assigned to it under the rules. In case of urgency, the National Core Committee shall exercise the necessary powers of the National Executive Committee and place the matter for approval before the next meeting of the National Executive Committee. All other decisions taken by the National Core Committee shall also be reported to the National Executive Committee in its next meeting.

National Core Committee shall be constituted by the following office bearers:

- National President

- National Executive President (if the post is filled)
- National Vice Presidents.
- National Secretary General
- National Finance Secretary
- National Organising Secretary
- Special invitees without voting rights (not more than two) as may be nominated by National President for a particular meeting).

(D) National Project Committees:

The National Executive Committee may in the prescribed manner constitute National Project Committees headed by Chairpersons for planning and implementation of various projects of the Parishad.

(B) Regional Level

(A) Regional Council

There shall be a Regional Council in every Region constituted by the following office bearers and persons:

- Regional Patrons
- All the members of the Regional Executive Committee
- Not more than two representatives of each of Affiliated Bodies having their head office in the Region deputed by the Board of Directors/Managing Committee/Board of Trustees or any other competent body of the Affiliated Body concerned.
- All the Presidents, General Secretaries, Finance Secretaries Organizing Secretaries and Mahila Sanyojika of the Prants falling under the Region

(B) Regional Executive Committee:

There shall be a Regional Executive Committee consisting of:

- Regional President
- Regional General secretary
- Regional Finance Secretary
- Regional Joint General Secretaries
- Regional Secretaries (Projects)

- Members of the National Project Committee residing in the region
- Members of the National Core Committee residing in the region shall be permanent invitees to the regional executive

(C) Prantiya Level

(A) Prantiya Council:

There shall be a Prantiya Council in every Prant which shall be constituted of the following office bearers and persons:

- Prantiya Patrons
- All the members of the Prantiya Executive Committee
- Presidents, Secretaries and Treasurers of all the Affiliated Branches falling within the geographical area of the Prant
- Representatives of Affiliated Branches falling within the geographical limits of the Prant having more than the prescribed number of members as provided by the Regulations.
- Not more than ten Project Functionaries selected by the elected office bearers of the Prant to represent projects of the Parishad being carried out in the Prant.
- Not more than two functionaries of each of the Affiliated Bodies having their head offices in the Prant selected by the elected office bearers of the Prant.
- All Past Prantiya Presidents and Prantiya General Secretaries who completed their terms and were not removed from office and who continue to take part in the activities of the Parishad as members of any Affiliated member within the Prant Area.
- All the members of the National Executive Committee residing within the geographical area of the Prant (viii) All the members of the Regional Executive Committee residing within the geographical area of the Prant

(B) Prantiya Executive Committee:

There shall be a Prantiya Executive Committee in a Prant constituted of the following office bearers and persons:

- Prantiya President
- Prantiya Vice Presidents
- Prantiya General Secretary
- Prantiya Finance Secretary
- Prantiya Organizing Secretary
- Prantiya Mahila Sanyojika
- Members of the National and/or Regional Executive Committee, not more than two, as may be nominated by Regional Executive Committee of the Parishad residing within the Prant Area. These nominees shall have no voting rights at Prantiya Executive Committee.
- Two Members nominated in the prescribed manner, by the elected office bearers of the Prantiya Executive Committee
- Immediate Past President and General Secretary of the Prant who completed their term and were not removed from office and who continue to take part in the activities of the Parishad as members of an affiliated member Branch.

(D) Branch (AOP) Level

Branch Council

Branch Council shall be constituted by all the Branch Members.

Branch Executive

It is the responsibility of the newly elected branch president to form the executive body for the next year with the help of his newly elected office bearers and other active members. The executive should be balanced. The number of executive members should not exceed one third of the total members.

While constituting Branch Executive, it should be kept in mind that an active and enthusiastic member doesn't be

missed. Many times old people are kept in the executive, but keep in mind that new member must be included so that workers can be prepared for the future.

(E) Auxiliary Bodies

Besides the main organisational bodies of the Parishad, following bodies may also be set up for efficiently carrying out Parishad activities-

(A) District Coordination Committees:

The Prantiya Executive Committee may establish District Coordination Committees for areas covered by Districts falling within its jurisdiction for efficiently carrying on the Parishad activities in that District.

❖ The Prantiya executive shall appoint a senior member to be the coordinator and another member to be the co-coordinator of the district coordination committee.

❖ Presidents, Secretaries and Treasurers of the Affiliated Branches falling in the District shall be the members of the District Coordination Committee..

❖ The Prantiya Office Bearers residing in the district shall be the permanent invitees at the meetings of the District Coordination Committee.

(B) City/Town Coordination Committees:

The Prantiya Executive Committee may establish City Coordination Committees for areas covered by Cities falling within its jurisdiction for efficiently carrying on the Parishad activities in those Cities.

❖ Presidents, Secretaries and Treasurers of the Affiliated Branches falling in the City shall be the members of the City Coordination Committee.

❖ The Prantiya executive shall appoint a senior member to be the coordinator and another member to be co-coordinator of the city coordination committee.

❖ The Prantiya Office Bearers residing in the city shall be the permanent invitees at the meetings of the city Coordination Committee.

Bharat Vikas Parishad
Rajasthan (Central)

भारत विकास परिषद्
राजस्थान (मध्य) प्रान्त

शाखा संचालन पद्धति

वर्ष पर्यन्त शाखाओं द्वारा किये गये कार्यक्रमों का निष्पादन सुन्दर व सुरूचिपूर्ण तरीकों से हो, इस हेतु संक्षिप्त में सारगर्भित रूप में शाखा संचालन से सम्बंधित गतिविधियों का बिन्दुवार समावेश किया जा रहा है।

शाखा पदाधिकारी चुनाव–

1. प्रान्त द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक के निर्देशन में प्रतिवर्ष जनवरी से मार्च के मध्य आवश्यक रूप से अध्यक्ष, सचिव व वित्त सचिव के चुनाव करवा लेवें ।
2. शाखा के वरिष्ठ सदस्य व निवर्तमान पदाधिकारी चुनाव से पूर्व ही सामूहिक विचार विमर्श से योग्य सदस्यों का चयन कर लें।
3. चुनाव के दिन कुल सदस्यों की उपस्थिति 20% से कम नही होनी चाहिए ।
4. चुनाव से पूर्व केन्द्र व प्रान्त की सभी बकायात प्रेषित कर दी जाये ।
5. किसी भी सदस्य का एक पद पर चुनाव लगातार दो वर्ष तक हो सकता है, किन्तु चुनाव प्रति वर्ष होना चाहिए।
6. चुनाव सभा में एक सदस्य नाम प्रस्तावित कर सकेगा व दूसरा समर्थन करेगा । जिसका नाम प्रस्तावित होता है, उसकी सभा में उपस्थिति आवश्यक तथा उसका केन्द्र एवं प्रान्त की कोई बकायात नहीं होनी चाहिये।
7. मतदान का अधिकार पति एवं पत्नी दोनों को है, किन्तु चुनाव दोनों में से कोई एक ही लड़ सकता है।
8. ऐसे व्यक्ति का मनोनयन नहीं किया जाये–

(अ) जिस पर कोई मुकदमा चल रहा हो।

(ब) किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी हो।
(स) जिसका चरित्र तथा चाल–चलन संदिग्ध हो ।
(द) जो परिषद् का कम से कम एक साल तक सदस्य ना रहा हो ।
(य) जिसकी आयु 75 वर्ष से अधिक हो।

9. नवीन दायित्वधारियों को कार्यभार एक अप्रेल से ग्रहण कर लेना चाहिए ।
10. नये चुनाव सम्पन्न होने पर पूर्व दायित्वधारियों को सम्पूर्ण रिकॉर्ड नवीन दायित्वधारियों को शीघ्र सौंप देना चाहिये।

शपथ ग्रहण समारोह

परिषद् के पदाधिकारियों का कार्यकाल 1 अप्रेल से 31 मार्च तक होता है। अतः शपथ ग्रहण समारोह अप्रेल माह में अवश्य करा लेना चाहिए। समारोह में निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखा जावे ।

1. सम्मेलन स्थल की साज–सज्जा अच्छी होनी चाहिए ।
2. मंच स्थल पर चार्टर एवं बेनर अवश्य लगा होना चाहिए।
3. कार्यक्रम के निमन्त्रण पत्र पर निवर्तमान एवं वर्तमान पदाधिकारियों के नाम छपे हो।
4. समारोह में सम्मानित नागरिकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रित करें ।
5. समारोह के कार्यक्रम की सूची मंच पर व्यवस्थित हो।
6. समारोह के लिए निम्न सामग्री को एकत्रित करें – भारत माता एवं स्वामी विवेकानन्द का चित्र, फूलमालाएँ, दीपदान, घी, तेल, माचिस, मोमबती, रूई, रोली, बैनर, स्मृति चिन्ह, वार्षिक प्रतिवेदन, शपथ पत्र, लेपल पिन आदि ।

Bharat Vikas Parishad
Rajasthan (Central)
भारत विकास परिषद्
राजस्थान (मध्य) प्रान्त

कार्यक्रम की रूपरेखा

1. दीप प्रज्ज्वलन व माल्यार्पण स्वामी विवेकानंद एवं भारत माता के चित्र पर
2. वन्देमातरम् ।
3. मंचस्थ अतिथियों का परिचय एवं तिलक से अभिनन्दन।
4. परिषद् का परिचय ।
5. निवर्तमान सचिव की रिपोर्ट।
6. श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान ।
7. एक/दो सांस्कृतिक कार्यक्रम।
8. नवीन पदाधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण ।
9. नव निर्वाचित अध्यक्ष / सचिव का उद्‌बोधन ।
10. मुख्य अतिथि का उद्‌बोधन ।
11. स्मृति चिन्ह प्रदान करना ।
12. कार्यक्रम अध्यक्ष का उद्‌बोधन ।
13. आभार प्रदर्शन ।
14. राष्ट्र गान ।
15. सहभोज /जलपान आदि।

विशेष ध्यान देने योग्य बातें

1. कार्यक्रम में सभी सदस्य लेपल पिन अवश्य लगा कर आएँ।
2. समारोह हेतु सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी को कार्यक्रम अध्यक्ष बनाया जाए।
3. विशिष्ट नागरिक, विकास मित्र, विकास रत्न, प्रान्तीय पदाधिकारी एवं केन्द्रीय पदाधिकारी के बैठने की व्यवस्था अग्रिम पंक्ति में होवे ।
4. प्रारम्भ में निवर्तमान अध्यक्ष/सचिव मंचासीन हो । शपथ ग्रहण के पश्चात नव निर्वाचित अध्यक्ष/सचिव मंचासीन होंगे।

5. सभी का तिलक द्वारा अभिनन्दन करें।
6. सभी वक्ताओं का समय निर्धारित होवे एवं परिषद् का परिचय देने वाला प्रभावी वक्ता होना चाहिये।
7. संचालन हिन्दी अथवा क्षैत्रीय भाषा में ही होना चाहिए।

पारिवारिक मिलन

1. परिषद् का ध्येय परस्पर सद्भाव, मैत्रीपूर्ण वातावरण का निर्माण करना है, जिससे सभी सदस्यो की आपस में प्रगाढ़ता बढ़े। इस हेतु होली मिलन, दीपावली मिलन, वन भ्रमण एवं अन्य विशेष पर्वो पर पारिवारिक मिलन तथा वर्ष की अन्तिम मासिक साधारण बैठक को भी पारिवारिक मिलन कार्यक्रम के रूप में रखा जा सकता है। ऐसी सभी बैठकों में बच्चों के लिए भी संस्कारप्रद एवं मनोरंजक कार्यक्रम रखने चाहिए एवं प्रयास किया जाना चाहिये कि कार्यक्रम का संचालन महिलाएं या बच्चे ही करे।

वर्ष में किये जाने वाले कार्यक्रमों की सूची

शाखाओं द्वारा वर्ष में किये जाने वाले कार्यक्रमों की सूची नीचे दी जा रही है। इन कार्यक्रमों में से शाखा अपनी सामर्थ्य एवं सुविधानुसार कुछ कार्यक्रम कर सकती है।

1. नव संवत्सर समारोह।
2. शपथग्रहण समारोह।
3. अभिरूचि शिविर।
4. पर्यावरण संरक्षण (पौधारोपण, तुलसी गमला वितरण, वाहन प्रदूषण जाँच शिविर, पोलिथीन बहिष्कार, यूज एण्ड थ्रो हटाओ अभियान आदि)
5. विचार गोष्ठियों का आयोजन।

6. चिकित्सा शिविर (अंग प्रत्यारोपण, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ऐलौपेथिक चिकित्सा, विकलांग सहायता, नैत्र जाँच, स्वास्थ्य, रक्तदान शिविर, रोगी वाहन संचालन आदि।)
7. संस्कार शिविर/योग शिविर।
8. महापुरूषों की जयन्तियाँ मनाना। (जैसे–सुभाष, प्रताप आदि)
9. परिषद् स्थापना दिवस– 10 जुलाई।
10. विभिन्न विद्यालयों में निर्धन छात्र सहायता कार्यक्रम (पाठ्य पुस्तकें, कॉपियां, सद् साहित्य, गणवेश, स्वेटर आदि का वितरण।)
11. गुरूवन्दन छात्र अभिनन्दन (मेधावी छात्रों का सम्मान)
12. वनवासी कल्याण सहायता योजना।
13. राष्ट्रीय समूहगान / संस्कृत समूहगान एवं लोकगीत प्रतियोगिता (देशभक्तिगीत) हिन्दी।
14. भारत को जानो प्रतियोगिता।
15. वन्देमातरम् उद्बोधन / गायन प्रतियोगिता।
16. विवेकानन्द जयन्ति मनाना।
17. संस्कृति सप्ताह पूरे 7 दिन अलग–अलग कार्यक्रम।
18. स्थायी प्रकल्प – मुक्तिधाम, अस्पताल में वार्ड संचालन, एम्बूलैंस, वस्त्र बैंक, दवा बैंक, प्याऊ आदि का संचालन।
19. सांस्कृतिक कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति से ओत–प्रोत कवि सम्मेलन, भक्ति संगीत, नृत्य आदि।
20. विभिन्न पर्व (दीपावली, होली, तीज, करवाचौथ पर कार्यक्रम)।
21. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवस (स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, बाल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, हिन्दी दिवस आदि)
22. गाँवों एवं सेवा बस्तियों में पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना।

23. प्राकृतिक आपदा शिविर में सहयोग (बाढ़, अकाल, अग्निकांड, दुर्घटना आदि।)
24. निर्धन कन्या सरल सामूहिक विवाह।
25. ग्राम बस्ती विकास योजना।
26. नई शाखा का गठन।

इसके अलावा अनेक ऐसे कार्यक्रम जो शाखा अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार परिषद् एवं जनहित में उपयोगी हो तो आयोजित कर सकती है।

साहस और धैर्य ही सफलता का मूल मंत्र है।

शाखा की वित्त व्यवस्था सम्बन्धित सुझाव

1. परिषद् के सदस्यों का शुल्क नगर में उद्योग–धंधों व्यापार, व्यवसाय के आधार पर ही तय की जानी चाहिए। ग्रामीण शाखाओं के सदस्यों के आय के साधन कम होते हैं इसी प्रकार छोटे नगरों के कुछ ज्यादा होतें हैं और बड़े नगरों में और अधिक हो सकते हैं अतः सदस्यता शुल्क भी इसी दृष्टि से निर्धारित करना चाहिए।
2. सदस्यों को सालाना शुल्क के अलावा अन्य प्रकल्पों के लिए भी कुछ राशि प्रतिवर्ष देनी पड़ती है अतः अलग–अलग सदस्यों से अलग–अलग प्रकल्प के लिए प्रारम्भ में या कार्यक्रम के समय एकत्रित करने में सुविधा रहती है।
3. सेवा व संस्कार के कार्यों के लिए वर्ष भर में एक ऐसा कार्य करें जिससे नगर के व्यक्तियों से भी धन आसानी से प्राप्त किया जा सके जैसे
    1. भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम
    2. कवि सम्मेलन
    3. भजन संध्या
    4. विकलांग शिविर
    5. गहन चिकित्सा जाँच एवं परामर्श शिविर
    6. नेत्र लेन्स प्रत्यारोपण शिविर
    7. प्याऊ
    8. स्थाई सेवा प्रकल्प आदि ।
4. स्मारिका प्रकाशन –विज्ञापनों के माध्यम से
5. चैरिटी शो के माध्यम से कूपन आदि बेचकर
6. अध्यक्ष, मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा दी गई सहयोग राशि ।

7. शाखा के लिए स्टेशनरी छपवाना, बैनर आदि बनवाना।
8. शाखा के आय–व्यय का लेखा बराबर रखना तथा अप्रेल माह में ही सदस्यों का शुल्क एकत्रित करना।
9. रोकड़ राशि जरुरी होवे उतनी ही पास रखना बाकी राशि बैंक खाते में जमा करवाना। पदाधिकारी बदलने पर बैंक में लेन–देन के लिए हस्ताक्षर परिवर्तन की आवश्यक कार्यवाही करना। लेन–देन पर कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर आवश्यक है। अध्यक्ष व सचिव दोनों में से किसी एक के हस्ताक्षर हो सकते हैं। हिसाबी वर्ष अप्रेल से मार्च तक के कम्पलीट एकाउन्ट्स पुराने कोषाध्यक्ष से सम्भालकर उनका आडिट करवाकर कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत करना।
10. वर्ष के प्रारम्भ में ही होने वाले अनुमानित आय–व्यय का बजट की कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत करके स्वीकृति लेना।
11. केन्द्र एवं प्रान्त का वार्षिक शुल्क जो भी निर्धारित हो वह 15 मई तक प्रान्त के कोषाध्यक्ष को भेजना।
12. बैलेन्ससीट में सेवा/संस्कार के प्रकल्पों के खर्च की पूर्ण विगत अलग– अलग रखें। प्रकल्प से सम्बन्धित प्रचार सामग्री, बैनर्स, स्टेशनरी, टेलीफोन, यात्रा खर्च नाश्ता चाय खर्च, स्मृति चिन्ह आदि सम्पूर्ण व्यय को उसी प्रकल्प के खर्चे में दिखावें।
13. सभी भुगतान कच्चे–पक्के बिल बाउचर से करें।
14. रसीद बुक, अकाउन्ट्स बुक, रजिस्टर व अन्य अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए और कार्यकाल की समाप्ति पर नये कोषाध्यक्ष को सुपुर्द कर देना चाहिए।
15. आडिटेड बेलेन्स सीट की प्रति हस्ताक्षर युक्त प्रान्त को भेजें।
16. रसीद बुक छपी हुई नहीं होवे तो वर्ष के प्रारम्भ में ही छपवाकर रख लेवें।

17. कोषाध्यक्ष का दायित्त्व है कि वह धन संग्रह करने में सक्रिय रहे एवं धन संग्रह की योजना सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करें।
18. कोषाध्यक्ष को यह ध्यान रखना चाहिए कि 31 दिसम्बर तक जो सदस्य बन जाते हैं उनके शुल्क को उसी वर्ष के खाते में जमा खर्च करें तथा 31 दिसम्बर के बाद में बने सदस्य की गणना अगले वर्ष के सदस्य के रूप में होती है। अत : उसके शुल्क को अगले वर्ष के लिए अग्रिम राशि के रूप में जमा करना चाहिए।

प्रचार प्रमुख–

परिषद् के प्रचार–प्रसार की दृष्टि से प्रचार प्रमुख की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रचार प्रमुख के निम्न कार्य होते हैं. –

1. स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में परिषद् द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यक्रमों के समाचार समय पर प्रेषित करें।
2. कार्यक्रम के दौरान ही विज्ञप्ति बनाकर फोटो सहित समाचार पत्रों में भेजने की व्यवस्था करें।
3. शाखा के प्रत्येक कार्यक्रम की फोटो बनाकर एलबम तैयार करें इसी तरह समाचार पत्रों की कटिंग की प्रदर्शनी सभा स्थल पर रखें ताकि सभी सदस्यों को जानकारी रहे।
4. भारत विकास परिषद् की प्रान्त स्तरीय पत्रिका नई दिशा एवं केन्द्र स्तर की ''नीति'' में समाचार पत्रों की कटिंग, संक्षिप्त रिपोर्ट कार्यक्रमों की फोटो के साथ भेजने की व्यवस्था करें।
5. शाखा के होने वाले सभी विशेष आयोजनों की नगरवासियों को जानकारी देने के लिए हैण्ड बिल, बैनर्स, स्वागत द्वार, स्टीकर्स, होर्डिंग आदि बनाकर नगर के मुख्य चौराहों पर लगाने की व्यवस्था करें।
6. वर्ष में एक बार स्थानीय पत्रकारों एवं केबल टी. वी. चैनल के

पदाधिकारियों के साथ विचार गोष्ठी एवं सहभोज का कार्यक्रम रखें।

7. शाखा के कार्यक्रमों एवं उत्सवों पर भी पत्रकारों को आमंत्रित करना चाहिए।

8. प्रचार प्रमुख का महत्त्वपूर्ण दायित्त्व है कि वह स्वयं की एवं किसी पदाधिकारी की प्रसिद्धि के लिए काम नहीं करके परिषद् के कार्यक्रमों, नीति एवं सिद्धान्तों को ही प्रचारित करे।

9. परिषद् का प्रत्येक सदस्य वैसे तो जन सम्पर्क अधिकारी है किन्तु प्रचार प्रमुख को विशेष सम्पर्क जनता एवं प्रशासन से रखना चाहिए।

10. शाखा के विभिन्न प्रकल्पों एवं कार्यक्रमों में जिन व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है उन्हे धन्यवाद पत्र भेजना इसी प्रकार कार्यक्रमों में आमंत्रित अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों को धन्यवाद पत्र भेजना।

11. स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को शाखा की रिपोर्ट भेजना एवं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए धन्यावाद पत्र भेजना।

12. सदस्यता फार्म की फाईल रखना ।

‘जल है तो कल है’

परामपरागत जल स्त्रोत को साफ रखो और नष्ट न होने दे

Bharat Vikas Parishad
Rajasthan (Central)
भारत विकास परिषद्
राजस्थान (मध्य) प्रान्त

प्रकल्प प्रमुखों के दायित्व

भारत विकास परिषद् की सभी शाखाएँ संस्कार एवं सेवा के विभिन्न कार्यक्रम वर्ष पर्यन्त सम्पन्न करती है, उनके सफल आयोजन एवं संचालन के लिए सक्रिय एवं उत्साही सदस्यों का ही चयन वर्ष के प्रारम्भ में कर लेना चाहिए वे निम्न हो सकते हैं –

नव संवत्सर प्रमुख –

यह परिषद् का महत्वपूर्ण प्रकल्प है। प्रत्येक शाखा को भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को वृहद रूप में हर्षोल्लास से मनाना चाहिए जिससे नगर के नागरिकों के मानस पर अमिट छाप पड़े और उनकी सहभागिता निरन्तर बढ़ती रहे।

1. इसको उत्साहपूर्वक मनाने के लिए नव संवतसर से 3–4 दिन पूर्व समाचार पत्रों में इसके महत्त्व को लिखकर पत्रक निकलवाना तथा जनता से अपील करना ।
2. नगर के प्रमुख चौराहों पर स्वागत द्वार बनाना ।
3. विद्युत सज्जा एवं चौराहों पर मंदिरों में मिट्टी के दीपक जलाना तथा सदस्यों को अपने घरों पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए।
4. नगर के गणमान्य नागरिकों एवं स्कूल के विद्यार्थियों की सहभागिता से नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जुलूस निकालना तथा विसर्जन के पूर्व नव संवतसर पर प्रकाश डालना। मिठाई प्रसाद वितरित करना ।
5. नव संवतसर के बैनर्स पूरे नगर में लगाना ।
6. ओम अंकित झण्डे घरों में लगाना ।
7. नगर के सार्वजनिक स्थानों पर स्टीकर्स चिपकाना।
8. कवि सम्मेलन, हवन, तुलसी पौधों का वितरण, भजन संध्या आदि का आयोजन करना ।
9. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसदों, विधायकों, नगर पार्षदों, प्रशासनिक अधिकारियों, सदस्यों एवं गणमान्य नागरिकों को बधाई सन्देश भेजना।
10. समाचार पत्रों में बधाई सन्देश प्रकाशित करवाना।

संगठन पर्व – भारत विकास परिषद् शपथ एवं दायित्व ग्रहण समारोह

समाज जीवन में किसी विचार अथवा संस्कार सेवा कार्य के उद्यम करने वाली विभिन्न संस्थाओ, संगठनों में समाज क्षेत्र के बंधुओं को जोड़ा जाता है तो उस संगठन संस्था के उद्देश्य, विचारधारा, कार्यपद्धति आदि के आधार प्राथमिक सदस्य के नाते जोड़कर कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। कार्यकर्ता निर्माण हेतु सदस्य से भी एक अपेक्षा होती है, उस अपेक्षा को ही कुछ पंक्तियों के उच्चारण के साथ सदस्यता का संकल्प धारण कराया जाता है। सदस्य के संकल्प को भाव रूप में धारण करते हुए आत्मसात कर स्वीकार करना चाहिए। समय के साथ सदस्य को कार्यकर्ता भाव की अनुभूति होने लगती है तब संगठन उनकी क्षमता अनुसार दायित्व प्रदान करता है अथवा कार्यकर्ता ही स्वप्रेरणा से आग्रहपूर्वक दायित्व स्वीकार करते हैं। दायित्व संगठन प्रदान करे अथवा स्वयं के आग्रह से स्वीकार करें, उन्हें दायित्व संकल्प के माध्यम से ग्रहण कराया जाता है जिसे कार्यकर्ता अंगीकार करते हुए धारण कर निर्वहन करता है अथवा शपथ जानकर पदाधिकारी बन जाता है। संगठन में पदाधिकारी का भाव न रख कर दायित्वधारी का भाव ही रखना चाहिए। यहां तक पहुंचते–पहुंचते संगठन की अपेक्षानुसार संगठन के विचार, संकल्पित रीति नीति एवं कार्य सिद्धांत आगे पीछे होना प्रारम्भ हो जाते हैं। स्वयं के अन्य संस्थाओं/संगठनों के अनुभव और रीति नीति तथा स्वयं के विचार का प्रभाव परिलक्षित होना प्रारम्भ हो जाता है।

भारत विकास परिषद् में भी शाखा स्तर से लेकर केंद्रीय पदाधिकारियों का एक अथवा दो वर्ष में दायित्व ग्रहण होता है। सामान्यतया यह कार्यक्रम भव्य समारोह के रूप में होता है। अतिथि बुलाए जाते हैं नए पदाधिकारी सदस्यों सहित मित्रों को आमंत्रित भी करते हैं। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शपथ भी दिलाते हैं। समारोह के अनुरूप सुस्वाद भोजन भी होता है। आने वालों को खूब आनंद आता है। सत्र की शुरुआत है सभी को इच्छा रहती है कि कार्यक्रम भव्य, दिव्य होना चाहिए

और होता भी है।

अनुभव में आता है कि हम इस दिव्यता, भव्यता और आनंद के क्षण में संगठन के लिए आवश्यक बहुत सी बातें अथवा जरूरी कार्य भूल जाते हैं अथवा केवल औपचारिकता स्वरूप ही पूर्ण करते हैं। इस कारण जिस उद्देश्य के लिए हमने पदभार ग्रहण किया है अथवा संकल्प लिया है उसको पूर्ण करने में कुछ कठिनाइयां आती हैं। कुछ बातें ध्यान रखने योग्य :–

1. संकल्प पत्र :– प्रचलित व्यवस्था अनुसार हम समारोह में संकल्प पत्र का केवल औपचारिक पठन कर हस्ताक्षर कर पुन : लौटा देते हैं। पंक्तियों का एक बार किया गया पठन स्मरण में रहेगा या अन्त :करण में स्थापित हो जायेगा यह व्यवहारिक नहीं है।

सुझाव :– संकल्प पत्र दो भाग में बनाया जाना चाहिए। एक भाग पर पठन करने के उपरांत सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर लौटाया जावे। दूसरा भाग अपने निवास स्थान अथवा कार्यालय पर ऐसे स्थान पर लगाया जावें जहां से वो प्रतिदिन पठनीय हो। स्वयं भी पढ़ें और आने वाले अतिथि भी पढ़ सकें।

भारत विकास परिषद् के संकल्प पत्र की बहुत ही सुंदर एवं विस्तृत व्याख्या संगठन के वरिष्ठ दायित्वधारियों द्वारा की गयी है। हमें अपनी कार्यशालाओं तथा महत्वपूर्ण बैठकों में कार्यकर्ताओं को भी संकल्प पत्र की विस्तृत व्याख्या उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि हमारे कार्यकर्ता संकल्प पत्र के शब्दों के मूल भाव को जान सके और उसे आत्मसात कर सके।

2. निवर्तमान दायित्वधारियों द्वारा नवीन दायित्वधारियों को पुराना रिकॉर्ड, कार्यवाही बैठक रजिस्टर एवं सत्र पर्यन्त क्रय की गयी सामग्री जो उपयोग में ना आयी हो दायित्वग्रहण समारोह में प्रदान करना चाहिए। समारोह में प्राय : निवर्तमान दायित्वधारियों द्वारा नवीन दायित्वधारियों को एक नया उपरना धारण कराया जाता है एवं औपचारिकता स्वरूप एक छोटा भाषण भी करवाया जाता है लेकिन अनेक स्थानों पर दायित्व ग्रहण करते समय नवीन दायित्वधारियों को गत सत्र का कार्यवाही रजिस्टर, सदस्यों की सूची एवं प्रकल्पों के संचालन हेतु क्रय की गयी सामग्री जो उपयोग में न आयी हो उसका हस्तांतरण नहीं किया जाता है। यहां यह भी ध्यान में आता है कि ये सब चीजें किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है संगठन

की धरोहर है और धरोहर का आगे से आगे हस्तांतरण एवं समंवर्द्धन होना चाहिए।

3. **लेखा पुस्तकें, शेष नगद राशि, बैंक पासबुक, चैक बुक आदि का हस्तांतरण :** – नवीन सत्र में जब दायित्वधारियों का परिवर्तन होता है तो निवर्तमान दायित्वधारी दायित्व ग्रहण के समय अथवा उससे तुरंत पश्चात् भी लेखा पुस्तकें, बैंक पासबुक, शेष नगद राशि आदि का स्थानांतरण करना चाहिए। बैंक खातों में हस्ताक्षर परिवर्तन तत्काल प्रभाव से कराने चाहिए। कभी कभी ध्यान में आता है गत कार्यकारिणी द्वारा सत्र पर्यन्त एकत्र की गयी राशि को व्यय करना अधिकार समझने लगती है और सत्र समापन आते–आते राशि को लगभग पूर्ण रूप से व्यय करना लक्ष्य बन जाता है यह मानसिकता उचित नहीं है।

एकत्र की गयी राशि में से यदि राशि शेष बच गयी है तो वह संगठन की राशि है और आने वाली नवीन कार्यकारिणी को अपने अनुभव के आधार पर सहयोग करते हुए उस राशि की योजना बनाने का अधिकार देना चाहिए ताकि नवीन दायित्वधारियों को प्रकल्प संचालन में सहयोग प्राप्त हो।

4. **निष्ठा :–** ''मैं सदैव परिषद् के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद् का गौरव बढ़ाने का बढ़ाने का प्रयास करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे इसकी गरीमा कम हो । सदस्यता / दायित्व का संकल्प ग्रहण करने हेतु उक्त पंक्तियों का वाचन/पठन किया जाता है। ध्यान में आता है कि निष्ठा परिषद् के प्रति पूर्ण रूप से रहेगी। निष्ठा कभी भी आंशिक या किसी दायित्वधारी अथवा कुछ व्यक्तियों के प्रति नहीं हो सकती है। व्यक्ति निष्ठ के स्थान पर संगठन निष्ठ हो सदैव यह ध्यान रखना चाहिए।

5. **कार्यक्रमों एवं बैठकों में पूर्ण राष्ट्रगीत वंदेमातरम्** के गायन हेतु प्रेरित करना। दीपक पूरे कार्यक्रम/ बैठक में प्रज्ज्वलित रहे यह भी ध्यान रहे। नेपथ्य में लगे बैनर में परिषद् का बोध चिन्ह (लोगो) श्वेत श्याम रूप में ही हो एवं शाखा की एफिलेशन की तिथि भी अंकित हो। भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद जी के चित्रपट स्वच्छ हो। पिछले कार्यक्रम के तिलक उस पर अंकित नहीं हो। आवश्यक सामग्री यथा दीपक, अगरबत्ती,

माचिस, पुष्पमाला, तिलक पूर्व में ही व्यवस्थित हो।

6. **प्रवास :–** किसी भी संगठन / संस्था में दायित्ववान कार्यकताओं का नियमित प्रवास पूर्णत : सम्पर्कशील भाव से महत्वपूर्ण होता है। संगठन की केन्द्रीय / प्रान्तीय योजना एवं अपेक्षाओं को इकाई के स्तर पर समुचित स्वरूप में पहुंचाना, शाखा स्तर पर उपस्थित होने वाले अनुभवों का संकलन कर प्रांत तक प्रेषित करना संगठन का विस्तार हो एवं समाज के नये–नये बंधु संगठन के कार्यो से जुड़ें ऐसा प्रयास करना सहित अनेक विषय प्रवास का महत्त्वपूर्ण भाग होते हैं। उक्त सभी विषय सिद्ध करने हेतु शाखा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर परस्पर चर्चा होना आवश्यक है बैठक में शाखा की मातृशक्ति की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। ध्यान में आता है कि शाखा के किसी कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथि के रूप से जाने की स्थिति को भी प्रवास जान लेते हैं। जबकि कार्यक्रम में परस्पर चर्चा नहीं हो पाती है। स्वयं की निजी यात्रा पर निकले है तथा मार्ग में आने वाली कुछ शाखाओं में अल्प समय हेतु फोन कर कुछ दायित्वधारियों के साथ शिष्टाचार भेंट कर चाय अल्पाहार ग्रहण कर आगे बढ़ जाते हैं उसे भी प्रवास जान लेते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण देखने में आते हैं जिनमें प्रवास की उपयोगिता सिद्ध हुए बिना ही प्रवास मान लिया जाता है। प्रवास सदैव योजनाबद्ध होना चाहिए। प्रवास पर जाने से पूर्व प्रांतीय कार्यालय से संबंधित शाखा की योजना एवं वहां पर करने वाली चर्चा के बिन्दु तय करने चाहिए। प्रवास उपरान्त रिपोर्ट भी सौंपनी चाहिए। प्रवास प्रांत की योजना से हो अथवा स्व प्रेरणा से दोनों ही स्थिति में प्रांतीय कार्यालय के माध्यम से संबंधित दायित्वधारियों को पूर्व सूचना होनी चाहिए। शाखाओं द्वारा प्रांतीय दायित्वधारियों के प्रवास चाहे जाने पर उनके द्वारा प्रांतीय कार्यालय के माध्यम से ही प्रवास कराना चाहिए। सीधे ही प्रान्तीय/रीजनल/केन्द्रीय दायित्वधारियों से सम्पर्क कर प्रवास का आग्रह करना नीति संगत नहीं है। योजनाबद्ध प्रवास नवीन ऊर्जा का संचार करता है साथ ही व्यवस्थाओं को और अधिक दृढ़ता भी प्रदान करता है।

प्रभावी नेतृत्व हेतु गुण

नेतृत्व करना एक खास कला है, जो सामान्य व्यक्तित्व के अंदर नहीं होती। यह इतनी खास है कि विदेशों में इस कला को विकसित करने के लिए व्यावसायिक स्तर पर कक्षाएं होती है। इसे जीवन जीने की कला का महत्वपूर्ण बिंदु माना जा रहा है। यह कला ही ऐसी है, जो पूर्णता तभी पाती है, जब व्यक्ति का सही रूप में व्यक्तित्व विकसित होता है, उसका चरित्र प्रखर होता है और वह गुणों की खान होता है। कार्यस्थल पर नेतृत्व की पहचान कार्यस्थल के सहयोगी वातावरण, सहकर्मियों के सद्भाव, कार्य निष्ठा एवं लगन, सफल कार्यो की निरंतरता, काम करने वाले लोगों के भावनात्मक लगाव एवं संस्थान की छवि से होती है। श्रेष्ठतम नेतृत्वकर्ता वही होता है, जिसके व्यक्तित्व को हर कोई स्वीकारता है। ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने वाले लोग अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर करने के लिये तत्पर रहते हैं। अत: श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान करने के लिए व्यक्ति में निम्न गुणों का होना आवश्यक है–

अनुशासन प्रिय होना– नेतृत्वकर्ता को स्वयं अनुशासित जीवन जीना चाहिए और समय पर हर कार्य को पूर्ण करना चाहिए। ऐसा होने पर ही उसके अंतर्गत कार्य करने वाले लोग अनुशासित रहेंगे और निर्धारित कार्यो को समय पर पूर्ण करने का प्रयास करेगें ।

श्रमशीलता– जो व्यक्ति श्रम को ही पूजा मानते है तथा अपेक्षा से अधिक काम करने की चाहत व क्षमता रखते है, वे ही अपने सहकर्मियों को और अधिक अच्छा करने की प्रेरणा दे सकते हैं।

जिम्मेदारी स्वीकार करना या उत्तरदायी होना– व्यक्ति को अपने कार्यो के प्रति उत्तरदायी होने के साथ–साथ अपने अंतर्गत काम करने वालों की गलतियों व असफलताओं के दायित्व को स्वीकार करने का साहस व दायित्वबोध भी होना चाहिए। ऐसा किए बिना उनके विश्वास को नहीं जीता जा सकता।

वस्तुनिष्ठ व्यवहार– सफल नेतृत्वकर्ता के व्यवहार में निष्पक्षता एवं सोच में वस्तुनिष्ठता का गुण होना चाहिए। इसके लिए व्यक्तिगत

सम्बंधों को व व्यवसायिक सम्बन्धों को बिलकुल अलग रखा जाना चाहिए।

साहस – नेतृत्वकर्ता को साहस का परिचय देते हुए चुनौतियों को स्वीकारना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर व निर्भय नहीं होतें हैं, उनके नेतृत्व को बार–बार चुनौतियां मिलती रहती हैं और ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व को उसके सहकर्मी लंबे समय तक स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए नेतृत्वकर्ता का साहसी होना अत्यंत जरूरी है।

स्वनियंत्रण – नेतृत्वकर्ता को अपनी वाणी एवं व्यवहार स्वनियंत्रण में रखना आना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी वाणी व कार्यो को अपने दायित्व व अपेक्षाओं के अनुरूप समयानुसार नियंत्रण में नहीं रख सकता है, वह दूसरों को सही नेतृत्व भी नहीं दे सकता है क्योंकि उसके मर्यादारहित व्यवहार से उसके नियंत्रण में काम करने वाले लोग मनमानी करने लगते हैं। इसलिए स्वनियंत्रण के द्वारा ही नेतृत्वकर्त्ता दूसरों को प्रभावित कर सकता है।

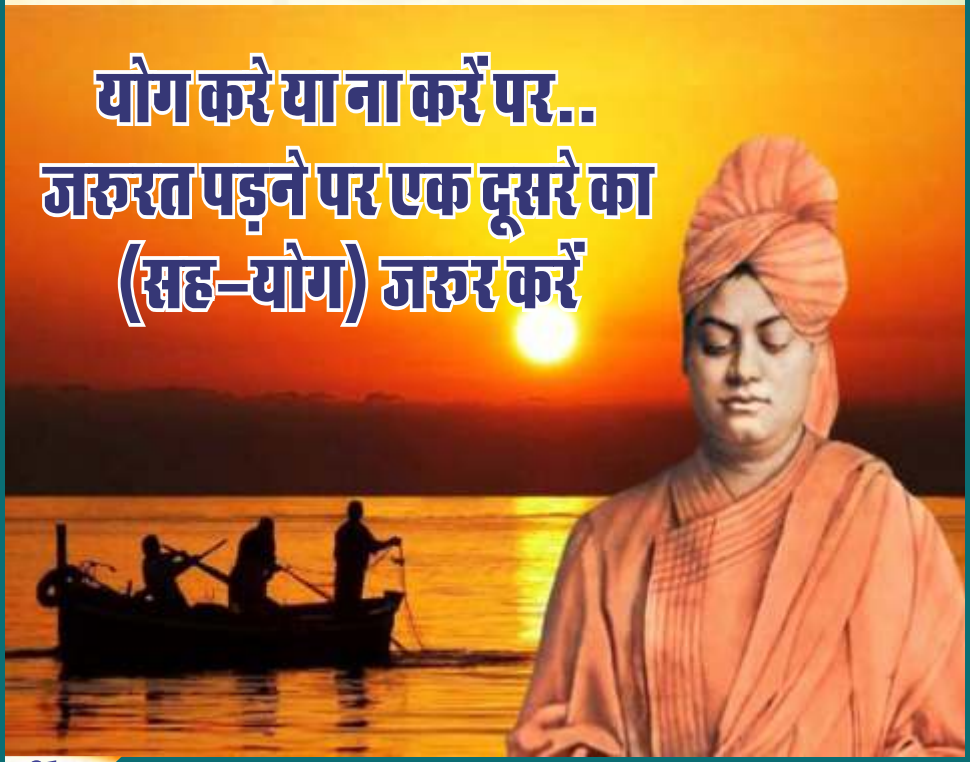

Bharat Vikas Parishad
Rajasthan (Central)
भारत विकास परिषद्
राजस्थान (मध्य) प्रान्त

संगठन में अनुशासन कैसे

अनुशासन का जीवन में वही महत्व है, जो समाज में विधि–निवेश रूप कानून का। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज के अस्तित्व का पूर्ण उत्तरदायी है। आज के परिपेक्ष में संगठित अनुशासन से समाज व्याप्त दोषों का निवारण का भाव जागृत किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह अनुशासन के आधार पर जानना बहुत ही आवश्यक है। शास्त्रों और महापुरूषों द्वारा बताये गये उपायों से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अनुशासन का मूल आधार सदाचार है। तो सदाचार क्या है ? शास्त्रों के अनुसार सदाचार के सामान्य नियम एक संगठित कार्यकर्ता में इस प्रकार होने चाहिये :–

1. कार्यकर्त्ता को समय का सदैव सदुपयोग करना चाहिये, एक पल भी निष्फल नहीं खोना चाहिये ।
2. कार्यकर्त्ता मितव्ययी रहे साथ ही स्वयं पर खर्चों पर पूर्ण नियंत्रण हो ।
3. कार्यकर्त्ता स्वावलंबी हो ।
4. कार्यकर्त्ता नि :स्वार्थी हो ।
5. उत्तम कार्य के भाव को समझें तथा कभी उसे छोटा नहीं आकें। कार्य संपादन में पूर्ण ईमानदारी हो । प्रमाद से बचें।
6. स्वयं की कमियों का आवश्यक रूप से आंकलन करना चाहिये ।
7. वाणी सदाचारी हो अर्थात् निन्दा रहित वाणी ही मुख से निकले।
8. अभिमान भरे वचन आपको अवश्य ही दिशाहीन करेंगे। स्वयं की प्रशंसा बिल्कुल नहीं करें।
9. आवश्यकता होने पर दूसरों की सच्ची प्रशंसा अवश्य करें, परन्तु खुशामद के भाव से नहीं हो ।

यहाँ कुछ पंक्तियों के माध्यम से सदाचार पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। सदाचार के मौलिक सूत्रों (सत्य, करूणा, स्वावलंबन, कर्त्तव्य निष्ठा, अनासक्ति, धैर्य, अभय, स्वशासन एवं संयम) को ग्रहण कर नीतिवान बनें। यदि सदाचार के सूत्रों को पूर्ण निष्ठा से पालन कर लिया जाये तो एक संगठित एवं अनुशासित कार्यकर्ता का निर्माण होगा एवं वह संगठन में एक उच्च आदर्श भी स्थापित करेगा।

दृढ़ संकल्प के प्रयास ही सदा सफल होते हैं।
बातों से कभी नहीं खड़े होते रेत के महल हैं ।।
कलाकार पाषाण में भी सिरज देता है चमत्कार ।
अपने ही दम पर तो, अपनी जय के पल होते हैं ।।

कीमतें कुछ समय बाद ही भुला दी जाती है। मगर गुणवत्ता हमेशा याद रहती है।

Bharat Vikas Parishad
Rajasthan (Central)
भारत विकास परिषद्
राजस्थान (मध्य) प्रान्त

संगठन में समय प्रतिबद्धता

समय संसार की सबसे मूल्यवान संपदा है। कहा जाता है कि समय ही जीवन है। मानव शरीर की संरचना अवश्य ही विभिन्न तत्वों से निर्मित है, परन्तु जीवन–महल का निर्माण ''घंटो, मिनिटों एवं पलों''की ईंटों से हुआ है। माननीय ईश्वरचंद विद्यासागर एवं अब्राहिम लिंकन समय के इतने प्रतिबद्ध थे कि जब वे राह से गुजरते थे तो दुकानदार अपनी घड़ियों का समय उन्हें देखकर ठीक किया करते थे।

किसी भी संगठन की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि उनके सदस्य संगठन के प्रति कितने अनुशासित हैं। समय की प्रतिबद्धता, अनुशासन मापने का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। समय की अनुपालना से संगठन की आंतरिक एवं बाह्य छवि पर बहुत गहन असर पड़ता है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि संगठन के कार्यकर्ता आचरण एवं कार्य संपादन के तरीके से ही संतुष्ट हो जाता है। उस कार्य के संपादन में मूल्यवान समय प्रतिबद्धता के भाव पर यदि ध्यान नहीं रखा गया हो तो पूर्ण संतुष्टि मानना सही नहीं कहा जा सकता। हमें यह सुनकर अत्यंत ही शर्म एवं ग्लानि महसूस होती है जब कोई ''ईण्डियन–टाईम'' को समय प्रतिबद्धता पालन नहीं करने पर कहा जाता है। ऐसी छवि से बाहर निकलना होगा चाहे कोई भी कार्यक्रम कम संख्या से ही संपादित क्यों न करना पड़े। यदि समय की अनुपालना कठोरता से की जाय तो संगठन में एक स्वस्थ परंपरा का निर्माण होगा। समय की प्रतिबद्धता अनुशासित कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करती है। समय की पालना नहीं करने वाले ऐसे आलसी एवं प्रमादी व्यक्ति को सिवाय पछतावे के कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। गायत्री परिवार के संस्थापक पं. श्रीराम शर्मा ''आचार्य'' के अनुसार ''संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी महानता का एक ही स्तंभ हैं समय का सदुपयोग। समय बहुत बड़ा धन है, भौतिक धन से भी अधिक मूल्यवान।''

अत: प्रत्येक समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह समय के महत्व को समझे एवं ईमानदारी से उसकी पालना करे।

"समय किसी के रोकने से न रुक सका है,
न चला है। वह अपनी गति से निरन्तर गतिशील है,
समय ही सब है। समय का मूल्य जो जानता है,
वह सफल मनुष्य है। देख, समझ कर
समय के साथ चलो, समय की कीमत जानो ।।"

महिला संयोजिका के दायित्व

भारत विकास परिषद् में अन्य सामाजिक–सांस्कृतिक संस्थाओं की तुलना में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिये इसके प्रथम सूत्र सम्पर्क के अन्तर्गत 'महिला सहभागिता' को एक प्रकल्प के रूप में अपनाया गया है। परिषद् का विश्वास है कि महिलाओं की सक्रिय सहभागिता के बिना कोई भी प्रगति या विकास संभव नहीं है क्योंकि महिलाएं समाज के आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती है। मानव जन्म से लेकर उसके लालन–पालन और विकास का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं की भूमिका ना हो। अगर महिला को परिवार समाज व राष्ट्र की धुरी कहूँ तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। महिला सहभागिता उन्मुख कार्यक्रम (महिला प्रमुख के कार्य)

सम्पर्क कार्यक्रम :

1. सदस्यों को मीटिंग में आने के लिये अनुरोध करने का उत्तरदायित्व ।
2. सदस्यों के जन्म एवं वैवाहिक तिथि पर शुभकामना प्रेषित करने का उत्तरदायित्व !
3. नये सदस्यों एवं नवीन शाखाओं को जोड़ने में भूमिका ।

संस्कार कार्यक्रम :

1. मेंहदी, रंगोली, पूजा थाली सज्जा, सलाद एवं पकवान प्रतियोगिताएँ आयोजित करवाना।
2. मासिक आधार पर भजन संध्या, सुन्दरकाण्ड का पाठ ।
3. संगीत, नृत्य एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ।
4. होली, दीपावली, श्रावणी, बसन्त, नववर्ष आदि महोत्सव का आयोजन।

सहयोग कार्यक्रम :

1. मासिक आधार पर महिला सदस्यों की 'सहयोग बचत निधि'

बैठकों का आयोजन।

2. मासिक बैठकों में पारस्परिक हित के विषयों एवं समस्याओं पर विचार–विमर्श।

सेवा कार्यक्रम :

1. महिला साक्षरता कार्यक्रम।
2. स्वास्थ्य शिविर और विशेष रूप से महिला एवं बाल स्वास्थ्य शिविरों में महिला सदस्यों की विशिष्ट भागीदारी।
3. निर्धन वर्ग की लड़कियों के लिये सिलाई, कढ़ाई एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र।
4. स्वास्थ्य, सफाई एवं पर्यावरण से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।

अन्य कार्यक्रम :

1. अपने–अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित करने वाली महिलाओं का सम्मान, जिससे और अधिक महिलायें प्रेरित हो व आत्मविश्वास बढ़े।
2. विशिष्ट विषयों पर सेमीनारों का आयोजन जैसे युवाओं में संस्कार सृजन, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध जागरूकता इत्यादि।

मुख्य रूप से देखा जाए तो 'महिला सहभागिता' सम्पर्क सूत्र का एक महत्वपूर्ण प्रकल्प है जिसके लिये राष्ट्रीय स्तर से शाखा स्तर तक प्रभावी प्रयास करने होंगे। तभी दाम्पत्य सदस्यता के दर्शन की सार्थकता पूर्ण होगी।

इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं पर परिवार की व व्यक्तिगत जिम्मेदारियाँ भी है। लेकिन यदि महिलायें अपने समय एवं कार्यों का उचित नियोजन करें और मन में समाज व राष्ट्र की भावना हो तो वे राह निकाल सकती हैं। क्योंकि परिषद् के कार्यों के लिये 15 दिन या माह में एक या दो बार कुछ घंटों का समय और सकारात्मक सोच देनी होती है।

स्त्री व पुरुष गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिये हैं जिनका समान गति तथा पूर्ण समन्वय के साथ चलना आवश्यक है। सेवा का क्षेत्र भी इसी समन्वय तथा सहभागिता की माँग करता है।

महिला एवं बाल विकास

महिला जागरूकता से तात्पर्य है महिलाओं का अपने अधिकारों, कर्तव्यों, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास के प्रति सजग होना। महिला शिक्षित है या अशिक्षित उसे समाज में उचित सम्मान प्राप्त होना चाहिये। भारतीय संविधान भी अनुच्छेद 14 एवं 15 के तहत जाति, धर्म और वर्ण के भेदभाव के बिना सभी को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। प्रायः देखा गया है कि महिलाओं के प्रति समाज में कार्यक्षेत्र में, परिवारों में, वेतन में, खेलों में जो भेदभाव होता है, वह पितृसतात्मक सोच का परिणाम होता है और इसका एक बहुत बड़ा कारण बाजार व्यवस्था पर पुरुषों का नियंत्रण होना है।

यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो स्पष्ट रूप से देश को दो भागों में बाँटा जा सकता है। नगरीय भारत तथा ग्रामीण भारत। नगरीय क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। साथ ही शोषण के तरीके व शिकार होने की संभावना भी अधिक होती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति भेदभाव उनकी अशिक्षा, जातिगत ऊँच–नीच और उनका आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से होता है। महिलायें चाहें शहरी हो या ग्रामीण, सबसे अधिक उत्पीड़न यौन हिंसा को लेकर होता है। महिलायें घर में हों या कार्यक्षेत्र में उन्हें यौन हिंसा का सामना करना ही पड़ता है और इसमें महिलाओं की बदनामी का डर सबसे अधिक प्रभावकारक होता है। जो महिलायें किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं वे अपने माता–पिता की, अपने परिवार की बदनामी के डर से चुप रहती है, शोषित होती रहती हैं और बुरी तरह टूट जाती है। परिवार में रिश्तेदार द्वारा परिचितों द्वारा, पड़ोसियों द्वारा नाबालिग बच्चियों के साथ सबसे अधिक यौन हिंसा की जाती है जिसकी 70 प्रतिशत से अधिक रिपोर्ट तक नहीं करवाई जाती है। यह समाज की कटु भयावह सच्चाई है जो एक सभ्य समाज को शर्मसार करती है और मुझे प्रसन्नता है कि भारत विकास परिषद् में इन विषयों पर ना केवल खुलकर बात की जाती है बल्कि आधी आबादी को जागरूक करने के लिये अभियान, कार्यशालाएँ,

गोष्ठियाँ आयोजित किये जाते हैं।

महिला जागरूकता के लिये जिन प्रमुख क्षेत्रों पर कार्य किया जाना आवश्यक है वे इस प्रकार है–

महिला शिक्षा राजस्थान का साक्षरता दर है 66.11 प्रतिशत

पुरूष साक्षरता – 79.19 प्रतिशत

महिला साक्षरता – 52.12 प्रतिशत

1. महिलाओं की शिक्षा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।
2. महिला की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता ।
3. घर के साथ–साथ बाहरी निर्णयों में भी महिलाओं की भागीदारी जरूरी।
4. महिलाओं को अंधविश्वास, ब्रेनवॉश, लव–जिहाद व धर्मांतरण से बचाना। (केरेला स्टोरी) ज्वलंत उदाहरण है।
5. महिलाओं को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना ताकि ब्लैकमेल होने से बचाया जा सके। (अजमेर 92 ब्लेकमेल कांड)
6. ''चुप्पी तोड़े खुल के बोले'' अपनी बात कहना सीखे।
7. भावनात्मक कमजोरी से बचाने के लिये समय–समय पर कार्यशालाएँ व जनसुनवाई आयोजित करना।
8. घरेलू महिलाओं को हाथ के हुनर सीखने का अवसर मिले।
9. महिलाओं के उत्पादों को मार्केट से जोड़ा जाना आवश्यक है ताकि बाजार पर उनका नियंत्रण हो सके व आम आदमी बढ़े।
10. अंतिम पर अत्यन्त आवश्यक :– महिलायें प्रथम गुरु होती है अपने बच्चों की। अत: अपने बच्चों की बुराई को ना छुपाएँ अन्यथा वह आगे जाकर बड़ी बीमारी बन जाती है। महिलाओं के अधिकारों की जागरूकता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे देश में पुरुषों की युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता पैदा की जाएँ। पुरुषों और महिलाओं, दोनों की मानसिकता बदलनी चाहिये। जागरूकता तभी संभव हैं। महिलाओं की जागरूकता के लिये भारत विकास परिषद् द्वारा उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ब्यूटीशियन प्रशिक्षण, डांस, गायन, दस्तकारी, सॉफ्ट टॉयज बनाना, स्वयं सहायता समूह बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने संस्कृति का रूप निखारा है और नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है।

बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ

प्राचीन काल से ही भारत वर्ष में नारी जाति का केवल सम्मान ही नहीं अपितु पूजा की जाती रही है। विश्व के सभी धर्मों में ईश्वर की कल्पना पुरुष रूप में की गई है किन्तु भारत में उसे अर्धनारिश्वर माना गया है। हम अपने देश को भारत माता कह कर पुकारते हैं किन्तु लगभग समस्त अन्य देशों के निवासी अपने देश को पितृदेश (Father Land) कहते हैं। देश के प्रत्येक कोने में देवताओं के साथ अनेक देवियों की भी पूजा की जाती है। विदुषी नारियों जैसे गार्गी, मैत्रेयी इत्यादि की चर्चा पुराणों एवं अनेक प्राचीन ग्रन्थों में मिलती है। मनुस्मृति में 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता' कहा गया है।

किन्तु दीर्घकाल तक चलने वाले दुर्भाग्यपूर्ण दासता के काल में जिन महान धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का ह्रास हुआ एवं पतनशील प्रवृतियाँ उभरी उनमें नारी जाति के प्रति सम्मान में कमी एवं उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाना भी एक प्रवृति थी। पर्दा प्रथा, महिलाओं की शिक्षा की उपेक्षा इत्यादि इसी प्रवृति के परिणाम थे। विवाह के समय कन्या को प्रेम स्वरूप दिये जाने वाले उपहारों ने दहेज के दानव का रूप ले लिया। इन विकृतियों में कन्या भ्रूण हत्या सर्वाधिक भयानक विकृति के रूप में प्रकट हुई। विशेष बात यह है कि यह प्रवृति स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रकट हुई एवं देश में बढ़ती हुई सम्पन्नता के साथ बढ़ती चिकित्सा विज्ञान की तरक्की एवं नई मेडिकल टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर लोभी चिकित्सकों ने गली–गली में अल्ट्रासाउण्ड सेंटर खोल दिये एवं कन्या भ्रूण के साधन सर्व सुलभ हो गए।

कन्या भ्रूण हत्या किये जाने के कारण :

हमारे समाज में सामान्यतः ऐसा विश्वास है कि मृत्यु के पश्चात् दाह संस्कार पुत्र के ही हाथों से सम्पन्न होना चाहिए अन्यथा सद्गति प्राप्त नहीं होती।

विवाह के पश्चात् पुत्री ससुराल चली जाती है । अतः वृद्धावस्था में पुत्र ही सहारा दे सकता है। पुत्री तो पराया धन है।

पुत्री का विवाह बहुत बड़ा बोझ होता है। दहेज एक अनिवार्य प्रथा बन गई है एवं अनेक पुत्रियों का विवाह पिता की आर्थिक स्थिति को डाँवाडोल कर सकता है।

वर्तमान समय में परिवार नियोजन अनिवार्य है किन्तु पुत्र का होना भी उतना ही आवश्यक है। एक के बाद पुत्रियों के जन्म को रोकने एवं परिवार को सीमित रखने का एक ही तरीका रह जाता है– कन्या भ्रूण हत्या ।

पुत्रियों की हत्या केवल कन्या भ्रूण हत्या के रूप में ही नहीं की जाती अपितु कुछ परिवारों में इनका एक और रूप भी प्रचलित है एवं वह है पुत्रियों की उपेक्षा एवं पुत्रों तथा पुत्रियों के लालन–पालन में भेदभाव । पुत्रियों को पौष्टिक एवं संतुलित भोजन नहीं दिया जाता एवं बीमारी की हालत में उचित चिकित्सा एवं देखभाल में भी कमी की जाती है। शिक्षा में भी बेटियाँ उपेक्षित रहती हैं। कभी कभी यह उपेक्षा इस सीमा तक बढ़ जाती है कि कन्याएं मृत्यु का ग्रास बन जाती हैं।

दुष्परिणाम – कन्या भ्रूण हत्या का सर्वाधिक भयावह दुष्परिणाम जनसंख्या में स्त्री पुरुष को संख्या में असंतुलन के रूप में सामने आया है। भ्रूण परीक्षण के पश्चात् जो गर्भपात कराये जाते हैं उनमें 97 प्रतिशत कन्या भ्रूण हैं। यह असंतुलन 1981 से ही प्रारम्भ हो गया था। इस वर्ष में 1000 लड़कों (आयु 1–6 वर्ष) पर कन्याओं की संख्या 935 पाई गई थी जो 2001 में 927 एवं 2011 में 918 रह गई। देश के समस्त राज्यों में हरियाणा की स्थिति सबसे खराब है जहाँ यह संख्या 819 है। जनसंख्या का यह असंतुलन हमें कहाँ ले जाएगा इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। यदि स्थिति यही रही तो एक दिन भाई की कलाई पर राखी बांधने वाली बहिनों और पति के साथ सात फेरे लेने वाली पत्नी ढूँढ़े नही मिलेंगी।

बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम –

बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ सरकार की भी योजना है। इसका प्रारम्भ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को पानीपत (हरियाणा) से किया था। देश भर के 100 जिलों में इस योजना को चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य केवल कन्या भ्रूण हत्या रोकना ही नहीं है अपितु कन्याओं को शिक्षित करके उन्हें सशक्त बनाना भी है। सुशिक्षित पुत्री माता–पिता पर बोझ नहीं होती अपितु परिवार के लिये गर्व का विषय होती है। सिविल सर्विस

परीक्षा में व अनेक बोर्ड परीक्षाओं में भी लड़कियाँ ही शीर्ष स्थान पर रही हैं। ऐसी सुशिक्षित कन्याऐं परिवार एवं देश के लिए भार नहीं अपितु पूँजी स्वरूप हैं।

बेटी बचाओ के लिए सरकार की ओर से कुछ कानून भी बनाये गये हैं।

1971 तक भारत में गर्भपात करना संज्ञेय अपराध या इसके उल्लंधन पर सजा का प्रावधान था। किन्तु 1971 में ही एक नया कानून मेडिकल अर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बनाया गया जिसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर की सलाह पर गर्भपात करने या कराने को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। इस नये कानून की आड़ में भ्रूण हत्याऐं तेजी से बढ़ी। परिणाम स्वरूप कुछ राज्य सरकारों एवं फिर केन्द्र सरकार ने भी प्री नैटल डायग्नोस्टिक टैकनीक (रेगुलेशन एंड प्रीवेन्शन ऑफ मिसयूज) बिल पास करके भ्रूण के लिंग परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। किन्तु बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ आन्दोलन को सफल बनाने के लिए समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सरकारी योजनाऐं एवं सरकारी कानून हैं। इस क्षेत्र में भारत विकास परिषद् जैसी संस्थाऐं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

भारत विकास परिषद् एवं अन्य ऐसी ही सामाजिक संस्थाओं की भूमिका :–

कन्या भ्रूण हत्या एवं परिवार में कन्याओं से भेदभाव एवं उपेक्षा केवल सरकारी कानून एवं योजनाओं से समाप्त होने वाले नहीं हैं। इसके लिए जन साधारण की मानसिकता में परिवर्तन लाना आवश्यक है। इस क्षेत्र में भारत विकास परिषद् ने इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने का निश्चय किया है। अत : शाखाऐं भी इसे एक प्रकल्प के रूप में स्वीकार करने के लिए कार्यशील है। शाखाऐं इस दिशा में क्या कर सकती है– इसका एक उदाहरण नारनौल (राजस्थान) शाखा ने प्रस्तुत किया है। इस शाखा ने आनन्द उत्सव के नाम से एक अभियान चला रखा है जिसके अन्तर्गत उस परिवार को सम्मानित किया जाता है जो बेटी के जन्म को उत्सव के रूप में मनाता है तथा कन्या के माता पिता को स्मृति चिन्ह एवं प्रशंसा पत्र भेंट किया जाता है।

युवा एवं बाल संस्कार

वन्देमातरम

आशा है कि आप प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगें, ईश्वर की कृपा से सदैव आपका मंगल हो। जैसा कि आपको विदित है परिषद् द्वारा सेवा एवं संस्कार के कार्यक्रमों के तहत बच्चों में भारतीय संस्कृति व विरासत को संचित करने हेतु कई कार्यक्रम वर्ष पर्यन्त आयोजित किये जाते हैं। परिषद् का मूल उद्देश्य यह है कि बच्चों में संस्कार का बीज बचपन से ही बोया जाए जिससे वह भविष्य में अच्छा संस्कारित जीवन यापन कर सकें, क्योंकि संस्कारों की नींव पर ही जीवन की ईमारत व भविष्य खड़ा होता है।

प्रतिवर्ष आपकी शाखा द्वारा परिषद् के सेवा एवं संस्कार प्रकल्प के तहत श्रेष्ठ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। प्रान्त स्तर पर भी आपकी शाखा ने कई बार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष युवा एवं बाल संस्कार प्रकल्प के अन्तर्गत कुछ नवाचार करते हुए संस्कार के श्रेष्ठ कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय प्रान्तीय कार्यकारिणी ने निम्नानुसार लिया है–

1. संस्कार– इसके अन्तर्गत विद्यालयों में श्लोक, भजन व विभिन्न पारम्परिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन बच्चों के मध्य करवाना चाहिए।
2. सात्विकता– इसके अन्तर्गत विद्यालयों में बच्चों एवं अध्यापकों के मध्य हवन व पूजा आदि का आयोजन करवाना चाहिए।
3. संयम– इसके अन्तर्गत विद्यालयों में संतो के प्रवचन एवं बच्चों और संतों के बीच संवाद के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। चातुर्मास के कार्यक्रम में भी यह कार्यक्रम कर सकते हैं।
4. सामन्जस्य– इसके अन्तर्गत विद्यालयों में बच्चों के मध्य प्रबुद्ध व प्रखर वक्ताओं के उद्‌बोधन होने चाहिए जिसमें परिवार की अहमियत व परिवार में सामंजस्य के बारे में बच्चों को परिचित करवाना चाहिये।

प्रान्त स्तर पर हर वर्ष शाखा का क्रियात्मक एवं संगठनात्मक मूल्यांकन होता है। इस वर्ष से युवा एवं बाल संस्कार प्रकल्प हेतु

अंक निश्चित किये जाएंगे। अत: सभी शाखा दायित्वधारियों से आग्रह है कि इस प्रकल्प को आवश्यक रूप से विद्यालयों में करवाने का निश्चय करें एवं प्रान्त के इस नवाचार को सफल बनाने में अपना योगदान देवें ।

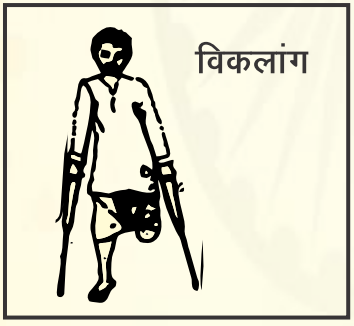

भारत विकास परिषद्

हरित क्रांति

एक आग्रह–एक संकल्प

हरित क्रांति

आओ मिलकर पेड़ लगाएं,
भारत भूमि को स्वर्ग बनाएं

पानी, मिट्टी और हवा,
धरती के है ये उपहार

बंजर धरती करे पुकार,
पेड़ लगाकर करो श्रृंगार

जो बचाये पानी,
वो सबसे बड़ा ज्ञानी

बढ़ता प्रदूषण घटती आयु,
कारण एक - अशुद्ध जलवायु

पानी एवं बिजली की बचत ही,
इनका उत्पादन करने के समान

पोलीथिन की थैली हटाओ,
कपड़े के थैले अपनाओ

नीम का पेड़ क्या चन्दन से कम है ।
हमारा शहर क्या लंदन से कम है ।।

Bharat Vikas Parishad
Rajasthan (Central)

भारत विकास परिषद्
राजस्थान (मध्य) प्रान्त

आँखों में...

माँ की आँखों में	–	ममता
पिता की आँखों में	–	कर्त्तव्य
बहन की आँखों में	–	स्नेह
भाई की आँखों में	–	प्यार
गुरू की आँखों में	–	ज्ञान–आशीर्वाद
सज्जन की आँखों में	–	नम्रता
विद्यार्थी की आँखों में	–	जिज्ञासा
गरीब की आँखों में	–	आशा
अमीर की आँखों में	–	घमण्ड
मित्र की आँखों में	–	सहयोग
दुश्मन की आँखों में	–	प्रतिशोध
वैज्ञानिक की आँखों में	–	खोज
ईश्वर की आँखों में	–	दया

जिज्ञासा प्रश्नोत्तरी

प्रश्न 1. भारत विकास परिषद् की स्थापना कब और कहां हुई ?

उत्तर – 10 जुलाई 1963, नई दिल्ली

प्रश्न 2. भारत विकास परिषद् नाम से रजिस्टर्ड होने से पूर्व हमारे संगठन को किस नाम से जाना जाता था ?

उत्तर– जनमंच

प्रश्न 3. भारत विकास परिषद् के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे ?

उत्तर– लाला हंसराज जी गुप्ता

प्रश्न4. भारत विकास परिषद् की वर्तमान में संगठनात्मक संरचना क्या है?

उत्तर– केंद्र, रीजन, प्रांत व शाखा

प्रश्न 5. भारत विकास परिषद के प्रारंभिक काल में कौन सी राष्ट्रीय कवियत्री परिषद् से जुड़ी रही?

उत्तर– महादेवी वर्मा

प्रश्न 6. भारत विकास परिषद् के सत्र 2023–24 में राष्ट्रीय संगठन मंत्री कौन है?

उत्तर– श्री सुरेश जी जैन

प्रश्न 7. राजस्थान मध्य प्रांत भारत विकास परिषद् के कौन से रीजन में आता है व रीजन में कितने प्रांत हैं ?

उत्तर– उत्तर पश्चिम रीजन व सात प्रांत

प्रश्न 8. भारत विकास परिषद् का ध्येय वाक्य क्या है ?

उत्तर– स्वस्थ–समर्थ– संस्कारित भारत

प्रश्न 9. राजस्थान मध्य प्रांत के सदस्य सत्र 2023–24 में कौन–कौन से दायित्वधारी राष्ट्रीय समिति में सदस्य हैं ?

उत्तर– मुकनसिंह जी राठौड़, बलराज जी आचार्य, सीए संदीप जी बाल्दी

प्रश्न 10. दिल्ली के मेंटो ब्रिज पर किस महापुरुष की आदमकद

मूर्ति भारत विकास परिषद् द्वारा स्थापित की गई ?

उत्तर– वीर शिवाजी

प्रश्न 11. भारत विकास परिषद् का सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है ?

उत्तर– 2272

प्रश्न 12. भारत विकास परिषद् को विकलांग सहायता राष्ट्रीय पुरस्कार से कब – कब सम्मानित किया गया ?

उत्तर– वर्ष 2004 व 2007 में

प्रश्न 13. भारत का परिषद् प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित दो मुख्य पत्रिका के नाम बताइए।

उत्तर– नीति एवं ज्ञान प्रभा।

प्रश्न 14. भारत विकास परिषद् में सत्र 2023–24 में कुल कितने रीजन है?

उत्तर– 10

प्रश्न 15. राजस्थान मध्य प्रांत किस वर्ष बना ?

उत्तर– वर्ष 2003–04

प्रश्न 16. राजस्थान मध्य प्रांत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ?

उत्तर– श्री ब्रजमोहन जी व्यास

प्रश्न17. भारत विकास परिषद् के सत्र 2023–24 राष्ट्रीय महासचिव कौन है?

उत्तर– श्याम जी शर्मा (कोटा)

प्रश्न 18. परिषद् में विकास मित्र हेतु कितनी सहायता राशि निर्धारित है ?

उत्तर– 11000

प्रश्न 19. भारत विकास परिषद् के सत्र 2023–24 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या नाम है ?

उत्तर– श्री गजेंद्र सिंह जी संधू

प्रश्न 20. राजस्थान मध्य प्रांत में सत्र 2023–24किस शाखा के अपने भवन या कार्यालय हैं ?

उत्तर– विवेकानंद भीलवाड़ा, किशनगढ़ मुख्य, अजमेर मुख्य, सुभाष भीलवाड़ा एवं विजयनगर को

प्रश्न 21. भारत विकास परिषद् की शाखा में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए?

उत्तर– चालीस

प्रश्न 22. राजस्थान मध्य प्रांत की त्रै मासिक पत्रिका का क्या नाम है?

उत्तर– नई दिशा

प्रश्न – 23. शाखा जो शुल्क प्रांत में भेजती है उसके केंद्र का व प्रांत का अलग–अलग हिस्सा कितना है।

उत्तर – 250–250

प्रश्न 24. राजस्थान मध्य प्रांत में सत्र 2023–24 संरक्षक के क्या नाम हैं?

उत्तर – श्री रामेश्वर जी काबरा, डॉ. कमला जी गौखरू

प्रश्न 25. परिषद् में केंद्र से शाखा का एफिलेशन होता है वह एफिलेशन शुल्क केंद्र को शाखा द्वारा प्रांत के माध्यम से कितना भेजा जाता है?

उत्तर– 150 रुपये

प्रश्न 26. राजस्थान मध्य प्रांत की कौन सी शाखा संस्कृत महाविद्यालय का संचालन कर रही है?

उत्तर – जालिया द्वितीय

प्रश्न 27. भारत विकास परिषद् प्रकाशन प्रोजेक्ट के सत्र 2023–24 में चैयरमेन कौन हैं?

उत्तर– श्री अरविन्द जी बंडी (इन्दौर)

प्रश्न 28. प्रांतीय परिषद् के सदस्य कौन कौन होते हैं?

उत्तर– प्रांत के केंद्रीय, रीजनल व प्रांतीय दायित्वधारी और शाखा के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष।

प्रश्न 29. भारत विकास परिषद् के अधिस्ठात्रा कौन हैं?

उत्तर – भारत माता एवम स्वामी विवेकानंद जी

प्रश्न 30. भारत विकास परिषद् के संविधान में अंतिम संशोधन कब किया गया?

उत्तर– भारत विकास परिषद् के संविधान में अंतिम संशोधन 27 मार्च 2021 को किया गया।

प्रश्न 31. परिषद् का ध्वज (झंडा) किस आकार किस रंग का होता है ?

उत्तर– भारत विकास परिषद् का ध्वज (झंडा) आयताकार तथा केसरिया रंग का होता है। जिसके मध्य में परिषद् का लोगो प्रिंट होता है।

प्रश्न 32. भारत विकास परिषद् का प्रतीक चिन्ह (लोगो) किस रंग का है ?

उत्तर– भारत विकास परिषद् का प्रतीक चिन्ह (लोगो) श्वेत श्याम रंग (Black and white) का होता है।

प्रश्न 33. भारत विकास परिषद् की सदस्यता किस स्वरूप में होती है ?

उत्तर– भारत विकास परिषद् की सदस्यता युगल स्वरूप में होती है अर्थात परिषद् में पति और पत्नी दोनों को सदस्य माना गया है।

प्रश्न 34. राजस्थान मध्य प्रांत में स्थित शाखाओं के कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन किस आधार पर होता है ?

उत्तर– संगठनात्मक एवं क्रियात्मक कार्यों के आधार पर।

प्रश्न 35. भारत विकास परिषद् की कार्यप्रणाली में सामान्यत : किन पदों पर निर्वाचन होता है ?

उत्तर– भारत विकास परिषद की कार्यप्रणाली में सभी स्तर (यथा शाखा, प्रांत, रीजन एवं केन्द्र) पर सामान्यत : अध्यक्ष, सचिव, वित्त सचिव के पदों पर निर्वाचन होता है तथा शेष पदों पर मनोनयन होता है।

प्रश्न 36. भारत विकास परिषद् के राष्ट्रीय अधिवेशन राजस्थान मध्य प्रांत के किन–किन स्थानों पर हो चुके हैं ?

उत्तर– भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन राजस्थान मध्य प्रांत में वर्ष 2005 किशनगढ़ एवं वर्ष 2016 अजमेर में संपन्न हुए।

प्रश्न 37. भारत विकास परिषद् की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था ?

उत्तर– कालांतर में भारत विकास परिषद् की स्थापना का उद्देश्य पीड़ित मानवता की सेवा करना था तत्पश्चात् समय के अनुसार देश की भावी पीढ़ी को संस्कारित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के संस्कार प्रकल्प भी परिषद् द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रकार भारत विकास परिषद् द्वारा वर्तमान एवं भविष्य दोनों पर 5 मूल मंत्रों के साथ कार्य किए जा रहे हैं।

प्रश्न 38. क्या भारत विकास परिषद् एक राजनीतिक संगठन है।

उत्तर– नहीं, यह एक स्वयंसेवी संस्था है जो कि भारतीय संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम आयोजित करती है।

प्रश्न 39. परिषद् के पांच सूत्र कौन से हैं?

उत्तर– संपर्क – सहयोग–संस्कार–सेवा – समर्पण

प्रश्न 40. हमारे प्रांत का क्या नाम है एवं इसमें कौन–कौन से जिले शामिल हैं?

उत्तर– राजस्थान मध्य प्रांत व छः जिले – अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, शाहपुरा, केकड़ी एवं ब्यावर

प्रश्न 41. राजस्थान मध्य प्रांत के सत्र 2023–24 अध्यक्ष, महासचिव एवं वित्त सचिव कौन है?

उत्तर– अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद जी सोडाणी, महासचिव गोविन्द जी अग्रवाल व वित्तसचिव शिवम जी प्रहलादका

प्रश्न 42. वर्तमान में राजस्थान मध्य प्रांत की महिला प्रमुख कौन है?

उत्तर – डॉ. सुमन जी बडोला

प्रश्न 43. राष्ट्रीय वित्त सचिव कौन है ?

उत्तर – श्री महेशबाबु गुप्ता (नोएडा)

प्रश्न 44. उत्तर पश्चिम रीजन के महामंत्री कौन है?

उत्तर– डॉ. त्रिभुवन जी शर्मा (बीकोनर)

प्रश्न 45. परिषद् के सेवा कार्यों के अंतर्गत कौन से प्रकल्प आते हैं ?

उत्तर– रक्तदान–देहदान–नेत्रदान, पर्यावरण, पक्षी परिंडा, दिव्यांग सहायता शिविर, चिकित्सा शिविर, निर्धन सहायता एवं अन्य सहयोग

प्रश्न 46. परिषद् के संस्कार कार्यों के अंतर्गत कौन–कौन से प्रकल्प आते हैं ?

उत्तर– गुरु वंदन छात्र अभिनंदन , भारत को जानो , राष्ट्रीय समूह गान , बाल संस्कार शिविर , नव संवत्सर कार्यक्रम

प्रश्न 47. भारत विकास परिषद् के राजस्थान में 200 बेड का चिकित्सालय कहां पर है ?

उत्तर– कोटा

प्रश्न 48. भारत विकास परिषद् को वर्ष 2008 में राष्ट्रपति द्वारा किस पुरस्कार से नवाजा गया था ?

उत्तर– निर्मल ग्राम पुरस्कार

प्रश्न 49. राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल कितने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ?

उत्तर– 2

प्रश्न 50. भारत विकास परिषद् और राजस्थान मध्य प्रांत की वेबसाइट क्या है ?

उत्तर– www.bvpindia.com व www.bvprajcentral.org

प्रश्न 51. वर्ष 2020 में पीएम रिलीफ फंड में परिषद् द्वारा कितनी सहयोग राशि प्रदान की गई ?

उत्तर– 2 करोड़ 11 लाख

प्रश्न 52. भारत विकास परिषद् के अध्यक्ष जो एक राज्यपाल एवं सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं ?

उत्तर– जस्टिस एम . रामा जायस

प्रश्न 53. विकास रत्न हेतु कितनी सहयोग राशि निर्धारित है ?

उत्तर– 100000/–

प्रश्न 54. वर्ष 2020–21 किस व्यक्ति की जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया ?

उत्तर– डॉ सूरज प्रकाश जी

प्रश्न 55. भारत विकास परिषद् डॉ . सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र कहां बनाया जा रहा है ?

उत्तर– फरीदाबाद

प्रश्न 56. परिषद् में सदस्यों का चयन कैसे किया जाना उपयुक्त मानते हैं ?

उत्तर– उस व्यक्तित्व को जो सतत संपर्क से परिषद् के मूल भाव समृद्धता एवं प्रबुद्धता से ओत–प्रोत लगे।

प्रश्न 57. भारत विकास परिषद् के ध्येय मंत्र ''सहयोग'' को कैसे मानते हैं ?

उत्तर– जब किया अथवा दिया गया सहयोग (तन–मन–धन) नि :स्वार्थ भावों से हो तथा स्मरण या महिमा मंडित नहीं किया जाये।

प्रश्न 58. भारत विकास परिषद् परिवार को क्या मानना चाहिये ?

उत्तर– भारत विकास परिषद् परिवार संपर्क की बगिया से निकले हुए सहयोग के वे संस्कारित पुष्प हैं जो समर्पित सेवा रूपी माला के रूप में समाज को सुगंधित करते हैं।

प्रश्न 59. भारत विकास परिषद् में अनुशासन को क्या मानते हैं ?

उत्तर– संगठन के सामुहिक निर्णय का अक्षरश : सम्मान रखना ही सर्वश्रेष्ठ अनुशासन मानना चाहिये।

प्रश्न 60. भारत विकास परिषद् में बैठकें क्यों आवश्यक हैं ?

उत्तर– संगठन के सामयिक विषयों/आयोजनों पर योजनाबद्ध निर्णय हेतु बैठकें आवश्यक है।

प्रश्न 61. भारत विकास परिषद् में 'अधिकारी' नहीं 'दायित्वधारी' उद्‌बोधित किया जाता है, क्यों ?

उत्तर– 'अधिकार' में अभिमान का भाव भरा है जबकि 'दायित्व' में समर्पित कर्तव्य का भाव । 'अधिकारी' नाराज हो सकते हैं परन्तु 'दायित्धारी' कभी नाराज नहीं होते।

प्रश्न 62. भारत विकास परिषद् में श्रेष्ठ कार्यकर्ता किसे मान सकते हैं ?

उत्तर– श्रेष्ठ कार्यकर्ता वह हो सकता है जो स्वयं की उपलब्धि को न्युनतम तथा सहयोगी कार्यकर्ताओं की उपलब्धि को

प्राथमिकता से प्रस्तुत करे।

प्रश्न 63. **भारत विकास परिषद् में 'प्रोटोकॉल' क्या है ?**

उत्तर– संगठन में व्यवस्था को सुचारु रूप से निवर्हन हेतु शीर्ष दायित्वधारी से कनिष्ठ दायित्वधारी को प्रदत्त सूचनाओं का अक्षरश : संपादन ही 'प्रोटोकॉल' है।

प्रश्न 64. **भारत विकास परिषद् में सदस्यता विस्तार का मूल मंत्र किसे मानते हैं ?**

उत्तर– संगठन में समर्पित भाव से प्रगाढ संपर्क नये सदस्यों को जोड़ने में तथा संगठन में स्थित सदस्यों की गलतियों की आलोचना अकेले में तथा कार्यों की तारीफ सार्वजनिक करने का भाव अवश्य ही सदस्यता विस्तार का मूल मंत्र कहा जा सकता है।

प्रश्न 65. **भारत विकास परिषद् का भाव स्वयं में कितना पाते है ?**

उत्तर– हम सभी परिषद् में विद्यार्थी हैं , अभी पुरा परिषद्मय होने में समय लगेगा।

तीन में मन लगावे ईश्वर, परिश्रम, विद्या

दायित्व ग्रहण शपथ

मैं..... भारत विकास परिषद् .....

..... के पद का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ।

मेरी परिषद् के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अन्तर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है।

मैं सदैव परिषद् के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्त्व का निर्वाह करते हुए परिषद् का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूँगा और प्रत्येक ऐसा ही कार्य करूंगा, जिससे इसकी गरिमा कम हो ।

भारत माता की जय

दिनांक.....

हस्ताक्षर

सदस्य का संकल्प

मैं.....भारत विकास परिषद् परिवार की सदस्यता और उसकी अन्तर्भूत मर्यादाओं को सहर्ष अंगीकार करता/करती हूँ। भारतीय संस्कृती के आदर्शों में मेरी अविचल आस्था है। भारत की राष्ट्रीय एकता, सर्वपन्थसमभाव और विश्वबन्धुत्व में मेरी दृढ़ निष्ठा है।

मैं संकल्प करता/करती हूँ कि यथाशक्ति भारत के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव सचेष्ट रहूँगा /रहूंगी और भारतीय जन–जीवन के उत्कर्ष में अपना विनम्र योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा/रहूँगी।

भारत माता की जय

दिनांक

हस्ताक्षर

भारत विकास परिषद् राजस्थान (मध्य) प्रान्त

राष्ट्र-गीत

वन्दे मातरम् ! वन्दे मातरम् !!
सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्
शस्यश्यामलाम् मातरम्
वन्दे मातरम् ।। 1 ।।

शुभ्रज्योत्सनापुलकितयामिनीम्
फुल्ल कुसुमितद्रुमदलशोभिनीम्
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम् वरदाम् मातरम्
।। वन्दे मातरम्।। 2 ।।

कोटि-कोटि कंठ कल कल निनाद कराले
कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले
अबला केनो माँ एतो बले
बहुबलधारिणीम् नमामि तारिणीम्
रिपुदलवारिणीम् मातरम् ।
।। वन्दे मातरम् ।। 3 ।।

तुमि विद्या तुमि धर्म
तुमि हृदि तुमि मर्म
त्वं हि प्राणा: शरीरे
बाहु ते तुमि माँ शक्ति,हृदये तुमि माँ भक्ति,
तोमारई प्रतिमा गड़ि मन्दिरे मन्दिरे मातरम् ।
।। वन्दे मातरम्।। 4 ।।

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणीं
कमला कमलदलविहारिणीं
वाणी विद्यादायिनीं, नमामि त्वां, नमामि कमलाम्
अमलाम् ,अतुलाम्, सुजलाम्
सुफलाम् मातरम्
।। वन्दे मातरम् ।। 5 ।।

श्यामलाम् सरलाम् सुष्मिताम् भूषिताम्
धरणीम् ,भरणीम् मातरम्
वन्दे मातरम् ।। 6 ।।

विशेष : इस राष्ट्र गीत को अपनी-अपनी शाखाओं के कार्यक्रमों व बैठको में प्रारंभ के समय अनिवार्य रूप से इसका सामूहिक गान हो, यह निश्चित करावें।

भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा। करनी है इसकी रक्षा, यह कर्त्तव्य हमारा।।

सदैव उद्‌बोधन में ''वन्दे मातरम'' कहें !

ॐ

सम्पर्क सहयोग संस्कार सेवा समर्पण

भारत विकास परिषद् राजस्थान (मध्य) प्रान्त

'वन्देमातरम्' का भावार्थ

माता मै आपको वंदन करता हूँ।

जल तथा धनधान्य से समृद्ध दक्षिण में स्थित मलय पर्वत से आने वाली वायु की लहरों से शीतल होने वाली तथा विपुल खेती के कारण श्यामल वर्ण बनी, हे माता !

शुभ्र श्वेत चाँदनी के कारण आपकी रातें प्रफुल्लित रहती हैं तथा पुष्पों की बहार के कारण आपकी भूमि वृक्षराशि के वस्त्र परिधान समान सुशोभित दिखती है। सदा हंसमुख और सर्वदा मधुर बोलने वाली, वरदायिनि, सुखप्रदायिनि ऐसी ऐ माता !

जिसके करोड़ों मुखों से भयंकर गर्जना उठ रही है और जिसके करोड़ों हाथों में धारण किये खड्गों की पत्ती चमक रही है, ऐसा होते हुए हे माता, तुम्हें अबला कहने का साहस भी कौन करेगा? वास्तव में, माता आपके पास अपार सामर्थ्य है। शत्रु की सेना लौटाकर संतानों की रक्षा करने वाली हे माता, मैं आपको नमस्कार करता हूँ।

आप ही हमारा ज्ञान, चरित्र और धर्म है। आप ही हमारा हृदय और चैतन्य है। हमारी देह में प्राण भी आप ही हैं। हमारी कलाई में शक्ति भी आपसे है, अंत: करण में विराजमान माँ काली भी आप ही हैं। देवालयों में हम जिस मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा करते हैं, वे सब आप ही के रूप हैं ।

अपने दसों हाथों में दस शस्त्र धारण करने वाली शत्रु संहारिणी दुर्गा आप ही हैं और कमल पुष्पों से भरे सरोवर में विहार करने वाली कमल कोमल लक्ष्मी भी आप हैं, विद्यादायिनी सरस्वती भी आप ही हैं। आपको हमारा नमस्कार ! ऐश्वर्यदात्री, पुण्यप्रद और पवित्र जलप्रवाहों तथा अमृतमय फलों से समृद्ध, हे माता आपकी महानता अतुलनीय है, उसकी कोई सीमा नहीं। हे जननी हम आपको प्रणाम करते हैं।

माता,आपका वर्ण श्यामल और आपका चरित्र धवल है। आपका मुख सुंदर हास्य से सुशोभित है। आप सर्व आभूषणों से युक्त हैं। इसलिए कितनी सुंदर दिखती हैं! वास्तव में, हमें धारण करने वाली आप ही हैं और हमारा पोषण करने वाली भी आप ही हैं। माता, आपको हमारा पुन:श्च वंदन !

भारत माता की जय

उद्बोधन में हमेशा ''वन्देमातरम्'' कहे

देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो उसे कुछ देना सीखे।।

सदैव उद्बोधन में ''वन्दे मातरम'' कहें !